रजिस्ट्री संख्या डी एल-33001/92 REGISTERED NO. DL-33001/92

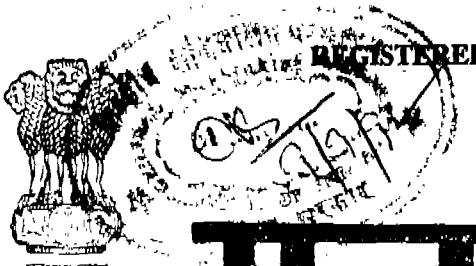

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 27, 1992 (आषाढ़ 6, 1914)
No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 27, 1992 (ASHADHA 6, 1914)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	505
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	639
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	11
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1107
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . .	651
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . .	801
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2511
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	97
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक . .	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं

1—121 GI/92

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	505
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	639
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	11
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1107
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . .	651
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . .	801
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2511
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	97
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

दिनांक 26 मई 1992

सं० 36-प्रेज 92—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री अरबिन्दो मंडल (मरणोपरांत)
कांस्टेबल सं० 810700725
8वीं बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
अजनाला ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (मरणोपरांत)
कान्स्टेबल सं० 791180349
8वीं बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
अजनाला ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

2 मार्च 1989 को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ कुख्यात उग्रवादी गांव आबूसैदा थाना रामदास में पियारे सिंह नामक एक व्यक्ति के घर में छिपे हुए हैं। अजनाला के सैक्टर कमान्डेंट के आदेश पर श्री जी० बी० सिंघाड़ी पुलिस उप-अधीक्षक के नेतृत्व में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की बी/8 और ई/8 बटालियन के जवान एस०एच० ओ० रामदास के साथ उक्त मकान पर छापा मारने के लिए चल पड़े जबकि सहायक कमान्डेंट (प्रचालन) के नेतृत्व में एक विशेष टुकड़ी को आक्रमण के लिए रिजर्व में तैयार रखा गया। संदेहग्रस्त मकान को घेरने और भागने के सभी संभावित रास्तों को बन्द करने के बाद एस० एच० ओ० रामदास ने अपने जवानों के साथ घर पर छापा मारा। सुरक्षा बलों द्वारा अचानक हमला कर देने से उस घर में छिपे आतंकवादी हैरान हो गए और उन्होंने पुलिस दल पर स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी की जिसके परिणामस्वरूप एक कांस्टेबल ड्राईवर मारा गया और एस० एच० ओ० रामदास, एक सहायक उप-निरीक्षक गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मृतक और घायल को वहां से हटाया जा सके इस दृष्टि से सुरक्षा कार्मिकों ने तत्काल जवाब में गोलियां चलाईं इसी बीच सहायक कमांडेंट (प्रचालन) के नेतृत्व में विशेष दल (कांस्टेबल सुरेन्द्र सिंह और अरबिन्दो मंडल सहित) घटना स्थल पर पहुंचा जिसका प्रयोग आतंकवादियों को बाहर खदेड़ने के लिए अन्तिम हमले के रूप में किया जाना था। अन्दर बन्द आतंकवादियों ने भागने की कोशिश में दरवाजा खोला और घर के सामने खड़े पुलिस बल पर भारी गोलाबारी की। इसी बीच श्री सुरेन्द्र सिंह और श्री अरबिन्दो मंडल ने तेजी और युक्तिपूर्ण ढंग से भारी गोलाबारी के बीच लेट पार करके मिट्टी की दीवार के दूसरी तरफ गए तथा उनके भागने का रास्ता बन्द कर दिया और इस प्रकार से उनकी कोशिश विफल कर दी। भारी गोलीबारी से विचलित हुए बिना तथा व्यक्तिगत खतरे में वे आगे बढ़े, जहां उन्होंने देखा कि एक आतंकवादी अर्ध खुली खिड़की से गोली चला रहा है। आतंकवादियों का सफाया करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ दोनों कांस्टेबल श्री सुरेन्द्र सिंह और श्री अरबिन्दो मंडल ने मिट्टी की दीवार पार की, घर में घुसे, अच्छी प्रकार मोर्चा संभाले हुए आतंकवादी की तरफ रेंगते हुए गए और उसे मारने में सफल हो गए। नई शक्ति और दृढ़ निश्चय के साथ वे दोनों रेंगते हुए आगे बढ़े और देखा कि एक अन्य आतंकवादी अनाज भंडार कम्पार्टमेंट के एक कमरे के ऊपर से रुक-रुक कर गोली चला रहा था जो पुलिस कार्मिकों द्वारा हथगोले फेंकने के बावजूद जख्मी नहीं हुआ था। कांस्टेबल सुरेन्द्र सिंह और कांस्टेबल अरबिन्दो मंडल बिना समय गंवाए इसे समाप्त करने के लिए रेंगते हुए आगे गए लेकिन दुर्भाग्यवश आतंकवादी ने उन्हें देख लिया जिसने अपने मोर्चे से उनपर गोली चलाई जिससे वे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद वे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे और आतंकवादी को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया जो बाद में मर गया। कांस्टेबल सुरेन्द्र सिंह और कांस्टेबल अरबिन्दो मंडल की भी अपना कार्य पूरा करने के बाद जख्मों के कारण मृत्यु हो गई।

मृतक आतंकवादियों की बाद में सुखविन्दर सिंह उर्फ पप्पू और हरजीत सिंह उर्फ तोता के रूप में शिनाख्त की गई और घटनास्थल से 2 ए० के०-47 स्वचालित राईफल, 5 ए० के०-47 राईफल मैगजीन, ए० के०-47 राइफलों के 1200 सक्रिय कारतूस, एक 12 बोर बैरल शार्टेन्ड डी० बी० बी० एल० गन और बड़ी संख्या में प्रयुक्त गोलियों के खोल बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री अरबिन्दो मंडल और श्री सुरेन्द्र सिंह कान्स्टेबलों ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 3 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृति भत्ता भी दिनांक 2 मार्च 1989 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

सं० 37-प्रेज/92—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

श्री अब्दुल माजीद,
लांस नायक,
18वीं बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

आतंकवादियों ने 8 तथा 17–18 अगस्त, 1990 की मध्य रात्रि में जालन्धर जिले के मुकाबल एवं गेल गांवों से तीन लड़कियों का अपहरण किया। उनमें से एक लड़की को आतंकवादियों द्वारा उसी रात को मार दिया गया। इससे स्थानीय जनता में काफी रोष उत्पन्न हो गया और आतंकवादियों से शेष दो लड़कियों को छुड़ाने के लिए प्रशासन पर दबाव डाला।

24 अगस्त 1990 को यह सूचना मिलने पर कि दो आतंकवादी दो लड़कियों के साथ गिल गांव के तेजा सिंह के घर में छिपे हुए थे, पंजाब पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक संयुक्त दल ने कपूरथला के एस० एस० पी० के नेतृत्व में एक विशेष अभियान चलाया। श्री अब्दुल माजीद भट, एस० एस० पी० कपूरथला की एस्कार्ट पार्टी के सदस्य थे। उस गांव में पहुंचने पर पुलिस दल ने तेजा सिंह के घर में कुछ संदिग्ध हलचल देखी और तुरन्त ही मकान को घेर लिया जिससे आतंकवादी भाग न सकें। इसके जवाब में घर में छिपे आतंकवादियों ने पुलिस दल पर गोलियां चलानी आरम्भ कर दीं। पुलिस दल ने भी मोर्चा संभाला और आत्मरक्षा में गोलीबारी शुरू कर दी डेढ़ घंटे तक गोलाबारी जारी रही। पुलिस दल द्वारा की गई गोलाबारी का जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो आतंकवादियों को बाहर खींचने के लिए मकान के अन्दर हथगोले दागने का निर्णय लिया गया। श्री अब्दुल माजीद भट ने यह जोखिम भरा काम अपने ऊपर लिया और भारी गोलाबारी के बीच अत्याधिक जोखिम के साथ रेंगते हुए छत पर चढ़े और उस पर छेद किए तथा आतंकवादियों को घर से बाहर आने के लिए मजबूर करने हेतु घर में अश्रुगैस के गोले छोड़े। एक अपहृत लड़की घायल अवस्था में बाहर आने में सफल हुई और पुलिस दल को सूचित किया कि अपहृत दूसरी लड़की को आतंकवादियों ने मार दिया है। अश्रु गैस के गोले छोड़ने के बाद भी जब आतंकवादी लगातार गोलाबारी करते रहे तो एस० एस० पी० कपूरथला ने लांस नायक श्री भट को छत के ऊपर छेदों से हथगोले छोड़ने का निर्देश दिया आतंकवादियों द्वारा स्वचालित हथियारों से भारी गोलाबारी के बीच अपने प्राणों को जोखिम में डाल कर वह फिर रेंगते हुए छत के ऊपर चढ़ गए और हथगोले दागे। जब आतंकवादियों की ओर से कोई गोलाबारी नहीं हुई तब पुलिस दल द्वारा तलाशी ली गई और दो आतंकवादियों व एक लड़की के शव पड़े मिले। बाद में मृतक आतंकवादियों की पहचान की गई जो गांव गेली के सुखदेव सिंह पुत्र उजागर सिंह तथा अमरजीत सिंह निकले। दोनों ही आतंकवादियों के सी० एफ० गुरमुख सिंह नगोक ग्रुप के सक्रिय सदस्य थे। मुठभेड़ स्थल से 2 ए० के० 47 राइफलें, 4 मैगजीन, एक 32 बोर पिस्तौल, 211 चक्र गोलियां तथा 51,650/- रुपये नकदी भी पकड़ी गई।

इस मुठभेड़ में लांस नायक श्री अब्दुल माजीद ने उत्कृष्ट वीरता साहस व उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 अगस्त, 1990 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

सं० 38-प्रेज 92—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री जय प्रकाश,
कमांडेन्ट,
7वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री समिउल्ला खान, (मरणोपरान्त)
उपनिरीक्षक,
7वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

17 नवम्बर, 1990 को लगभग 7300 बजे सूचना मिलने पर श्री समिउल्ला खान उपनिरीक्षक डी० कम्पनी 7वीं बटालियन सी० आर० पी० एफ० 15 कार्मिकों सहित और एस० एच० ओ० अजनाला, 6 कार्मिकों सहित श्री सविन्दर सिंह ग्राम गोरे नांगल पुलिस स्टेशन रामदास के फार्म हाउस में पहुंचे। कुछ ही देर में श्री खान ने आतंकवादियों को घेर लिया तब आतंकवादियों ने पुलिस दल पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी लेकिन भयभीत न होते हुए श्री खान ने अपने आदमियों को गोलीबारी करने के आदेश दिए और आतंकवादियों की गोलीबारी पर अपना दबदबा बनाए हुए पूरे समय तक उनके आदमी तैनात रहे इस परिस्थिति में एक आतंकवादी अपने साथियों द्वारा भारी गोलीबारी से घेरे को तोड़कर भाग निकला और उसने स्वयं अपनी ए० के०-47 राइफल से गोली चलाई। श्री खान मुड़े और भागते हुए आतंकवादी पर गोली चलाई लेकिन नजदीक से चलाई गई गोली से वह घायल हो गए। अपने घावों की परवाह न करते हुए उन्होंने आतंकवादी पर गोली चलाना जारी रखा और दूर जाने से पहले उसे मार दिया। दृढ़ निश्चयी श्री खान ने अपने साथियों को और अधिक बल पहुंचने तक लड़ने के लिए प्रेरित किया। घायल श्री खान को अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले उन्होंने दम तोड़ दिया।

मुठभेड़ की सूचना मिलने पर श्री जय प्रकाश कमांडेंट के अन्तर्गत अपने वाला दल और श्री भारद्वाज पुलिस उपाधीक्षक और उनका दल घटना स्थल पर पहुंचे। तुरन्त श्री जय प्रकाश ने आदेश दिया और दक्षिण तरफ एक नलकूप पर एल० एम० जी० तैनात की और जी० एफ० राइफल और 2" मोर्टर तैनात किए आतंकवादी सुरक्षित स्थान से रोशनदानों, खिड़कियों दरवाजों और खाली पशु-छप्परों से बदल-बदल कर गोलीबारी कर रहे थे। पुलिस महानिरीक्षक (आपरेशन्स) सी० आर० पी० एफ० पंजाब और अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक अमृतसर मुठभेड़ देखने के लिए पहुंचे श्री जय प्रकाश ने उनको अगली कार्रवाई के बारे में बताया और श्री भारद्वाज, पुलिस उपाधीक्षक को पूर्वी तरफ स्थानान्तरित किया क्योंकि उस ओर से पुलिस दल भारी गोली-बारी का सामना कर रहा था। श्री भारद्वाज ने उस ओर एक एल० एम० जी० तैनात की। इसी बीच श्री जय प्रकाश दक्षिणी और पूर्वी तरफ से पैदल आगे बढ़े लेकिन उनके वाहन पर गोलियों की बौछार कर दी। इस स्थिति में पुलिस महानिरीक्षक के कांस्टेबल (ड्राइवर) श्री एम० के० विर्क ने इस तथ्य को पूरी तरह से जानते हुए कि दूसरे वाहन पर भारी गोलीबारी हो रही है तुरन्त अपेक्षित भारी हुई राइफल ग्रेनेड लाकर के अदम्य वीरता दिखाते हुए वाहन को सुरक्षित रखा। अत्यन्त कठिनाई से उन्होंने अपने वाहन को हटाया। आतंकवादी की एक गोली श्री विर्क को लगी और उन्हें तुरन्त अस्पताल ले जाया गया लेकिन बाद में अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। श्री जय प्रकाश ने उत्तर से उनके दल का नेतृत्व किया जब एस० एच० ओ० को अजनाला के अन्तर्गत आने वाला दल दक्षिण से आया। फार्म हाऊस के पास पहुंचने पर पुलिस दल ने गोलीबारी रोक दी लेकिन आतंकवादियों ने अपनी गोलीबारी जारी रखी, श्री जय प्रकाश अपने वाहन से कूद पड़े और फार्म हाउस के आहते के भीतर हथगोला फेंका जिससे आतंकवादियों ने एक कमरे और पशु-शैड में शरण ली और इससे पहले कि वह इस सदमें को बर्दाश्त कर पाते एक कमरे की छत पर एक एल० एम० जी० तैनात किया जिससे आतंकवादियों को एक कमरे से दूसरे कमरे में आने-जाने में रुकावट हो गई। आतंकवादियों ने एल० एम० जी० पर भारी गोलाबारी की लेकिन इसी बीच श्री जय प्रकाश ने दूसरे कमरे की छत पर दो आदमी तैनात करें। श्री भारद्वाज पुलिस अधीक्षक तब तक श्री जय प्रकाश के दल में शामिल हो गए थे। पशु शैड की छत पर चढ़ गए और छत पर छेद करने के पश्चात कुछ हथगोले उस स्थान पर फेंके जहां पर आतंकवादी गोलीबारी कर रहे थे ऐसा करने के पश्चात् आतंकवादियों ने गोलीबारी रोक दी। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना श्री भारद्वाज ने कमरों की तलाशी लेने के लिए छोटे से दल का नेतृत्व किया लेकिन इस प्रक्रिया से उन्हें ए० के० 47 राइफल से नजदीक से आती हुई गोली लगी। उन्होंने अपनी पिस्तौल से गोली दागी। जबकि उनके दाएं हाथ पर गोली लगी थी और उनके साथ अन्य घायल

कार्मिक को अस्पताल ले जाया गया और हथगोले फैंकने और एल० एम० जी० चलाने के पश्चात् उन्होंने अपने छोटे दल का नेतृत्व किया और लगभग 1930 बजे फार्म हाउस की तलाशी ली । इस मुठभेड़ में छः कट्टर आतंकवादी मारे गए जबकि ए० के० 47 राइफल एक .303 राइफल, एक पिस्तौल और जिन्दा और खाली कारतूसों को काफी मात्रा मुठभेड़ के स्थान से बरामद की गई ।

इस मुठभेड़ में श्री जयप्रकाश कमांडेन्ट और श्री समिउल्ला खान, उप-निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 नवम्बर, 1990 से दिया जाएगा ।

ए०के० उपाध्याय,
निदेशक

सं० 39-प्रेज/92—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पता

श्री एस० सी० भारद्वाज,
पुलिस उपाधीक्षक,
7 बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री एम० के० बर्की, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल (ड्राइवर),
7 बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

17 नवम्बर, 1990 को लगभग 7.00 बजे सूचना मिलने पर, श्री समिउल्ला खान, उप-निरीक्षक, डी कम्पनी 7 बटालियन, सी० आर० पी० एफ०, 15 कार्मिकों सहित और एस० एच० ओ० अजनाला, 6 कार्मिकों सहित, श्री मविन्दर सिंह ग्राम गोरे नांगल पुलिस स्टेशन, राम दास के फार्म हाउस में पहुंचे । कुछ ही देर में श्री खान से आतंकवादियों को घेर लिया तब आतंकवादियो ने पुलिस दल पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी लेकिन भयभीत न होते हुए श्री खान ने अपने आदमियों को, गोलीबारी करने के आदेश दिये और आतंकवादियों की गोलीबारी पर अपना वर्चस्व बनाए हुए पूरे समय तक उनके आदमी तैनात रहे । इस परिस्थिति में, एक आतंकवादी अपने साथियों द्वारा भारी गोलीबारी से घेरे को तोड़कर भाग निकला और उसने स्वयं अपनी ए०के०-47 राइफल से गोली चलाई । श्री खान मुड़े और भागते हुए आतंकवादी पर गोली चलाई लेकिन नजदीक से चलाई गई गोली से वह घायल हो गए । अपने घावों की परवाह न करते हुए उन्होंने आतंकवादी पर गोली चलाना जारी रखा और दूर जाने से पहले उसे मार दिया । वृद्ध निष्ठावी श्री खान ने अपने साथियों को और अधिक बल पहुंचने तक लड़ने के लिए प्रेरित किया । घायल श्री खान को अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले उन्होंने दम तोड़ दिया ।

मुठभेड़ की सूचना मिलने पर, श्री जयप्रकाश कमांडेंट के अन्तर्गत अपने वाला दल और श्री भारद्वाज पुलिस उपाधीक्षक और उनका दल घटना स्थल पर पहुंचे । तुरन्त श्री जयप्रकाश ने आदेश दिया और दक्षिण तरफ एक नलकूप पर एल० एम० जी० तैनात की और जी० एफ० राइफल और 2" मोर्टर तैनात किए आतंकवादी सुरक्षित स्थान से रोशनदानों, खिड़कियों, दरवाजो और खाली पशु-छप्परों से बदल-बदल कर गोलीबारी कर रहे थे । पुलिस महानिरीक्षक (आपरेशन्स), सी० आर० पी० एफ० पंजाब और अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक अमृतसर मुठभेड़ देखने के लिए पहुंचे । श्री जयप्रकाश ने उनको अपनी कार्रवाई के बारे में बताया और श्री भारद्वाज, पुलिस उपाधीक्षक को पूर्वी तरफ स्थानांतरित किया क्योंकि उस ओर से पुलिस दल भारी गोली-बारी का सामना कर रहा था । श्री भारद्वाज ने उस ओर एक एल० एम० जी० तैनात की । इसी बीच श्री जयप्रकाश दक्षिणी ओर पूर्वी तरफ से पैदल आगे बढ़े लेकिन उनके वाहन पर गोलियों की बौछार कर दी । इस स्थिति में, पुलिस महानिरीक्षक के कांस्टेबल (ड्राइवर) श्री एम० के० बर्की ने इस तथ्य को पूरी तरह से जानते हुए कि दूसरे वाहन पर भारी गोला-बारी हो रही है तुरन्त अपेक्षित भरी हुई रायफल ग्रेनेड लांचर के अदम्य वीरता दिखाते हुए वाहन को सुरक्षित रखा । अत्यन्त कठिनाई से उन्होंने अपने वाहन को हटाया । आतंकवादी की एक गोली श्री बर्की को लगी और तुरन्त अस्पताल ले जाया गया लेकिन बाद में अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी मृत्यु हो गई । श्री जयप्रकाश ने उत्तर से उनके दल का नेतृत्व किया जब एम० एच० ओ० अजनाला के अन्तर्गत आने वाला दल दक्षिण से आया । फार्म हाउस के पास पहुंचने पर पुलिस दल ने गोलीबारी रोक दी लेकिन आतंकवादियों ने अपनी गोलीबारी जारी रखी, श्री जयप्रकाश अपने वाहन से कूद पड़े और फार्म हाउस के अहाते के भीतर हथगोला फैंका जिससे आतंकवादियों ने एक कमरे और पशुशैड में शरण ली और इससे पहले कि वह इस सबमे को बर्दाश्त कर पाते, एक कमरे की छत पर एक एल० एम० जी० तैनात किया जिससे आतंकवादियों को एक कमरे से दूसरे कमरे में आने-जाने में रुकावट हो गई । आतंकवादियो ने एल० एम० जी० पर भारी गोली-बारी करी लेकिन इसी बीच श्री जयप्रकाश ने दूसरे कमरे की छत पर दो आदमी तैनात करे । श्री भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक तब तक श्री जय प्रकाश के दल में शामिल हो गए थे । पशु शैड की छत पर चढ़ गए और छत पर छेद करने के पश्चात कुछ हथगोले उस स्थान पर फैंके जहां पर आतंकवादी गोलीबारी कर रहे थे, ऐसा करने के पश्चात आतंकवादियों ने गोलीबारी रोक दी । अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना श्री भारद्वाज ने कमरों की तलाशी लेने के लिए छोटे से दल का नेतृत्व किया, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्हें ए० के० 47 राइफल से नजदीक से आती गोली लगी । उन्होंने अपनी पिस्तौल से गोली दागी । जबकि उनके बांए हाथ पर गोली लगी थी और उनके साथ अन्य घायल कार्मिक को अस्पताल ले जाया गया और हथगोले फैंकने और एल० एम० जी० चलाने के पश्चात उन्होंने अपने छोटे दल का नेतृत्व किया और लगभग 19.30 बजे फार्म हाउस की तलासी ली । इस मुठभेड़ में छः कट्टर आतंकवादी मारे गए जबकि 4 ए० के० 47 राइफल, एक .303 राइफल, एक पिस्तौल और जिन्दा और खाली कारतूसों की काफी मात्रा मुठभेड़ के स्थान से बरामद की गई ।

इस मुठभेड़ में श्री एस० सी० भारद्वाज, पुलिस उपाधीक्षक और श्री एम० के० बर्की, कांस्टेबल (ड्राइवर) ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ते भी दिनांक 17 नवम्बर, 1990 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

सं० 40-प्रेज/92—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री एस० एन निम्बालकर,
सहायक कमांडेंट,
76वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री आर० एस० मीना,
कांस्टेबल,
76वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

5 दिसम्बर, 1990 को लगभग 07·35 बजे जबकि सूर सिंह ग्राम में एक विशेष तलाश/खोजबीन अभियान चल रहा था, लगभग 600 गज की दूरी पर शस्त्र से लैस चार संदिग्ध व्यक्ति पु० स्टे० झबल के अन्तर्गत मल्लियन गांव के लगभग 2 कि० मी० करीब गुरुद्वारा बाबा सिधों की ओर भागते हुए देखे गए । जब खोजी दल ने उन्हें खोजबीन हेतु रुकने के लिए ललकारा तो उन्होंने तत्काल ही खोजी दल पर स्वचालित हथियारों से गोलाबारी शुरु कर दी किन्तु खोजी दल ने भी आत्म-रक्षा के लिए गोली चलाई । तथापि आतंकवादी भागने में सफल हो गए और मल्लियान गांव में छिप गए। गांव को शीघ्र ही घेर लिया गया और अधिक पुलिस बल की मांग की गई । सूचना मिलने पर सहायक कमांडेंट श्री एस० एन० निम्बालकर कांस्टेबल श्री आर० एस० मीना समेत अपने बल के साथ घटना स्थल पर लगभग 08.00 बजे पहुंचे । इसी बीच दूसरी कम्पनी भी वहां पहुंच गई और श्री निम्बालकर ने स्थिति का जायजा लिया । भू-स्थिति और भू-आकृति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने घेरा और मजबूत करके खोज अभियान शुरू किया । उन्होंने भागने के सभी सम्भाव्य मार्गों पर नजर रखते हुए तीन प्रमुख मकानों की छत पर दलके तीन ग्रुपों को तैनात किया। खोज अभियान के दौरान एक घर में आतंकवादियों का पता चल गया जिन्हें घर से जाने के लिए ललकारा गया, किन्तु आतंकवादी घर से बाहर नहीं निकले । भीतर से कोई उत्तर न मिलने पर पुलिस दल ने छत पर किए एक छेद में से दो गोले फेंके । इसके परिणामस्वरूप एक आतंकवादी मकान से बाहर भागा और अपने स्वचालित हथियार से गोलियां बरसाने लगा जिसमें एक सब-इंस्पैक्टर की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई । वह आतंकवादी भी छत पर खड़े दल के अन्य सदस्यों द्वारा मार डाला गया । गोले गिराने से मकान में छिप रहे किसी भी आतंकवादी के कोई नुकसान नहीं पहुचा और वे पुलिस दल पर दरवाजों/खिड़कियों में से गोलाबारी करते रहे । श्री निम्बालकर ने दृढ़ निश्चयी और चारों तरफ से घिरे हुए आतंकवादियों को समाप्त करने की दृष्टि से एक अंतिम प्रयास का निर्णय किया। बड़े ही उत्साह के साथ और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उस मकान के जिसमें आतंकवादी छिपे हुए थे, सामने लगभग 15 फीट की दूरी पर स्थित दूसरे मकान की छत पर चढ़ गए और मकान के भीतर अपने एल एम जी० हथियार से गोली बरसाने लगे । उन्होंने आतंकवादियों को मारने के लिए लगभग 27 राउंड गोलाबारी की और ग्लाइंड गोलों को नष्ट कर दिया । इसी समय श्री निम्बालकर के निर्देश कांस्टेबल श्री आर० एस० मीना ने छत पर एक दूसरा बड़ा छेद कर दिया और कमरे के भीतर माल्टोव कोकटेल गैस फेंके । कुछ आंतरायिक फायरिंग को छोड़ कर भीतर से हो रही गोलाबारी बंद हो चुकी थी, आन्तरायिक फायरिंग को भी श्री निम्बालकर ने छत से पुनः हथगोले फेंक कर बंद कर दिया था । लगभग 16·30 बजे गोलाबारी पूर्ण रूप से बंद हो गई । मकान की तलाशी लेने पर जस्सा सिंह उर्फ जागीर सिंह, बलविन्दर सिंह और अवतार सिंह नामक आतंकवादी मृतक पाए गए जबकि चौथे आतंकवादी का पूरा शरीर झुलस जाने के कारण उसकी शिनाख्त नहीं की जा सकी ।

इस मुठभेड़ में श्री एस० एन० निम्बालकर, सहायक कमांडेंट और श्री आर० एस० मीणा, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 दिसम्बर, 1990 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

सं० 41-प्रेस/92—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

श्री बिन्देश्वरी सिंह,
हैड कांस्टेबल,
41वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 25 मई, 1991 को हैड कांस्टेबल, श्री बिन्देश्वरी सिंह के नेतृत्व में 41वीं बटालियन की "बी" कम्पनी की छठी प्लाटून की एक टुकड़ी को 18-00 बजे से 2300 बजे के बीच चनी विन्ड (अमृतसर) नामक स्थान पर नाका ड्यूटी पर तैनात किया गया था । लगभग 2030 बजे दो संदिग्ध साईकल सवारों को नाका दल की ओर आते हुए देखा । नाकादल ने तुरन्त संदिग्ध व्यक्तियों को ललकारा । ललकारे जाने पर वे साईकल से उतर गए और उनमें से एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति को वहीं छोड़कर स्वयं नाका-बंदी वाले स्थान के काफी करीब आ गया । जब ड्यूटी पर तैनात एक कांस्टेबल उस संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ा तो उस आतंकवादी ने तुरन्त एक पिस्तौल निकाली और गोली चला दी । कांस्टेबल ने प्रतिक्रिया में तत्काल लेट कर पोजीशन ले ली और अपने आप को गोली के वार से बाल-बाल बचा लिया । श्री बिन्देश्वरी सिंह, जो नाका चौकी की दूसरी ओर तैनात थे, पिस्तौल की गोली की आवाज सुनकर तुरन्त घूमे तथा स्थिति का तेजी से मूल्यांकन करते हुए और दृढ़ निश्चय

और बुद्धिमता का परिचय देते हुए रेंगते हुए आतंकवादी के ऊपर झपटे और उसे दबोच लिया, जिससे आतंकवादी की गोलियां निष्प्रभावी हो गई । परन्तु युवा आतंकवादी ने श्री बिन्देश्वरी सिंह की कलाई मोड़ डाली, जिसके परिणाम-स्वरूप गोली चल पड़ी और श्री बिन्देश्वरी सिंह की बांई बाजू को भेदती हुई निकल गई । गहरे घावों के बावजूद और अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने आतंकवादी को कस कर पकड़े रखा और फुर्तीले कांस्टेबल ने आतंकवादी को गोली से मार डाला ।

इस मठभेड़ में श्री बिन्देश्वरी सिंह, हैड कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 मई, 1991 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

सं० 42-प्रेज/92—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

श्री आन सिंह, (मरणोपरान्त)
उप-निरीक्षक,
66वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

पुलिस उप-निरीक्षक के नेतृत्व में नन्दपुर गांव के आस-पास भेजी गई कुमक के सदस्य श्री आन सिंह, उप-निरीक्षक 7 सितम्बर, 1990 को लगभग 10.00 बजे, जहां पर सुरक्षा बल गन्ने के खेतों में छुपे हुए आतंकवादियों को पहले से ही उलझाए हुए थे । सुरक्षा बलों ने गन्ने के खेतों को घेर रखा था, परन्तु आतंकवादियों द्वारा अत्याधुनिक हथियारों से भारी गोलाबारी करने के कारण पुलिस दल खेतों में नहीं पहुंच पा रहे थे । इस स्थिति में यह निर्णय लिया गया कि गन्ने के खेतों में छापा मार कर आतंकवादियों का सफाया किया जाए । श्री आन सिंह उप-निरीक्षक को इस प्रत्यक्ष खतरे की पूरी जानकारी थी, फिर भी छापामार दल का नेतृत्व करने के लिए वे स्वयं आगे आये । अपने दल सहित श्री सिंह बड़े ही युक्तिपूर्ण ढंग से अपनी एलन एम जी से आतंकवादियों पर गोली चलाते हुए आगे बढ़े, जिससे आतंकवादियों ने अपने को पूरी तरह से घिरा समझ पाकर अपना मोर्चा बदलने का निर्णय किया । वे भागने के इरादे से छापामार दल पर गोली चलाते रहे, जिससे काफी लोग हताहत हुए । आतंकवादियों के प्रयास को व्यर्थ साबित करने के लिए श्री आन सिंह एकदम आगे बढ़े । अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिलकुल परवाह न करते हुए तथा केवल आतंकवादियों का सफाया करने के अभिप्राय से वे उत्कृष्ट साहस का परिचय देते हुए उनपर झपट पड़े । उन्होंने अपनी एल० एम० जी० से आतंकवादियों पर गोली चलाई और उनमें से एक को गोली से मार डाला । उसी समय दो अन्य आतंकवादियों से उनका मुकाबला हुआ जो निकट से उनपर गोली चला रहे थे । इसके परिणाम-स्वरूप वे गोलियों से गम्भीर रूप से घायल हो गए और नीचे गिर पड़े परन्तु फिर भी वे प्रभावी रूप से अपने दल का नेतृत्व करते रहे और अपने दल को आतंकवादियों का मुकाबला करते रहने का आदेश देते रहे । उनके कुशल नेतृत्व तथा निर्देशन में अन्य आतंकवादी भी गोली से मार दिए गए परन्तु इस प्रक्रिया में श्री आन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए । कुल मिलाकर तीन आतंकवादी मारे गए और उनसे भारी मात्रा में शस्त्र तथा गोली बारूद बरामद हुआ ।

इस मुठभेड़ में श्री आन सिंह, उप-निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7 सितम्बर, 1990 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

सं० 43-प्रेज/92— राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री डी० ए० धनञ्जैया,
कमांडेन्ट,
66 बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री पी० वी० सिंह,
सहायक कमांडेन्ट,
66 बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री यशवीर सिंह,
लांस नायक सं० 800661701,
66 बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री देवेन्द्र पाल,
कांस्टेबल सं० 880942368,
66 बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

29 मई, 1991 को यह सूचना प्राप्त होने पर कि के० एल० एफ० निशान मुख्य गुट के स्वयंभू ले० जनरल बलदेव सिंह देबा उर्फ लंगड़ा एक अन्य कट्टर आतंकवादी बलवीर सिंह उर्फ बुला बट्टी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की हत्या करने के इरादे से उमोक, कैरों तथा वामनीवाला गांव के आस-पास घूम रहा है, श्री बी० पी० सिंह, सहायक आयुक्त (प्रचालन) योजना के मुताबिक तुरन्त हरकत में आ गए और आतंकवादियों के छिपने के ठिकाने पर आक्रमण तलाशियां की गई। उपरोक्त गांव के फार्म हाउसों की तलाशी के लिए श्री सिंह के नेतृत्व में सिविल पुलिस सहित सुरक्षा बल को तीन टुकड़ियों में बांट दिया गया। जब एक तलाशी टुकड़ी जामनीवाला गांव के निकट पहुंची तो उन पर एक घर से गोली चलाई गई। पुलिस दल ने तुरन्त घर के निकट सामरिक पोजीशन ले ली जब सिविल पुलिस का एक सब-इंस्पेक्टर अत्यन्त साहस पूर्वक गोली चलाने के स्थान का पता लगाने के लिए संकरी गलियों में घुस गया लेकिन उस पर गोली चलाई गई और गोली उसके गरदन में लगी और वह गिर पड़ा। लांसनायक श्री यशवीर सिंह और कांस्टेबल देवेन्द्र पाल ने आतंकवादियो की गोलीबारी का जवाब दिया और उन्हें काबू में रखा। इस बीच श्री पी० वी० सिंह जो पास के गांव में थे घटना की खबर पाकर घटना स्थल की ओर दौड़े और सब इंस्पेक्टर को अब भी वहां पड़ा हुआ पाया और उसे वहां से हटाने की आवश्यकता थी। लेकिन उसके आस-पास जाना अत्यधिक जोखिम भरा कार्य था क्योंकि आतंकवादी भारी गोलाबारी कर रहे थे, श्री सिंह जोखिम और परिणाम की परवाह किए बिना एक सहायक के साथ उस स्थान पर पहुंचे और गम्भीर रूप से घायल एस० आई० को अस्पताल पहुंचाया। इस बीच श्री डी० ए० धनन्जैया, कमांडेंट घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेने के बाद श्री सिंह को कार्य-योजना की जानकारी दी। योजना के मुताबिक श्री धनन्जैया और श्री सिंह ने उस घर की छत पर पहुंचने का फैसला किया जहां आतंकवादी छुपे हुए थे। जब ये दोनों अधिकारी एक छत से दूसरी छत में जा रहे थे तो आतंकवादियों ने रोशनदानों से उन्हें देख लिया और उनपर गोली चलाई। लेकिन भारी गोली बारी की परवाह किए बिना ये दृढ़ प्रतिज्ञ अधिकारी गम्भीर खतरा उठाकर अत्यन्त दिलेरी दिखाते हुए दीवार पर चढ़े और घर की छत पर पहुंच गए। मिट्टी तथा कड़ियों से बनी छत पतली थी जहां गोलियां आर-पार हो सकती थी। श्री सिंह ने श्री धनन्जैया के मार्गनिर्देश में एक लोहे की छड़ी से छत में सुराख करने शुरू कर दिए जिससे आतंकवादियों ने उनपर गोलियों की झड़ी लगा दी लेकिन अधिकारी बुद्धिमत्ता पूर्वक उनसे अपने को बचा गए। दोनों अधिकारियों ने छत पर सुराख करने के बाद हथगोले से हमला बोल दिया जिसके पीछे एल० एम० जी० की भारी गोलीबारी की गई और श्री धनन्जैया ने अपने सर्विस रिवाल्वर से गोली चलाई धावा बोलने के बाद कमांडेंट श्री धनन्जैया, सहायक कमांडेन्ट श्री बी० पी० सिंह, लांसनायक और श्री देवेन्द्र पाल कांस्टेबल की सुरक्षा कवच गोलीबारी में अपनी जान की परवाह किए बिना अन्तिम हमले के लिए आंगन में प्रविष्ट हुए जिसके दौरान आमने सामने की मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकवादियों की ले० जनरल बलदेव सिंह उर्फ देबा उर्फ लंगड़ा तथा बलवीर सिंह उर्फ बुला के रूप में पहचान की गई और उनके पास से हथियार तथा गोलाबारूद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री डी० ए० धनन्जैया, कमांडेंट, श्री बी० पी० सिंह, सहायक कमांडेंट, श्री यशवीर सिंह, लांसनायक तथा श्री देवेन्द्र पाल, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 29 मई, 1991 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

सं० 44-प्रेज/92—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री सुभाष उपाध्याय,
उप निरीक्षक सं० 650172086, (मरणोपरांत)
46वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,

श्री प्रह्लाद सिंह,
कांस्टेबल नं० 891180065,
46वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

8 मार्च, 1991 को श्री सुभाष उपाध्याय, उप निरीक्षक को श्री प्रह्लाद सिंह, कांस्टेबल सहित उनके दल के साथ एस० आर० डी० सो०/सिविल क्रासिंग पर आतंकविरोधी ड्यूटियों के लिए तैनात किया गया था, जहां पर पहले अपहरण तथा हत्या की घटनाएं हुई थी। दल 0745 बजे पैदल रवाना हुआ और दो ग्रुपों में बंट गया। श्री उपाध्याय ने सड़क के दोनों ओर 9 आदमियों को तैनात किया और आगे की ओर से स्वयं अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया। जब दल खराजाबाग नामक स्थान पर पहुंचा तो निकटवर्ती भवनों तथा बाड़ में छुपे हुए आतंकवादियों ने घात लगाई उन्होंने सभी दिशाओं से पुलिस दल पर छुट-पुट गोलीबारी

शुरू कर दी। श्री उपाध्याय ने अपने कर्मिकों को तुरन्त गोली का जवाब गोली से देने का निर्देश दिया। दोनों ओर से लगभग 20 मिनट तक गोली चलती रहीं, इस प्रक्रिया में श्री उपाध्याय को एक गोली लगी और वे नीचे गिर गए। घायल होने की हालत में भी उन्होंने स्थिति से अपना नियंत्रण नहीं खोया और अपने हथियार से आतंकवादियों पर गोली चलाते रहे और साथ ही साथ बेहोश होने तक अपने वायरलैस सेट से नियंत्रण कक्ष के साथ सम्पर्क बनाए रखा। अपनी इस दृढ़निश्चय तथा वीरतापूर्ण कार्रवाई से श्री उपाध्याय ने आतंकवादियों को नियंत्रित रखा, जिसके परिणामस्वरूप कुछ आतंकवादियों वहां से भाग गए। इसी बीच जख्मों के कारण श्री उपाध्याय की मृत्यु हो गई। श्री उपाध्याय को घायल तथा बेहोश स्थिति में देखकर, एक आतंकवादी स्थिति का फायदा उठाकर, श्री उपाध्याय का हथियार और वायरलैस सेट छीनने के लिए समीप के भवन की एक दीवार से कूदकर श्री उपाध्याय के पास पहुंचा। उग्रवादी को अपनी ओर आता देखकर श्री प्रहलाद ने तुरन्त उसपर गोली चला दी और उसे घटनास्थल पर ही मार दिया। श्री प्रहलाद ने अपनी सूझ-बूझ तथा तत्काल कार्रवाई से 30 राउण्ड सहित, एक कारबाईन तथा एक वायरलेस सेट को बचा लिया। मृत आतंकवादी की बाद में एरिया कमांडर के रूप में शिनाख्त की गई और उसके कब्जे से 3 मैगजीन तथा ए० के०-47 राइफल के 57 सक्रिय राउण्ड की एक थैली मिली।

इस मुठभेड़ में श्री सुभाष उपाध्याय, उप-निरीक्षक तथा श्री प्रहलाद सिंह, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 मार्च, 1991 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

सं० 45 प्रेज/92—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री एस० इलांगो,
पुलिस उप-अधीक्षक,
73वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

श्री एस० इलांगो, पुलिस उप-अधीक्षक, 14 जनवरी, 1991 को सांय लगभग 5 बजे जब अपने दल के साथ बुटाला गांव क्षेत्र में गश्त लगा रहे थे तो उन पर लगभग दस आतंकवादियों के एक दल ने हमला कर दिया था। गश्ती दल ने तत्काल मोर्चा संभाल लिया तथा जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ देर की मुठभेड़ के बाद आतंकवादियों ने विभिन्न दिशाओं में दौड़ना शुरू कर दिया। 6-7 आतंकवादी बुटाला गांव से होकर भागने में सफल हो गए लेकिन अन्य तीन आतंकवादियों ने नजदीक के एक बाग में घुस कर गश्ती दल पर गोली बारी करना जारी रखा। श्री इलांगो ने तत्काल अपने दल को दो ग्रुपों में विभाजित कर दिया। इनमें से एक ग्रुप ने आतंकवादियों का पीछा किया जबकि दूसरा ग्रुप ग्राम के निकट सड़क की ओर चल दिया ताकि आतंकवादियों को भागने से रोका जा सके। तीन आतंकवादी, जिनका पीछा गश्ती दल कर रहा था, एक फार्म हाऊस में घुस गए तथा इसकी चारदीवार फांद कर भागने की कोशिश करने लगे लेकिन दूसरी पार्टी ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। इसके परिणामस्वरूप, आतंकवादियों को फार्म हाऊस में शरण लेनी पड़ी थी। श्री इलांगो ने तत्काल उपलब्ध बल के साथ फार्म हाऊस को घेर लिया तथा इसी बीच और अधिक बल भेजने के लिए सूचना भेज दी। फार्म हाऊस के अन्दर छिपे आतंकवादी गश्ती दल पर काफी गोलीबारी कर रहे थे लेकिन इतने विचलित हुए बिना श्री इलांगो ने गश्ती दल को पुनः संगठित किया, फार्म हाऊस के चारों ओर घेरे को कस दिया तथा अपनी टीम के सदस्यों को स्थान बदल कर उपयुक्त मोर्चा संभालने का निर्देश दिया आतंकवादियों ने फार्म हाऊस से गोली चलाना जारी रखा लेकिन श्री इलांगो ने कुमुक आने तक उनको रोके रखा। इसी समय श्री इलांगो ने महसूस किया कि अंधेरा तेजी से बढ़ता जा रहा था तथा फलैट ट्रैजेक्टरी हथियारों से गोली बारी का उक्त प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इसलिए उन्होंने अन्तिम हमला करने की आवश्यकता महसूस की। कुमुक के साथ आए कमांडेट के मार्ग निर्देशन में वह खतरे की परवाह न करते हुए पांच अन्य जवानों के साथ रेंगते हुए फार्म हाऊस के अन्दर प्रवेश कर गए। श्री इलांगो भारी गोली बारी के बावजूद रेंगते हुए कमरे की दीवार तक पहुंच गए जहां पर तीन आतंकवादियों ने मोर्चा संभाला हुआ था तथा अपने स्वचालित हथियारों से लगातार गोली बारी कर रहे थे। हालांकि श्री इलांगो पर भारी गोलीबारी हो रही थी लेकिन उन्होंने इसकी परवाह न करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना जारी रखा जिस कमरे से आतंकवादी गोली चला रहे थे उस कमरे में गोलियों की बौछार करके तथा हथगोले फैंक कर उन्होंने आतंकवादियों की गोलीबारी को नियंत्रण में रखा। यह मुठभेड़ 15 मिनटों तक चली जिसमें तीन दुर्दांत आतंकवादियों को मार गिराया गया था जिसमें बुटाला गांव का बख्शीश सिंह डोगर तथा उसके दो सहयोगी, प्रताप सिंह तथा माखन सिंह कोबरा शामिल थे। उनके पास से दो ए० के०-47 राइफल, 6 मैगजीनें, 83 जिन्दा तथा 160 खाली कारतूस बरामद किए गए थे।

इस मुठभेड़ में श्री एस० इलांगो, पुलिस उप-अधीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 फरवरी, 1991 से दिया जाएगा ।

(ए० के० उपाध्याय)
निदेशक

सं० 46-प्रेज/92—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद :
श्री भैरो सिंह,
हैड कांस्टेबल सं० 650032017,
75वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।
श्री आर० बी० भामरे,
कांस्टेबल सं० 881271086,
75वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 7 मई, 1991 को यह सूचना प्राप्त होने पर कि 2 नागरिक श्री मदन लाल व श्री किशन लाल का अपहरण किया गया है और एक हैड कांस्टेबल को 6 मई, 1991 को एक बस से घसीट कर बाहर निकाला गया है, एक घेराबंदी/तलाशी अभियान प्रारंभ किया गया। सिविल पुलिस और श्री भैरों सिंह हैड कांस्टेबल व आर० बी० भामरे सहित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को विस्तार में बताया गया और प्रातः 6.15 बजे विभिन्न फार्म घरों की तलाशी शुरू हुई । यह पता लगाया कि अपहरणकर्ता ग्राम रटौल में छुपे हुए हैं, इसलिए तलाशी दलों को तत्काल रटौल में बुलाया गया और संक्षेप में बताने के बाद, तलाशी प्रातः 10.30 बजे प्रारम्भ हुई। तलाशी के दौरान अपहरण में इस्तेमाल एक बजाज चेतक स्कूटर व टी० वी० एस० सुजूकी को उस क्षेत्र से बरामद किया गया । आतंकवादियों के छुपने की पुष्टि होने पर दोपहर 1 बजें पुनः एक विस्तृत तलाशी शुरू की गई। जब तलाशी दल एक मिस्त्री बलबीर सिंह के घर की तलाशी ले रहा था, उन्होंने देखा कि इसके पिछले दरवाजें पर ताला लगा हुआ है जिसे जब तोड़ा गया तो उसमें बहुत बड़ा गड्ढा पाया गया । यह महसूस किया गया कि आतंकवादी बच निकले हैं और तलाशी दलों को ग्राम के चारों तरफ फैलने के लिए सतर्क कर दिया गया । उसी समय भूमिगत बंकर के शटर का पता लगा । यह सोचकर कि आतंकवादी बंकर में शरण लिए हुए हैं, इससे गोले दागे गये और तलाशी के बाद बंकर से शस्त्र/गोली बारूद बरामद किये गये । इसी बीच कांस्टेबल भामरे ने एक आतंकवाद को पास के मकान से बाहर झांकते हुए देखा । तत्काल मकान को घेर लिया गया, जहां दो आतंकवादी छुपे हुए थे । पुलिस दल ने छुपे हुए आतंकवादियों पर गोली चलानी शुरू कर दी परन्तु इसका कोई लाभ नहीं हुआ । क्योंकि आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से जवाब में गोली चलानी शुरू कर दी । श्री भामरे अपने जीवन की परवाह न करते हुए नजदीक की दीवार पर चढ़कर छत पर पहुंच गयें और छत पर एक छेद करके घर के अन्दर हथगोले दागे । हथगोलों के फटने से पूर्व, आतंकवादी दूसरे कमरे में चले गयें और नजदीक के घर के प्रांगण में कूद गए। श्री भामरे ने छत पर आतंकवादियों की गोलीबारी का बिना साहस खोए सामना किया और अपनी एस० एल० आर० से आतंकवादियों पर गोली बरसानी शुरू कर दी और उनमें से एक को मार दिया । मृत आतंकवादी बी० टी० के० एफ० का ले० जनरल देवेन्द्र उर्फ हरिन्द्र सिंह एस० एस० था और उसके पास से गोलियों सहित एक ए० के०-47 बंदूक बरामद हुई ।

इसी बीच में अन्य आतंकवादी प्रांगण की दीवार पर चढ़कर भाग गया और उसने एक भूमिगत बंकर में शरण ले ली और पुलिस दल पर लगातार गोली बारी करनी शुरू कर दी जिसमें एक पुलिस उप अधीक्षक जख्मी हो गए व वहीं पर ही एक कांस्टेबल मारा गया । पुलिस दल ने आतंकवादियों द्वारा छुपे हुए घर को घेर लिया और उसे सील कर दिया । श्री भैरो सिंह अपने जीवन को खतरे में डाल कर घर में घुस गये और यह सोचकर कि आतंकवादी बंकर में छुपे हुए हैं, बंकर में हथगोले दागे, लेकिन एक आतंकवादी नजदीकी कमरे के कोने में छुपा था । श्री भैरो सिंह अपने जीवन को खतरे में डालते हुए साहस पूर्वक आगे बढ़ते रहे और आतंकवादी को अपने हथियार से वहीं पर ही जान से मार दिया । मारा गया आतंकवादी मेहर सिंह उर्फ मेजर सिंह था और उसके पास से एक ए० के०-47 राइफल व गोलियां बरामद की गई । आतंकवादियों ने 8-5-1991 को प्रातः 3.45 बजें रात में भागने के कई प्रयास किये लेकिन जिस मकान में वे छुपे हुए थे, की घेराबंदी को चुस्त कर दिया गया, जिसकी वजह से तथा गोलीबारी के कारण आतंकवादी रात के दौरान भाग नहीं सके । संयुक्त कार्रवाही 9-5-1991 तक जारी रही जिस में पांच और आतंकवादी मारे गये तथा उनके पास से काफी संख्या में शस्त्र व गोली बारूद बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में श्री भैरो सिंह, हैड कांस्टेबल व श्री आर० बी० भामरे ने उत्कृष्ट वीरता, साहस व उच्च-कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7 मई, 1991 से दिया जाएगा ।

(ए० के० उपाध्याय)
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 1992

सं० 47-प्रेज/92—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद :

श्री आर० एस० कुहार (मरणोपरान्त)
सैकिन्ड-इन-कमान्ड,
द्वितीय बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री मोहन राम बरयाईक,
हैड कान्स्टेबल,
द्वितीय बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री राजेन्द्र सिंह,
कान्स्टेबल,
द्वितीय बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

हाल ही में सीमा पार करके घाटी में आए उग्रवादियों को ईदगाह क्षेत्र से खदेड़ने और उन्हें समाप्त करने के लिए 7 अक्तूबर, 1990 को एक विशेष अभियान चलाया गया। इससे पहले कि उग्रवादी अपने गलत इरादों को कार्य रूप देने में सफल हो सकें, श्री आर० एस० कुहार, सैकिन्ड-इन-कमान्ड को उनका सफाया करने के का कार्य सौंपा गया । अन्य कमांडेन्टों और अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद, वे द्वितीय बटालियन के कमान्डेन्ट और अपने दल के साथ (हैड कान्स्टेबल मोहन राम बरयाईक और कान्स्टेबल राजेन्द्र सिंह सहित) अलग-अलग वाहनों में ईदगाह क्षेत्र की ओर चल पड़े। जब आगे वाला वाहन, जिसमें श्री कुहार और हैड कांस्टेबल मोहन राम बरयाईक यात्रा कर रहे थे, कोडबारा पहुचा तो उनके वाहन पर तीन चार हथगोले फेंके गए और उसके बाद ए० के०-47 राइफलों से गोली-बारी की गयी । माथे पर हथगोलों के टुकड़ें लगने से जख्मी होने के बावजूद श्री कुहार ने विचलित हुए बिना उग्र-वादियों पर अपनी पिस्तौल से जवाब में गोली चलाई । इसी बीच उन्होंने देखा कि उनका ड्राईवर जख्मी हो गया है, इस पर अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उन्होंने मोर्चा बदला और दाहिनी तरफ गोली चलायी जहां से ड्राईवर पर गोली चलायी गयी थी । हथगोले की फटने की आवाज सुनकर हैड कांस्टेबल मोहन राम बरयाईक अपने वाहन से बाहर कूदे कान्सटेबल राजेन्द्र सिंह को अपनी एल० एम० जी० से पिछवाड़े के दाहिनी तरफ गोली चलाने का आदेश दिया और इसी बीच उन्होंने अपनी स्टेन कार्बाइन-से गोली चलाकर स्वयं श्री कुहार को बल दिया । कान्स्टेबल राजेन्द्र सिंह की प्रभावकारी गोलीबारी से उग्रवादी बिलकुल शांत हो गए ।

हालांकि उग्रवादियों ने बहुत अच्छी प्रकार से घात लगायी थी, परन्तु श्री कुहार श्री मोहन राम बरयाईक और श्री राजेन्द्र सिंह की युक्तिपूर्ण और प्रभावकारी गोलीबारी से उग्रवादियों द्वारा की गयी शुरूआत व्यर्थ हो गयी । हालांकि श्री कुहार शुरू में जख्मी हो गए थे । लेकिन उन्होंने अपना सन्तुलन नहीं खोया । दुर्भाग्यवश दाहिनी ओर से की गयी गोलीबारी की बौछार से उनका सिर जख्मी हो गया और वे बेहोश होकर गिर पड़े । जब कमान्डेन्ट और उसके दल ने श्री कुहार को होश में लाने की कोशिश की तो, मोहन राम बरयाईक और राजेन्द्र सिंह ने उग्रवादियों को दूर रखने का साहसिक कार्य किया, जब तक श्री कुहार को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया । हैड कान्स्टेबल मोहन राम बरयाईक और कान्स्टेबल राजेन्द्र सिंह ने उग्रवादियों को कुमुक पहुंचने तक दूर रखा और उग्रवादियों द्वारा लगायी गयी घात को निष्फल कर दिया और इस प्रकार अपने साथियों के बहुमूल्य जीवन को बचाया ।

इस मुठभेड़ में श्री आर० एस० कुहार, सैकिन्ड-इन-कमान्ड, श्री मोहन राम बरयाईक, हैड कान्स्टेबल और श्री राजेन्द्र सिंह कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च-कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक राष्ट्रपति के पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7 अक्तूबर, 1990 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

सं० 48-प्रेज/92—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री सुशील कुमार त्यागी,
कांस्टेबल सं० 85711052,
69 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

27/28 फरवरी, 1990 की मध्यवर्ती रात्रि को सीमा चौकी नूरवाला के नजदीक सीमा-सुरक्षा बल की बटालियन के कार्मिकों (निरीक्षक आर० के० शर्मा तथा कांस्टेबल एस० के० त्यागी सहित) ने एक विशेष नाका डाला । लगभग 0100 बजे निरीक्षक, आर० के० शर्मा को 3-4 व्यक्तियों का एक ग्रुप दिखायी दिया जो भारत की ओर से आ रहा था तथा पाकिस्तान की तरफ जा रहा था । श्री आर० के० शर्मा ने अपने दल के कार्मिकों और निकटवर्ती नाका दलों को एक विशेष संकेत देकर तुरन्त सतर्क किया और उग्रवादियों को निकट आने दिया । ज्यों ही वे नाका बल के नजदीक पहुंचे तो नाका बल ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के

लिए ललकारा, परन्तु उन्होंने नाका दल पर गोली चला दी। नाका दल ने भी जवाब में गोली चलाई। सर्व श्री शर्मा तथा त्यागी निर्भीक तथा अविचलित बने रहे तथा उन्होंने स्थिति को अनुकूल बनाए रखा और आतंकवादियों पर सुसमन्वित ढंग से गोली चलाई। दोनों ओर से लगभग साढ़े तीन घंटे तक गोली-बारी होती रही। उसके बाद आतंकवादियों की ओर से गोली चलानी बन्द हो गई। दिन में क्षेत्र की तलाशी करने के बाद चार शव बरामद हुए, उनमें से दो की बाद में देवेन्द्र सिंह तथा सुखवन्त सिंह उर्फ सुखा के रूप में शिनाख्त की गई। एक आतंकवादी को कसूर नाला के नजदीक से जिन्दा पकड़ लिया गया, जहां पर वह छिप रहा था। उसने अपना नाम विक्रमजीत सिंह बताया। पूछताछ करने पर उसने बाद में मृत उग्रवादियों में से एक उग्रवादी को सुखदेव सिंह उर्फ सुखा बताया, न कि सुखवन्त सिंह उर्फ सुखा। मुठभेड़ वाले स्थान से बड़ी मात्रा में शस्त्र तथा गोला बारूद भी बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में श्री सुशील कुमार त्यागी, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 28 फरवरी, 1990 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय, निदेशक

सं० 49-प्रेज/92—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :
श्री छत्तर सिंह कटोच,
सहायक कमांडेंट,
69वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

यह सूचना प्राप्त हुई कि सीमा चौकी कलास से उग्रवादी भारत में घुसपैठ करेंगे। सीमा सुरक्षा बल की 69वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री छत्तर सिंह कटोच ने (लांस नायक राम सुन्दर, कान्स्टेबल त्रिभुवन सिंह, रणधीर सिंह और गुरुबख्श सिंह सहित) सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों को भागने के सभी सम्भावित रास्तों को बन्द करने के लिए तैनात किया।

31 जनवरी, 1990 की मध्यवर्ती रात्रि को लगभग 5 बजे प्रातः उन्होंने देखा कि नाका नं० 10 और सीमा चौकी के बीच से 4-5 उग्रवादियों ने घुसपैठ की। लांस नायक रामसुन्दर, जो नाका नं० 10 पर ड्यूटी पर थे, ने उग्रवादियों को पाकिस्तान की तरफ से आते हुए और दो नाका पार्टियों के बीच से विकर्णतः सीमा पार करते हुए देखा। अपने साथियों को सावधान करने के बाद उन्होंने उग्रवादियों पर गोली चलायी साथ ही साथ उन्होंने श्री सी० एस० कटोच को भी सूचित किया, जो उपलब्ध बल को तत्काल वहां ले गए और उन्हें उग्रवादियों को चारों ओर से घेरने के लिए तैनात किया ताकि उनके आने और जाने के सभी रास्ते बंद हो जाएं। नाका नं० 10 से की गयी गोलीबारी प्रभावी सिद्ध नहीं हुई क्योंकि उग्रवादियों ने ट्यूबवेल के नजदीक एक खाई में मोर्चा सम्भाल लिया था। जब श्री कटोच उग्रवादियों को उलझाए रखने के लिए बल को तैनात करके वापस आ रहे थे तो उन पर उग्रवादियों ने गोलियां चलायी। जिसके परिणामस्वरूप उनके बांई कोहनी में गोली लग गयी। गोली लगने से जख्मी होने के बावजूद वे उग्रवादियों पर गोली चलाते रहे और उनके मोर्चे के स्थान पर हथगोले फेंके और साथ-साथ अन्य कार्मिकों का नेतृत्व भी करते रहे।

इसी बीच कांस्टेबल रणधीर सिंह और कान्स्टेबल गुरुबख्श सिंह ने अन्य कार्मिकों के साथ मोर्चा संभाला और उग्रवादियों पर गोली चलायी। ढाई घंटे तक दोनों ओर से भारी गोलीबारी होती रही। इस गोलीबारी में 2 उग्रवादी मारे गए। तथापि अन्य उग्रवादी किसी तरह मिट्टी के ढेर और ऊंची नीची जमीन का फायदा उठाकर पाकिस्तान की ओर वापस भागने में सफल हो गए।

इस मुठभेड़ में श्री छत्तर सिंह कटोच, सहायक कमांडेंट ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 31 जनवरी, 1990 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय, निदेशक

सं० 50-प्रेज/92—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री बिरसा चोदरे, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल सं० 67755092,
56 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

4 मई, 1990 को सूचना मिली कि उग्रवादियों का एक दल पाकिस्तान सीमा को पार कर भारत के समवाली गली (कुपवाड़ा) के क्षेत्र में छिपा है।

इंसपेक्टर अमपाल सिंह को ग्राम बैंक क्षेत्र में विशेष सैनिक कार्रवाई का काम सौंपा गया था। लगभग 1.30 बजे

दोपहर को जब पार्टी समाबाली गली की चोटी पर पहुंची तो इंसपेक्टर जसपाल सिंह को सीमा सुरक्षा बल पार्टी को संरक्षण प्रदान करने के लिए, जिसपर उग्रवादी भारी मात्रा में गोलीबारी कर रहे थे, और उनके छिपने के स्थानों पर छापा मारने का सबसे अधिक चुनौती पूर्ण कार्य दिया गया था। इंसपेक्टर जसपाल सिंह ने स्थिति का जायजा लिया, अपने साथियों को संक्षेप में बताया, उग्रवादियों द्वारा बड़ी मात्रा में गोलीबारी करने, और अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए, उनके छिपने के स्थान तक रेंग कर पहुंचे। इंसपेक्टर जसपाल सिंह ने उग्रवादियों के छिपने के स्थान पर छापा मारा और उन्हें छिपने के स्थानों को छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिसके फलस्वरूप उग्रवादियों ने विभिन्न दिशाओं में भागना शुरू किया। उग्रवादियों ने भागते हुए सीमा सुरक्षा बल पार्टी पर फायर जारी रखा, परन्तु इंसपेक्टर जसपाल सिंह व उनकी पार्टी के सदस्यों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया और दोनों तरफ से फायर होने के परिणामस्वरूप घटना स्थल पर चार उग्रवादियों ने दम तोड़ दिया।

इस बीच में इंसपेक्टर बिरसा चांदरे जो कि अपने साथियों के साथ "स्टाफ ग्रुप" में ग्राम केनवेस के नजदीक तैनात थे। लगभग 4.45 बजे कांस्टेबल चांदरे ने तीन सशस्त्र उग्रवादियों को केनवेस नार की तरफ अपनी दांयी ओर से भागते हुए देखा। कांस्टेबल चांदरे ने समय बरबाद किए बिना उग्रवादियों पर अंधाधुंध फायर शुरू कर दिया। परन्तु उग्रवादी बिना घायल हुए भाग गए। कांस्टेबल चांदरे ने अपने साथियों समेत भागते हुए उग्रवादियों का पीछा किया, उग्रवादियों ने श्री चांदरे पर फायर किया ताकि वह उनका पीछा छोड़ दे। जब उग्रवादियों ने देखा कि दृढ़ संकल्प और निडर कांस्टेबल फिर भी उनका पीछा कर रहा है, तो वे खाई में कूद गए और पत्थर की दीवार के पीछे पोजीशन लेते हुए उग्रवादियों पर फायर किया। उग्रवादियों की गोली कांस्टेबल चांदरे की दांयी किडनी में लगी। घायल होने के बाद भी उसने उग्रवादियों का पीछा किया, साथ ही साथ अपने साथियों को भागते हुए उग्रवादियों को चारों तरफ से घेरने के लिए कवर फायर भी किया। वह आखिरी सांस रहने तक उग्रवादियों पर फायर करता रहा।

इसी बीच में इंसपेक्टर जसपाल सिंह और अन्य सीमा सुरक्षा बल पार्टियों ने उग्रवादियों को चारों तरफ से घेर लिया और उग्रवादियों को फायर करने का मौका नहीं दिया तीन उग्रवादियों ने अपने हथियारों और गोला बारूद समेत आत्मसमर्पण कर दिया और जिन्हें बाद में मुख्तियार अहमद, गुलाम हसन और अलताब हुसैन के रूप में पहचाना गया।

इस मुठभेड़ में श्री बिरसा चांदरे, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 4 मई, 1990 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय, निदेशक

सं० 51-प्रेज/92—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री मोहन सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल सं० 675446187,
75वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

10 सितम्बर, 1990 को लगभग रात के 11.45 बजे सीमा सुरक्षा बल की 75वीं बटालियन को अपर उपमहानिरीक्षक की कमांड में श्रीनगर सोनमार्ग रोड पर गांव थूने के क्षेत्र में विशेष आपरेशन के लिए तैनात किया गया था। 11-9-90 को प्रातः 4.30 बजे कार्रवाई करते समय सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों ने सोनमार्ग की तरफ से आती हुई बस की हैडलाइटों को देखा क्योंकि ऐसे बेमौके पर किसी भी व्यक्ति द्वारा बस से यात्रा करने की आशा नहीं थी। सीमा सुरक्षा बल पार्टी को एक ग्रुप साजिश का संदेह हुआ और उन्होंने इस बस को रोकने का निर्णय लिया। सीमा सुरक्षा बल पार्टी तीन भागों में बंट गयी। दो ग्रुप (समूह) सड़क के दोनों तरफ तैनात हुए और तीसरा ग्रुप दोनों ग्रुपों से लगभग 30 गज की दूरी पर जा बैठा।

ज्योंही बस सीमा सुरक्षा बल पार्टी के नजदीक पहुंची तब सूबेदार जागीर सिंह व उनके साथ तैनात कांस्टेबल सुकुमार घोष, मोहन सिंह और मोहर बन सिंह ने बस को रोकने का इशारा किया यद्यपि बस ड्राइवर ने बस को धीमा किया परन्तु उसने बस को नहीं रोका, ठीक इसी समय बस में बैठे यात्रियों ने सूबेदार जागीर सिंह के ग्रुप पर स्वचालित हथियारों से अन्धाधुन्ध फायर करना शुरू कर दिया। इस प्रकार सूबेदार जागीर सिंह और कांस्टेबल मोहन सिंह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए चालक की तरफ बढ़े ताकि वह बस को आगे न ले जाए। कांस्टेबल मोहन सिंह ने ड्राइवर को बस की सीट से बाहर खींचने का प्रयत्न किया। इसे देखकर उग्रवादियों ने मोहन सिंह को अपना निशाना बनाकर फायर किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मोहन सिंह को गंभीर रूप से घायल देखकर श्री जागीर सिंह ने ड्राइवर पर पिस्तौल से फायर किया जिसके परिणामस्वरूप वह मर गया।

कांस्टेबल मोहन सिंह को बुरी तरह घायल देख कर कांस्टेबल सुकुमार घोष तुरन्त ही अपने घायल साथी की तरफ बढ़ा। इसको देख कर उग्रवादियों ने कांस्टेबल सुकुमार घोष पर फायर किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ। जख्मों की चिन्ता न करते हुए वह रोड पर बनी पुलिया

की तरफ लुढ़का और पोजीशान लेते हुए उग्रवादियों पर फायर करना शुरू कर दिया।

ठीक इसी समय, सूबेदार हरभजन सिंह ने चार उग्रवादियों को बस के बांई तरफ के दरवाजे से उतर कर भागते हुए देखा। हरभजन सिंह व उसके साथी कांस्टेबल यशपाल सिंह और महेश चन्द्र शर्मा ने उग्रवादियों का पीछा किया। जब उग्रवादियों ने सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों का पीछा करते हुए देखा तो उन्होंने स्वचालित हथियारों से उन पर फायर किया जिसके परिणामस्वरूप दोनों कांस्टेबल बुरी तरह घायल हो गए। उग्रवादियों के फायर की परवाह न करते हुए सूबेदार हरभजन सिंह और उसके दोनों घायल साथियों ने उग्रवादियों का पीछा करते हुए उन पर फायर किया। इस प्रक्रिया में चारों उग्रवादियों की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई।

ठीक इसी बीच सीमा सुरक्षा बल के दो ग्रुपों ने उग्रवादियों को उलझाए रखा जो कि सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों पर बस के अन्दर से स्वचालित हथियारों से फायर कर रहे थे। जिस समय उग्रवादियों और सीमा सुरक्षा बल कार्मिक एक दूसरे पर फायर कर रहे थे उग्रवादियों द्वारा बस में ले जाए जा रहे बड़ी मात्रा में हथियारों/गोलाबारूद और डिस्कोटक में विस्फोट हुआ जिसके परिणामस्वरूप बस पूरी तरह से जल गयी। जब आग बुझी तो बस की तलाशी ली गई और उस बस में यात्रा कर रहे सभी उग्रवादियों को मृत पाया गया। कांस्टेबल मोहन सिंह की बाद में मृत्यु हो गई।

इस मुठभेड़ में श्री मोहन सिंह कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 सितम्बर, 1990 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

सं० 52-प्रेज/92—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :
श्री बृजेश कुमार सिंह,
कान्स्टेबल सं० 881232321,
123वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

सीमा सुरक्षा बल की 123वीं बटालियन के कान्स्टेबल बृजेश कुमार सिंह को यूनिट के जलाया उप-क्षेत्र में तैनात किया गया था, जहां बंगला देश राइफल ने सीमा पर तनाव उत्पन्न किया हुआ था। इस सीमा क्षेत्र की स्थिति को, जिसका सीमांकन नहीं किया गया था, बंगला देश के नागरिकों तथा बंगला देश राइफल के कार्मिकों द्वारा अपने आक्रमणकारी रवैये के कारण प्रतिकूल बनाया गया था, जो उस सीमा के एक भू-खण्ड पर भारतीय नागरिकों को खेती नहीं करने दे रहे थे।

18 जुलाई, 1990 को कांस्टेबल बृजेश कुमार सिंह इस क्षेत्र में प्रचालन ड्यूटी पर थे। बंगलादेश राइफल के कार्मिक इस क्षेत्र में उगाई गई फसलों को नष्ट करने के लिए कुछ बदमाशों को उकसा रहे थे और कांस्टेबल बृजेश कुमार इस प्रकार के बदमाश नागरिकों तथा बंगलादेश राइफल के कार्मिकों/जवानों की हर प्रकार की शरारत को रोकने के लिए काफी सतर्क थे। 18-7-1990 को लगभग 12.30 बजे बंगला देश राइफल के कार्मिकों ने भारतीय सिविल नागरिकों और उस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों पर बगैर किसी कारण के अचानक गोली चला दी। कांस्टेबल बी० के० सिंह ने घटना के बारे में तुरंत अपने कमांडरों को सूचित किया। बंगलादेश राइफल के कार्मिकों ने सीमा सुरक्षा बल की उस संतरी चौकी पर भारी मशीन गनों से गोलियां चलाई, जहाँ पर कांस्टेबल बी० के० सिंह ड्यूटी दे रहे थे। श्री बी० के० सिंह ने निर्भीक होकर अपनी 7.62 एम० एम० राइफल से गोली के जवाब में गोली चलाई और अपने कमांडरों को दुश्मन की गतिविधियों और जहां-जहां से गोलियां चल रही थी, उन स्थानों के बारे में सूचना देते रहे। इस प्रक्रिया में दुश्मन की गोली लगने से वह सीने तथा उदर के पास तीन जगहों पर गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली लगने से जख्मी होने के बावजूद वे दुश्मनों पर गोली चलाते रहे। कांस्टेबल बी० के० सिंह ने इस कार्रवाई से उस क्षेत्र में दुश्मन की गोली बारी को प्रभावी रूप से नाकामयाब करने में अपने चौकी कमांडर की बहुत बड़ी सहायता की तथा दुश्मन की गोली से भारतीय नागरिकों को भी बचाया।

इस मुठभेड़ में श्री बृजेश कुमार सिंह, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 जुलाई, 1990 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

सं० 53-प्रेज/92—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री वेद प्रकाश,
हैड कांस्टेबल,
48वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

10 मार्च, 1991 को लगभग 12.30 बजे 48वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल के हेड कांस्टेबल वेद प्रकाश को नाथमोकल-धापलखजाला ग्रामों के उन क्षेत्रों में, जो पुलिस स्टेशन कुआ दियान, जिला बटाला के अंतर्गत उग्रवादी ग्रस्त क्षेत्र थे, विशेष कार्रवाई के लिए भेजा गया था। उसकी टुकड़ी को धापाल ग्राम के घरों/डेरों की तलाशी करने तथा उजाला की तरफ जाने का काम सौंपा गया जहां उसकी प्लाटून की शेष टुकड़ी ग्राम धापाला के उत्तर-पश्चिम में तलाशी कर रहे थे।

जब श्री वेद प्रकाश तलाशी का काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक व्यक्ति को जागीर सिंह के डेरा की तरफ भागते हुए देखा। यह डेरा नाथमोकल के आखिरी छोर पर गन्ने के खेतों तथा गेहूं की फसल के खेतों के बीच स्थित था। बिना किसी विलम्ब के, श्री वेद प्रकाश ने अपनी टुकड़ी को डेरा की तरफ जाने का आदेश दिया। जैसे ही वे डेरा के पिछली तरफ पहुंचे, तो उक्त डेरा की ओर से उनकी टुकड़ी पर स्वचालित हथियारों से भारी गोलाबारी हुई। श्री वेद प्रकाश ने अपनी टुकड़ी को पोजीशन लेने तथा डेरा को घेराबंदी करने का आदेश दिया। जैसे ही वे आगे बढ़े श्री वेद प्रकाश ने नोट किया कि गोलाबारी उक्त डेरा में बंकर से हो रही है। उन्होंने स्थिति का तत्काल जायजा लिया, अपनी टुकड़ी को बायीं ओर से लक्ष्य पर हमला करने का आदेश दिया, जबकि उन्होंने साहसिक कार्रवाई में हथगोला अपने हाथ में ले लिया तथा बंकर से भारी गोलाबारी के बावजूद वे रेंगते हुए आगे बढ़े। गोलाबारी की परवाह न करते हुए वे आगे बढ़ते रहे तथा अपनी जान की परवाह न करते हुए उस बंकर के नजदीक पहुंचे। उग्रवादियों ने उन पर हथगोला फैंका। लेकिन उन्होंने खुद को बचा लिया। वे बंकर के उस छेद के निकट पहुंचने के लिए आगे बढ़े जहां से उग्रवादी गोलाबारी कर रहे थे। इस दुःसाहसी कार्रवाई में, श्री वेद प्रकाश अपनी पोजीशन से बाहर आए तथा बंकर के अंदर दो हथगोले फैंके तथा बंकर के अंदर से गोलाबारी बंद हो गई।

इस बीच गोलाबारी की खबर सुनने के पश्चात उनकी प्लाटून की अन्य टुकड़ी तथा पुलिस कार्मिक भी मुठभेड़ स्थल पर पहुंच गए तथा क्षेत्र को घेर लिया। श्री वेद प्रकाश ने डेरा के अंदर चार हथगोले दोबारा फैंके। तलाशी के दौरान, एक पुरुष आतंकवादी तथा एक महिला आतंकवादी के मृत शरीर पाए गए। मृतक आतंकवादी की बाद में जसविंदर सिंह खजाला उर्फ सिपाही के जो खालिस्तान कमांडो फोर्स का स्वयंभू ले० जनरल थे, रूप में पहचान हो गई जिसके सिर पर पांच लाख रूपये का इनाम था तथा जो 50 से अधिक हत्याओं के लिए जिम्मेदार था। मृतक महिला मृत आतंकवादी की पत्नी थी। मुठभेड़ स्थल से बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोलाबारूद बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में श्री वेद प्रकाश, हेड कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 मार्च, 1991 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

सं० 54-प्रेज/92—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद :

श्री चन्द्रशेखर देसाई,
कमांडेंट,
3 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद,
नायक नं० 71032115,
3 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

11 अक्तूबर, 1990 को श्री चन्द्रशेखर देसाई, कमांडेंट, तीसरी बटालियन, सीमा सुरक्षा बल को खबर मिली कि गांव मोहालम, थाना सदर, फिरोजपुर में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही है, वह उपलब्ध बल के साथ तत्काल मुठभेड़ वाले स्थान की ओर चल दिए।

वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि आतंकवादी एक पक्के मकान में छिपे हुए थे और चलने फिरने की आवाज पर रुक-रुक कर गोलियां बरसा रहे थे। कुछ समय तक दोनों ओर से गोलियां चलती रहीं। जब 2" मोर्टार और राइफल

ग्रेनेडों से आतंकवादियों को समाप्त नहीं किया जा सका तो श्री देसाई और उनकी पार्टी ने मकान की छत पर चढ़ने का फैसला किया। सीमा सुरक्षा बल के नायक सुरेन्द्र प्रसाद ने इस दल को ऊपर चढ़ने में मदद दी और वे इस पार्टी के छत पर चढ़ने के लिए कवरिंग फायर करते रहे।

चूंकि चार कमरों में से सिर्फ दो में रोशनदान थे अतः जिन कमरों में रोशनदान नहीं थे उनकी छतों में हंसिया की सहायता से खोदकर सुराख किए गए। जब सुराख खोदे जा रहे थे, आतंकवादियों ने कमरे के अन्दर से छत से गोलियां चलानी जारी रखीं। चूंकि इसकी उम्मीद थी अतः सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों द्वारा पहले से ही उचित सावधानी बरती गई थी। जब सुराख खोद लिए गए, श्री देसाई ने रोशनदान के शीशे तोड़ दिए और अन्दर ग्रेनेड फैंके। इसके बाद सभी कमरों में साथ-साथ ग्रेनेड फैंके गए ताकि आतंकवादी बचकर एक कमरे दूसरे कमरे में न जा पाएं इसके बाद श्री देसाई ने एस० एस० पी० फिरोजपुर से मुख्य कक्ष का दरवाजा खोलने के लिए एक बुलेट प्रूफ जिप्सी अन्दर भेजने को कहा। जैसे ही जिप्सी ने परिसर में प्रवेश किया इस पर आतंकवादियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। फिर श्री देसाई ने छिपे हुए आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए मकान में आग लगाने की मंशा से एस० एस० पी० फिरोजपुर से पेट्रोल भेजने का अनुरोध किया। फिर मोलोटोव काकटेल/ जले हुए टायर अन्दर फेंके गए। इस पर एक आतंकवादी कमरे से बाहर आया और उसने साथ लगी रसोई में आश्रय लिया। श्री देसाई अन्धेरे के कारण उसके चलने फिरने को नहीं देख पाए। जैसे ही श्री देसाई रोशनदानों के माध्यम से कुछ और मोलोटोव काकटेल फेंकने के लिए दीवार पर झुके, आतंकवादियों ने श्री देसाई पर स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की परन्तु सौभाग्य से उन्हें कोई चोट नहीं आई। फिर आतंकवादी कमरे में घुस गए और छत से गोलीबारी करने लगे तथा सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों को इस गोलीबारी से बचने के लिए नीचे कूदना पड़ा।

इसी बीच नायक सुरेन्द्र प्रसाद ने चारदीवारी के साथ ऐसे स्थान पर पोजीशन ले ली जहां से वह दरवाजे पर नजर रख सकता था। अचानक उसने एक आतंकवादी को कमरे से बाहर आते हुए और बाथरूम की ओर भागते हुए देखा। उसने आतंकवादी पर गोली चलाई लेकिन वह बाथरूम में घुसने में सफल हो गया। फिर नायक सुरेन्द्र प्रसाद बाथरूम के नजदीक गए और कूदकर बाथरूम में एक ग्रेनेड फैंक कर आतंकवादी को मार डाला परस्पर गोलीबारी में दूसरा आतंकवादी भी रसोईघर में छिपा था, मारा गया।

उक्त मुठभेड़ में कुल चार आतंकवादी मारे गए।

इस मुठभेड़ में श्री चन्द्रशेखर देसाई, कमांडेंट और श्री सुरेन्द्र प्रसाद, नायक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 अक्तूबर, 1990 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय, निदेशक।

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 1992

सं० 55–पेज/92—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री भगवान सिंह,
सहायक कमांडेंट,
103वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री यशपाल सिंह,
कांस्टेबल सं० 880012526,
103वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 6 फरवरी, 1991 को करीब 10.00 बजे थाना सदर बटाला, के अन्तर्गत गांव नानक नांगल के निकट सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच एक मुठभेड़ हुई। सीमा सुरक्षा बल की 103वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट, श्री भगवान सिंह जोकि अपने साथियों के साथ नियमित गश्त लगा रहे थे, घटना की खबर मिलने पर, उस स्थान पर पहुंच गए। बुरी तरह से घायल एक उग्रवादी ने दम तोड़ने से पहले बताया कि कुछ उग्रवादी गांव वीरो नांगल के हजारा सिंह नामक एक व्यक्ति के घर में छिपे हुए हैं। अपने दल (कांस्टेबल/ड्राईवर यशपाल सिंह सहित) श्री भगवान सिंह गांव वीरो नांगल की ओर रवाना हो गए। जब श्री भगवान सिंह और श्री यशपाल सिंह मुख्य द्वार के निकट पहुंचे तो आतंकवादियों ने उन पर भीषण गोलीबारी की, परन्तु वे दोनों बाल-बाल बच गए। उन्होंने तुरन्त मोर्चे संभाले और जवाब में गोलियां चलाईं। श्री यशपाल सिंह ने जख्मी उग्रवादियों को उलझाए रखा और भगवान सिंह घर की छत पर पहुंचने में सफल हो गए और उन्होंने घर की छत से नीचे झुक कर दरवाजे से कमरे में हथगोले फेंके। तत्पश्चात श्री भगवान सिंह ने कमरे की छत में तीन छेद किए और कमरे में हथगोले फेंके।

सर्वश्री भगवान सिंह और यशपाल सिंह ने अपनी निजी सुरक्षा की चिन्ता किए बिना सम्पूर्ण कार्रवाई के दौरान अदम्य कार्य कुशलता और साहस का परिचय दिखाया। दोनों ओर से हुई गोलीबारी के दौरान, चार उग्रवादी मारे

गए, जिनकी बाद में अवतार सिंह, सुरजीत सिंह उर्फ पप्पू गुरपाल सिंह उर्फ हैप्पी और जीत सिंह उर्फ जीता के रूप में पहचान की गई। तलाशी लेने पर घटना स्थल से बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोला बारूद बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में श्री भगवान सिंह, सहायक कमांडेंट और श्री यशपाल सिंह, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तगत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 फरवरी, 1991 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय, निदेशक

सं० 56-प्रेज/92—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल ने निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

बलबीर सिंह,
हैडकांस्टेबल सं० 685885783,
103वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री दया नन्द
नायक सं० 75001127,
103वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री महाबीर सिंह
कांस्टेबल सं० 88677478,
58वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 17 नवम्बर, 1990 को करीब 07.30 बजे सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गांव गोरेनांगल, थाना रामदास, जिला मजीठा में एक मुठभेड़ हुई है।

पुलिस अधीक्षक (प्रचालन), बटालियन, मख्खालय गए और सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों से अनुरोध किया कि वे उस स्थान पर जल्दी से पहुंचें जहां आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही थी। लगभग 16.00 बजे सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों का दल घटना स्थल पर पहुंचा। नायक दया नन्द और कांस्टेबल महाबीर सिंह सहित हैड कांस्टेबल हथगोलों और अपने शस्त्रों सहित अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना फार्म हाउस की ओर गए जब कि अन्य पुलिस/सीमा सुरक्षा बलों के कार्मिकों ने आतंकवादियों को उलझाए रखा। उन्होंने फार्म हाउस के निकट पहुंचने के लिए उत्कृष्ट प्रकृति की व्यावसायिक कुशलता और दक्षता का परिचय दिया। उन्होंने उन कमरों में हथगोले फेंके जहां से आतंकवादी काफी देर से भीषण गोलीबारी कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप एक कमरे में तीन आतंकवादी मारे गए। तत्पश्चात, आंगन का विभाजन करने वाली दीवार पर चढ़े, और आतंकवादियों द्वारा विभिन्न दिशाओं से की जा रही भारी गोला-बारी के बावजूद दूसरे कमरे की ओर गए। इस प्रक्रिया में, सर्व/श्री दलबीर सिंह, दयानन्द और महाबीर सिंह गोली लगने से जख्मी हो गए। गोली लगने से जख्मी होने के बावजूद, उन्होंने तत्काल आतंकवादियों पर जवाबी भीषण गोलीबारी की और उन पर हमला किया। दोनों ओर से गोलियां चलने से शेष आतंकवादी भी मारे गए। इस मुठभेड़ में कुल मिला कर छः खूंखार आतंकवादी मारे गए। तलाशी लेने पर, घटना स्थल से, 4 ए०के० -47 राइफलें, एक .303 राईफल, दो 9 मि०मी० की पिस्तोल, तथा बड़ी मात्रा में खाली/बिना चले कारतूस तथा गोला बारूद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री बलबीर सिंह, हैड कांस्टेबल, दयानन्द नायक और श्री महाबीर सिंह कांस्टेबल ने उत्कृष्टता वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 नवम्बर, 1990 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय, निदेशक

सं० 57-प्रेज/92—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सुनील कुमार,
कांस्टेबल सं० 69142154,
47वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

19 दिसम्बर, 1990 को जिला पुलिस प्राधिकारियों ने विशेष अभियान चलाने के लिए सीमा सुरक्षा बल की 47 वीं बटालियन के दो भागों की मांग की। सुलतानपुर लोदी के पुलिस उप-अधीक्षक के आदेश से सीमा सुरक्षा बल का एक दल गांव की तलाशी लेने के लिए लगभग 15.30 बजे शेख मांगा गांव पहुंचा।

तलाशी के दौरान उन्होंने देखा कि स्वचालित हथियारों से लैस 5 उग्रवादी एक मकान से दूसरे मकान में भाग रहे हैं। अन्य पलिस दलों को शीघ्र ही सावधान कर दिया गया जिन्होंने शेखमांगा गांव को घेर लिया। उग्रवादियों ने गोलाबारी शुरू कर दी, सीमा सुरक्षा बल व पुलिस कार्मिकों ने भी एल० एम० जी० और राइफल्स के साथ जवाबी गोलाबारी की। तत्पश्चात उस कमरे में हथ-गोले फेंके गए जहां से उग्रवादी गोलाबारी कर रहे थे। कांस्टेबल सुनील कुमार ने अपनी एल० एम० जी० बन्दूक उठाई और बहुत ही प्रभावी ढंग से उस मकान की ओर गोलाबारी शुरू कर दी जिसके परिणामस्वरूप उग्रवादियों को भागने का मौका नहीं मिल पाया। कांस्टेबल सुनील कुमार की गोलीबारी से एक उग्रवादी बुलट लगने से जमीन पर गिरते देखा गया जवाबी गोलाबारी में कांस्टेबल सुनील कुमार के बाएं गाल पर बुलट चोट लगी किन्तु चोट लगने के बावजूद भी उसने उग्रवादियों पर गोलाबारी जारी रखी।

सूचना मिलने पर उप-कमांडेंट श्री गिल जो मांड के गुड्डा क्षेत्र में पहले ही धर पकड़ का अभियान चला रहे थे, सीमा सुरक्षा बल के अन्य कार्मिकों के साथ शेख मांगा गांव पहुंचे। सीमा सुरक्षा बल की 47 वी बटालियन के कमांडेंट भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसी बीच श्री गिल ने गांव के घेरे को यह सुनिश्चित करने के लिए पुनः संचालित किया कि कोई उग्रवादी भाग न सके। श्री गिल अन्य कार्मिकों के साथ उस मकान की ओर आगे बढ़े जहां से उग्रवादी गोलाबारी कर रहे थे। श्री गिल ने हैड कांस्टेबल व नायक के साथ कमरे में गोले फेंके। इस तरह से उन्होंने उग्रवादियों को कमरों से बाहर आने के लिए बाध्य किया यद्यपि सभी उग्रवादी बुरी तरह से घायल हो गये थे, फिर भी उन्हें मकान के साथ बने कच्चे हटमेंट में, जिसका रसोई के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, शरण लेनी पड़ी। श्री गिल और उनकी पार्टी ने पुलिस पोइया से कच्चे हटमेंट को गिरा दिया। इस प्रक्रिया में सभी उग्रवादी जो हथगोलों/बुलट से गम्भीर रूप से घायल हो गए थे, हटमेंट्स के मलबे में दब गये। श्री गिल ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए पार्टी का पुनः संचालन करते हुए मकान की तलाशी ली और कच्चे मकान के मलबे को हटाया व बुरी तरह से घायल पांच उग्रवादियों को मलबे से बाहर निकाला तथा सभी को मृत पाया। उनमें से चार कट्टर उग्रवादी थे जबकि पांचवे की शिनाख्त नहीं की जा सकी। तलाशी के दौरान मुठभेड़ के स्थान से 4 असाल्ट राइफल्स, एक 7.62 एम० एम० एस० एल० आर०/माउजर पिस्तौल तथा बड़े पैमाने पर जीवित/खाली कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री सुनील कुमार, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19 सितम्बर 1990 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई, 1992

सं० 58-प्रेज/92—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री लाल सिंह,
सूबेदार,
दूसरी बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

पुलिस अधीक्षक (संचालन), फीरोजपुर ने सीमा सुरक्षा बल की दूसरी बटालियन के कमांडेंट को 22-23 फरवरी, 1991 की रात को सूचित किया कि आतंकवादियों के एक गिरोह के ग्राम शाडे शाहवाला या ग्राम चारे शाह, थाना मालनवाला, फीरोजपुर में इकट्ठे होने की संभावना थी। उन्होंने उपलब्ध बल को इकट्ठा किया तथा दोनों ग्रामों को घेरने तथा उनकी तलाशी लेने की योजना बनायी। सीमा सुरक्षा बल की दूसरी बटालियन के कमांडेंट ने 101 अधिकारियों/जवानों (सूबेदार लाल सिंह तथा कांस्टेबल भंवर लाल सहित) तथा 70 पुलिस कार्मियों एवं पुलिस अधीक्षक, फिरोजपुर के साथ दोनों ग्रामों को 23-2-1991 को 7 बजे सुबह में घेर लिया।

ग्राम शाडेवाला की तलाशी लेने के बाद सीमा सुरक्षा बल/पुलिस दल ने लगभग 12.30 बजे ग्राम चारे शाह में पहुंचकर सभी ग्राम वालों को अपने-अपने घरों से निकल कर गांव के स्कूल में इकट्ठा होने को कहा। सभी गांव वाले गांव के प्राइमरी स्कूल में इकट्ठे हो गए थे। इसके बाद तलाशी का काम शुरू हुआ। गांव के एक तरफ कुछ संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी। इस गतिविधि को देखने के बाद आंतरिक घेरा बंदी की योजना बनाई गयी तथा सीमा सुरक्षा बल/पुलिस दल मोहिंदर सिंह तथा भजन सिंह के घरों के पास पहुंच गए। सामने के गेट के नजदीक पहुंचने पर दोनों घरों को काबू करने के लिए एल० एम० जी० लगा दी गई थी। यह देखने पर आतंकवादियों ने सैनिकों पर गोली चलाना शुरू कर दिया। सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट ने सीमा सुरक्षा बल के कांस्टेबल भंवर लाल

को आतंकवादियों पर एल० एम० जी० से गोली चलाने का आदेश दिया ताकि आतंकवादी कमरे से बाहर न जा सकें । उपलब्ध कवर का अच्छी तरह इस्तेमाल करते हुए गेट के एक तरफ से दूसरी तरफ अपनी स्थिति बदलते हुए कांस्टेबल भंवर लाल ने आतंकवादियों को रोके रखने तथा सैनिकों पर ठीक ढंग से गोली चलाने से उनको रोकने के उद्देश्य से आतंकवादियों पर प्रभावी ढंग से गोली-बारी की । आतंकवादी तीन तरफ से गोली चला रहे थे तथा कमरों तथा खिड़कियों से हथगोले फेंकने के लिए कमरे तक पहुंचना कठिन था । किसी प्रकार का कवर उपलब्ध नहीं था । स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद अधिकारियों ने एल० एम० जी० चलाने वाले जवान को गोली बारी जारी रखने के आदेश दिए तथा हथगोले फेंकने के लिए छत में छेद करने के लिए चार पार्टियों को तैनात किया ।

जब सैनिक छत में छेद कर रहे थे तो आतंकवादियों ने उन पर भारी गोला-बारी शुरूकर दी लेकिन सूबेदार लाल सिंह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कमरे में हथगोला फेंक दिया । इसके बावजूद आतंकवादियों ने सैनिकों पर तीन तरफ से गोली चलाना जारी रखा ताकि वे हथगोले फेंकने के लिए छत में छेद न कर पायें । सूबेदार लाल सिंह ने एक बार फिर अपनी जान की परवाह न करते हुए रेंग कर साथ वाले कमरे में हथगोला फेंका जहां से आतंकवादी गोली-बारी कर रहे थे । इससे अन्य पार्टियों को प्रत्येक कमरे में हथगोले फेंकने में अवसर मिली तथा इस प्रकार आतंकवादियों की तरफ से होने वाली गोली-बारी रुक गयी । तब यह पता करने के लिए कि कोई आतंकवादी जीवित है या नहीं एक बुलेट प्रुफ वाहन आंगन के अंदर भेजा गया । तलाशी के दौरान सूबेदार लाल सिंह चुपके से एक कमरे के पास पहुंच गए तथा उपयुक्त रणनीति अपनाते हुए जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो उसे खाली पाया । इसके बाद सतर्कता की स्थिति में अपने दाहिने हाथ में स्टेन गन पकड़े दूसरे कमरे के पास पहुंच कर उन्होंने दरवाजा खोल कर गोलियों की बौछार कर दी । तभी कमरे के अन्दर से आतंकवादियों द्वारा की गई गोलियों की बौछार से सूबेदार लाल सिंह के दाहिने हाथ में गोली लगी और उसकी कलाई जख्मी हो गई ।

इस मुठभेड़ में श्री लाल सिंह, सूबेदार ने उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फल-स्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23 फरवरी, 1991 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

सं० 59—प्रेज/92—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राजेश कुमार,
कांस्टेबल सं० 88255065,
48वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

अक्तूबर 1990 के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में आतंकवादियों ने थाना क्वाडीन क्षेत्र में अनेक हत्याएं, अपहरण और अन्य जघन्य अपराध किए । यह पता लगा कि आतंकवादियों की आतंक पैदा करने के उद्देश्य से दीवाली की पूर्व संध्या पर निर्दोष व्यक्तियों की बड़े पैमाने पर हत्या करने और सुरक्षा बलों पर आक्रमण करने की योजना है । क्वाडीन शहर के आसपास दीवाली की पूर्व संध्या पर आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार दबाव बनाए रखने के लिए सीमा सुरक्षा बल की 48 वीं बटालियन द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ नाकाबंदी की गई ।

17 अक्तूबर, 1990 को लगभग 19.30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 48 वीं बटालियन के कम्पनी कमांडर ने कलवान-क्वाडीन लिंक रोड़ पर, "टी" जंक्शन के नजदीक नाकेबंदी की । लगभग 19.50 बजे, नाका दल ने देखा कि गांव कलवान की तरफ से एक ट्रैक्टर आ रहा है । जब टैक्टर नाकाबंदी स्थान के नजदीक पहुंचा तो पार्टी कमांडर ने सर्च लाईट फैंकी और ड्राईवर को रुकने के लिए कहा । इस पर ट्रैक्टर में बैठे 5–6 उग्रवादियों ने एल० एम० जी० से नाका दल पर 10–15 राउंड गोलियों की लम्बी बौछार कर दी । नाका पार्टी के कमांडर ने अपने दल की आत्मरक्षा में आतंकवादियों पर गोली के जवाब में गोलियां चलाने का आदेश दिया । उसके बाद आतंकवादी नीचे कूदे और कुछ समय तक गोलीबारी करते रहे । इसी बीच, जब एक आतंकवादी अपनी एल० एम० जी० की मैगजीन बदल रहा था तो कांस्टेबल राजेश कुमार अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बगैर अपने मोर्चे से बाहर निकले और आतंकवादी के ऊपर कूद पड़े तथा उसकी एल० एम० जी० छीन ली । एल० एम० जी० छीनने के बाद राजेश कुमार ने उसी एल० एम० जी० से आतंकवादियों पर गोलियां चलायी । आतंकवादी पीछे हटने लगे और ऊबड़-खाबड़ जमीन और गन्ने-बैरी के खेतों का फायदा उठाकर गांव कलवान की तरफ भाग निकले । उसके बाद सीमा सुरक्षा बल/पुलिस कार्मिकों ने आस-पास के क्षेत्र में संयुक्त तलाशी की और सुरजीत सिंह पुत्र चरण सिंह गांव कलवान और

गुरमीत सिंह पुत्र सुन्दर सिंह, गांव बारहा नांगल नामक दो संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा गया । तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में गोला-बारूद भी बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में, श्री राजेश कुमार, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृतभत्ता भी दिनांक 17 अक्तूबर, 1990 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

सं० 60-प्रेज/92—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री इकबाल सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल सं० 87342475,
69वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक दिया गया

27 अक्तूबर, 1990 को लगभग 16.25 बजे, 69वीं बटालियन, बी०एस०एफ० के कमांडेंट अपने सुरक्षाबल के साथ (कांस्टेबल इकबाल सिंह सहित), तीन वाहनों पर डेनी पोवा ब्रिज (अनन्तनाग) से लौटते हुए जंगल मंडी की की तरफ जा रहे थे। अचानक ही सड़क के किनारे खड़े उग्रवादियों ने उन पर अन्धाधुंध स्वचालित हथियारों और हथगोले से भारी गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी सड़क के दोनों ओर के किनारों पर स्थित मकानों और मालिकनाग/हजरतबाल की ऊंचाइयों से हो रही थी।

कांस्टेबल इकबाल सिंह कमांडेंट के सुरक्षा बल के एक सदस्य थे और दूसरे वाहन में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने बड़ी तत्परता से स्थिति के अनुसार कार्रवाई की, उग्रवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी की परवाह न करते हुए, वाहन से कूद गए, उन्होंने मोर्चा सम्भाल लिया और अपने हथियार से गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे कि उग्रवादियों की गोलियों को प्रभावहीन किया जा सके और उनके साथियों को बचाव मिल सके जिससे वे मोर्चा संभाल लें। कांस्टेबल इकबाल सिंह के इस बहादुरी के कार्य से वांछित प्रभाव पड़ा। कुछ समय के लिए उग्रवादियों द्वारा बरसाई जा रही आग की गहनता कम हो गई और उग्रवादियों को मजबूरन अपनी स्थिति बदलनी पड़ी।

कुछ उग्रवादियों को गोलियों से भागते हुए देख कर, कांस्टेबल इकबाल सिंह ने गोलियां चलाते हुए उनका पीछा करना शुरू कर दिया। इसी बीच उग्रवादियों ने अपने को पुनः संघटित कर लिया और कांस्टेबल इकबाल सिंह पर यू० एम० जी० से गोलियां दागी। उन्होंने मोर्चा संभाला और स्थिति को भांपा और यू० एम० जी की गोलियों की दिशा का पता लगाने में सफल हो गए । उन्होंने उसी दिशा में गोलियां चलाईं और एक बार फिर कुछ समय के लिए उग्रवादियों की बन्दूकें खामोश करने में सफल हो गए। इसी बीच में सैनिकों ने स्थिति सम्भाल ली और उग्रवादियों पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। उग्रवादियों का मनोबल समाप्त हो गया और उन्होंने भागना शुरू कर दिया। श्री सिंह अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपनी पार्टी के कार्मिकों के आगे भागते हुए उग्रवादियों का पीछा किया। अचानक ही एक गोली उन्हें लगी। गोली से भयंकर रूप से जख्मी हो गए और नीचे गिर पड़े। घातक रूप से जख्मी होने के बावजूद भी वे उग्रवादियों पर गोलियां चलाते रहे और अपने आखिरी दम तक बहादुरी से लड़ते रहे। उग्रवादियों द्वारा सुनियोजित हमले का सफलतापूर्वक मुकाबला करने में श्री सिंह के इस बहादुरीपूर्ण और साहसी कार्य से उनके दल के कार्मिकों की जानें बच सकीं।

इस मुठभेड़ में श्री इकबाल सिंह, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 27 अक्तूबर, 1990 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक।

सं० 61-प्रेज/92—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री प्रफुल्ल चन्द्र प्रधानी,
कांस्टेबल सं० 89163071,
18वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

26 मार्च, 1991 को 7 बजे सीमा सुरक्षा बल की पी-2 बटालियन के एक प्लाटून को गांव गोनियन कलां

के इर्द गिर्द दो आतंकवादियों के घूमने के बारे में सूचना मिली। ये शीघ्र ही गांव गोनियन कलां की ओर दौड़े वहां पहुंचने पर पता लगा कि खौफनाक हथियारों से लैस आतंकवादी खेतों की ओर भाग गए थे।

09.40 बजे के करीब तलाशी कार्रवाई के दौरान कांस्टेबल पी० सी० प्रधानी को व्यक्तियों के पैरों के निशान मिले। उन्होंने पदचिन्हों का पीछा किया, ऊंची घनी फसलों में करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद पदचिन्हों के मुड़ने के निशान पाए और मुड़ने पर श्री प्रधानी ने दो आतंकवादियों को लेटी हुई स्थिति में देखा, जो आगे बढ़ते हुए बी० एस० एफ० कार्मिकों पर गोलियां दागने के लिए तयार थे। श्री प्रधानी ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए तत्काल तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी और बहुत ही पास की दूरी से दोनों आतंकवादियों पर अपनी एस० एस० आर० से बड़ी गोलियां दाग दीं। आतंकवादी गम्भीर रूप से घायल और अपंग हो गए थे किन्तु ऐसा होने के बावजूद भी उन्होंने कांस्टेबल प्रधानी और उनकी पार्टी पर अपने हथियारों से गोलियों की बौछार जारी रखी। कांस्टेबल प्रधानी आतंकवादियों का सिर नीचा रखने के लिए उनपर गोलियां दागते रहे। इसी बीच में दूसरे बी०एस०एफ० कार्मिकों ने मोर्चा संभाला और आतंकवादियों की तरफ गोलियां चलाईं। भारी गोलाबारी के दौरान आतंकवादियों की तरफ जाते हुए कांस्टेबल प्रधानी के पेट में गोली लगी परन्तु बहुत खून निकलने के बावजूद भी उन्होंने आतंकवादियों पर गोलियां चलानी जारी रखी और अपनी टीम के सदस्यों को अपनी मैगजीन भरने के लिए काफी समय उपलब्ध कराया और आतंकवादियों पर दुबारा गोलीबारी शुरू की।

इस गोलीबारी में दोनों आतंकवादी मारे गए। उनमें से एक भयंकर सूचीबद्ध आतंकवादी रंजीत सिंह था किन्तु दूसरा आतंकवादी पहचाना नहीं जा सका। तलाशी के दौरान मुठभेड़ के स्थान से एक ए०के०-47 राइफल, एक 7 एमएम० बोल्ट एक्शन राइफल और असंख्य जीवित/खाली कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री प्रफुल्ल चन्द्र प्रधानी, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 मार्च, 1991 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

सं० 62-प्रेज/92—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री श्याम सिंह, (मरणोपरान्त)
हैड कांस्टेबल,
33वीं बटालियन, पी०ए०सी०,
जिला बांदा।

श्री जयराम सिंह,
कांस्टेबल,
43वीं बटालियन, पी०ए०सी०,
जिला बांदा।

श्री सदा शिव यादव, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
43वीं बटालियन, पी०ए०सी०,
जिला बांदा।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

15 मार्च, 1990 को लगभग 4.00 बजे अपराह्न में ग्राम हस्ताम, थाना बिसांडा के निवासी थांगानाई के घर में 7-8 डाकुओं की मौजूदगी की सूचना पाकर, श्री वी० एस० सिद्धू पुलिस अधीक्षक ने डा० तहसीलदार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक को डाकुओं का घेरा करने और उनका मुकाबला करने के लिए तत्काल उपलब्ध बल को इकट्ठा करने का निर्देश दिया। पूरा बल बिना समय गवांए खरहद चौकी पर लगभग 4.35 बजे अपराह्न पहुंच गया। पुलिस अधीक्षक ने तब मुखबिर और ग्रामवासियों से गैंग के ठिकाने के बारे में पूछताछ की जिन्होंने सूचित किया कि गैंग किसी केशव सिंह के घर में अपराध करने के इरादे से गांव के बाहर नाले की तरफ जा चुका है।

समूचे पुलिस बल को 5 दलों में बांट दिया गया जिसमें पहली टुकड़ी का नेतृत्व एस० पी०, दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व डी०एस०पी० बांदा कर रहे थे और तीसरी टुकड़ी को पुलिस इन्सपैक्टर, कोतवाली के चार्ज में सौंपा गया था। इसी प्रकार चौथी व पांचवीं टुकड़ियां क्रमशः रिजर्व पुलिस के सब इन्सपैक्टर और प्लाटून कमांडर के चार्ज में रखी गईं। पुलिस कार्मिकों को मुठभेड़ की रणनीति और समूची योजना समझाने के बाद सभी टुकड़ियों को 6.30 बजे सांय तक अपनी-अपनी पोजीशन ले लेने और गैंग के आगमन की प्रतीक्षा करने को कहा गया। लगभग 7.00 बजे सायं 7—8 शस्त्रों से लैस डाकू पुलिस वर्दी में केशव सिंह के घर पहुंचे और दरवाजा खुलवाने के लिए आवाज लगाई।

कोई जवाब न पाकर एक डाकू ऊंची आवाज में चिल्लाया कि यह बुद्ध सैन का गैंग है और यदि दरवाजे नहीं खोले गए तो घर के अन्दर रह रहे लोगों को मारने के लिए घर को आग लगा दी जाएगी। इस पर एस० पी० बांदा श्री सिद्धू ने डाकुओं को चेतावनी दी कि उन्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है और उन्हें अपने हथियार डालकर समर्पण कर देना चाहिए। डाकुओं ने इसका जवाब पहली टुकड़ी पर अन्धाधुंध गोलीबारी से दिया और पुलिस को चेतावनी दी कि वे लौट जाएं अन्यथा वे मारे जाएंगे। गोलियों की यह बरसात एस० पी० को निशाना बनाकर की गई थी जो सौभाग्यवश बच गए। श्री सिद्धू ने तब सभी टुकड़ियों को सावधान किया और उन्हें निर्देश दिया कि डाकू पुलिस घेरे से बच न निकलें। डाकुओं को भी विभिन्न पार्टियों द्वारा अपने हथियार डाल देने की चेतावनी दी गई। डाकुओं ने अपने आपको पूरी तरह पुलिस से घिरा हुआ पाकर अपने आपको छोटे-छोटे गुटों में बांट लिया और अंधाधुन्ध गोलीबारी शुरू कर दी। डाकुओं की भीषण गोलीबारी देखकर एस० पी० ने और पुलिस दल भेजने का संदेश भेजा। डाकुओं ने एस० पी० की आवाज सुनकर फिर उन पर फायरिंग की लेकिन वे चमत्कारी ढंग से बच निकले और उन्होंने जवाब में गोली चलाई। पुलिस उपाधीक्षक डा० सिंह और एक सब-इन्सपैक्टर ने भी डाकुओं पर भारी गोलीबारी की और बाकी की टुकड़ियां भी गोलीबारी में शामिल हो गईं। जबकि दोनों ओर से गोलीबारी जारी थी, 43वीं बटालियन पी०ए०सी० के कांस्टेबल जयराम सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना बेहतर पोजीशन लेने की कोशिश की और डाकुओं पर गोलियां चलाईं जिसका जवाब डाकुओं ने टुकड़ी सं० 5 पर गोलीबारी से दिया। इस बीच प्लाटून कमांडर ने एस० पी० को चिल्लाकर बताया कि कांस्टेबल जयराम सिंह को गोली लग गई है, चूंकि एस० पी० गोलीबारी में लगे हुए थे, उन्होंने प्लाटून कमांडर को निर्देश दिया कि घायल कांस्टेबल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाए। उन्होंने लाउडहिलेर पर सभी पुलिस बलों को भी अपनी स्वयं की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए डाकुओं पर दबाव बढ़ाने का निर्देश दिया। डाकू अब दबाव में आ गए थे और उनकी फायरिंग तेज हो गई।

अब तक 43वीं बटालियन पी०ए०सी० के कांस्टेबल सदा शिव यादव ने कांस्टेबल जयराम सिंह के स्थान पर पोजीशन ले ली थी। डाकुओं ने पुलिस पार्टी नं० 1 की तरफ बढ़ना शुरू किया और पुलिस द्वारा गोली चलाने के परिणामस्वरूप एक डाकू गिर पड़ा। पुलिस अधीक्षक और उनकी टुकड़ी पर आसन्न खतरे को भांपते हुए पुलिस उपाधीक्षक ने तुरन्त दरवाजा खोल दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। और गोलियों के आदान-प्रदान में एक डाकू को गोली लगी और वह गिर पड़ा। बाद में डाकुओं की ताजा स्थिति जानने के लिए गोलीबारी रोक दी गई। अचानक डाकुओं ने पुलिस उपाधीक्षक पर गोली चला दी, लेकिन अपने भाग्य से वह बच गए। इस बीच एस० पी० और एक पुलिस सब-इन्सपैक्टर केशव सिंह के घर की छत से पूर्वी किनारे की तरफ रेंगते हुए गए और एस० पी० ने रोशनी के लिये बी०एल०पी० फायर का आदेश दिया। डाकुओं ने दक्षिण-पूर्वी दिशा में भागने की कोशिश की लेकिन कांस्टेबल सदा शिव यादव ने उन्हें भागने से रोकने के लिए डाकुओं पर गोली चलाई जिसके दौरान उन्हें गोली लगी और वे नीचे गिर पड़े। इस बीच 33वीं बटालियन पी०ए०सी० के एक हवलदार ने अपने को खतरे में डालकर एक डाकू पर गोली चलाई जो उनके निकट से भारी गोलीबारी कर रहा था और उन्होंने उसे मार गिराया। गिरते हुए वह हवलदार पर गोली चलाने में भी सफल हो गया। अब तक एस० पी० और डिप्टी एस० पी० पार्टी नं० 5 के पास दक्षिणी निकास तक पहुंच चुके थे जहां उन्हें फिर डाकुओं की गोलियों की झड़ी का सामना करना पड़ा। हवलदार श्याम सिंह और कांस्टेबल सदा शिव यादव, जो मुठभेड़ के दौरान गोलियों से घायल हुए थे, को तुरन्त जिला अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया।

इस बीच, घटनास्थल पर अतिरिक्त सुरक्षा बल पहुंच गई जिसे गांव के चारों ओर तैनात कर दिया गया और यह निर्णय लिया गया कि गांव की गहन तलाशी प्रातः की जाएगी गांव में डाकुओं की तलाशी पर यह पता चला कि बाकी डाकुओं ने भागते हुए एक ग्रामवासी सदाशिव सिंह को मार डाला है। यह भी पता चला कि मुठभेड़ में तीन डाकू मारे गये जिनकी बाद में राजा सिंह, अच्छे लाल नाई और छोटे लाल साहू के रूप में पहचान की गई। दो अमेरिकन राइफल केलिबर 30.06 स्प्रिंग फील्ड तथा बड़ी मात्रा में बिना चले कारतूस और खाली खोल और 1 डी० बी० बी० एल० 12 बोर गन बगैर चले कारतूस/खाली खोल उनके कब्जे से बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री श्याम सिंह, हैड कांस्टेबल, श्री जय राम सिंह, कांस्टेबल और श्री सदा शिव यादव, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट बीरता, साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत बीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 मार्च, 1990 से दिया जायेगा।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

सं० 63-प्रेज/92—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री हरीश चन्द्र सिंह,
पुलिस अधीक्षक,
जिला खेड़ी।

श्री चण्डी प्रसाद थपलियाल,
पुलिस उपाधीक्षक,
जिला खेड़ी।

श्री लक्ष्मीनारायण चतुर्वेदी,
पुलिस निरीक्षक,
जिला खेड़ी।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 14 दिसम्बर, 1990 को खेड़ी के पुलिस अधीक्षक को भारतीय स्टेट बैंक की मोहम्मदी शाखा में बैंक डकैती के बारे में सूचना मिली। तुरन्त ही श्री सिंह, सी० ओ० गोला, श्री सी० पी० थपलियाल के साथ गश्ती कार में उस स्थान की ओर चल पड़े और इसी दौरान सभी थानों व चैक पोस्टों को चौकन्ना कर दिया गया जबकि निकटवर्ती थानों के एस० ओ० तथा एस० एच० ओ० को मोहम्मदी पहुंचने की हिदायतें दी गईं। स्थल पर पहुंच कर श्री सिंह ने देखा कि सिख आतंकवादी पुलिस दल पर बेरहमी से ए० के० 56 एसाल्ट राइफलों से गोलियां बरसा रहे हैं और गन्ने के खेतों की ओर निकल गए। जब श्री सिंह ने पुलिस दल का नेतृत्व संभाला और पुलिस दल को तीन ग्रुपों में बांट दिया। पहला दल मोहम्मदी के निरीक्षक, श्री चतुर्वेदी, दूसरा दल सी० ओ० गोला श्री थपलियाल तथा तीसरा दल स्वयं के नेतृत्व में। आतंकवादियों ने काफी सुरक्षित रूप से मोर्चा ले रखा था और अन्धाधुन्ध गोलियां चला रहे थे। अविचलित श्री सिंह ने उन्हें हथियार डालने की चुनौती दी परन्तु उसका जवाब गोलियों की बौछार से मिला। पुलिस दल ने जवाब में गोलियां चलाईं परन्तु ए० के० 56 से उनकी कोई तुलना नहीं थी। इसी दौरान और अधिक पुलिस के पहुंच जाने पर भी श्री सिंह ने आतंकवादियों को बाहर खींचने के लिए गन्ने के खेतों में आग लगा दी परन्तु अत्याधिक सीलन के कारण यह बेकार साबित हुआ। श्री सिंह ने उत्साह एवं सूझबूझ को खोये बिना दो अन्तिम घाती दल बनाये, एक का नेतृत्व उन्होंने श्री चतुर्वेदी के साथ स्वयं संभाला और दूसरे दल का श्री थपलियाल ने। दोनों तिरछा होकर विपरीत दिशा की ओर बढ़े। श्री सिंह व श्री चतुर्वेदी के नेतृत्व वाले दल को एक ए० के० 56 एसाल्ट राइफल को उड़ाने में सफलता मिली परन्तु आतंकवादियों द्वारा हथगोलों व गोलियों की बौछारों के कारण आगे बढ़ना कठिन हो गया। श्री थपलियाल के नेतृत्व वाले दल ने निरन्तर गोलीबारी करके आतंकवादियों को दबाव में बनाए रखा और पहले दल के हमले से उनका ध्यान हटाए रखा। आतंकवादियों ने गोलीबारी जारी रखी और दो हथगोले भी दागे जिससे पुलिस कार्मिकों को चोटें आईं। चूंकि अंधेरा हो रहा था इसलिए श्री सिंह, श्री चतुर्वेदी तथा श्री थपलियाल ने पुलिस दल का मनोबल बनाए रखा तथा गोलीबारी जारी रखी जबकि सभी खाली स्थानों को बन्द कर दिया गया और सभी पुलिस दलों के कार्य को ठहर-ठहर कर आंकते रहे।

प्रातःकाल अर्थात 15-12-90 को जब दूसरी ओर से कोई गोलीबारी नहीं हो रही थी श्री सिंह ने श्री चतुर्वेदी व श्री थपलियाल के साथ-साथ खेत में प्रवेश किया और तलाशी के बाद दो आतंकवादी मृत पाये गये और प्राथमिक पूछताछ से पता चला कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के स्वयं-भू ले० जनरल अवतार सिंह तथा भाई रेशम सिंह गुट के हैं। दो ए० के० एसाल्ट राइफलें, सात मैगजीन, दो सक्रिय हथगोले, क्लीनिंग रॉड व मेटिरियल, गोला बारूद का थैला और काफी सक्रिय व निष्क्रिय गोलियां बरामद की गईं।

इस मुठभेड़ में श्री हरीश चन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक, श्री चण्डी प्रसाद थपलियाल, पुलिस उप-अधीक्षक तथा श्री लक्ष्मीनारायण चतुर्वेदी पुलिस निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 दिसम्बर, 1990 से दिया जायेगा।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

सं० 64-प्रेज/92—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं।

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राम प्रकाश सिंह पुंडीर,
पुलिस सब इंस्पैक्टर,
सिविल पुलिस,
जिला—मेरठ

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

श्रीराम प्रकाश सिंह पुंडीर, स्टेशन आफिसर खरखोदा को दिनांक 19 जनवरी, 1990 को सुबह लगभग 8.00 बजे

सूचना मिली कि सुनिल पुत्र श्री डालचन्द निवासी नानपुर नाम के एक लड़के का अपहरण हो गया है और अपहरण-कर्ताओं ने उसे छोड़ने के लिए 3 लाख रुपये की फिरौती की मांग की है तथा फिरौती के लिए गांव जूनागढ़ के गन्ने के खेतों का स्थान तय किया गया है। श्री पुंडीर ने तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और स्वयं उस स्थान के लिए चल पड़े जहां फिरौती का भुगतान होना था। इसी बीच एस० पी०, आर० ए० और सी० ओ० इन्चौली के नेतृत्व में पुलिस बल उस स्थान पर पहुंच गया। बल के जवानों को सारा मामला विस्तारपूर्वक बता दिया गया और उन्हें तीन पार्टियों में बांट दिया गया तथा उन्होंने बताई गई जगहों पर पोजिशन ले ली। दोपहर के लगभग 12.00 बजे, श्री पुंडीर के निर्देशानुसार अपहृत व्यक्ति के पिता श्री डालचन्द चिल्ला कर बोले, "मैं अपने वायदे के अनुसार तीस लाख रुपये लेकर आ गया हूं मेरे लड़के सुनील को ले आओ, रकम ले लो और मेरे बेटे को छोड़ दो"। यह सुनकर अपराधियों में से एक ने गन्ने के खेतों से बाहर झांककर देखा परंतु पुलिस पार्टी को देखकर शीघ्र ही वापिस खेतों में चला गया। खेतों में अपराधियों की उपस्थिति की पुष्टि होने पर, श्री पुंडीर ने तत्काल उन्हें आत्म-समर्पण के लिए ललकारा परंतु अपराधियों ने इसका जवाब पुलिस पार्टी भारी गोलीबारी से दिया। श्री पुंडीर और उनकी पार्टी के लोग भारी गोलीबारी का सामना करते हुए अपराधियों की तरफ रेंगने लगे और अपनी जान को भारी जोखिम में डाल दिया, जिस प्रक्रिया में श्री पुंडीर की टांग में चोट आ गई। चोटों के बावजूद वह आगे बढ़ते गए और अपराधियों को जिनकी संख्या लगभग 9–10 थी पीछे हटने को मजबूर कर दिया। अपराधी अपने साथ अपहृत सुनील, जोकि अपने प्राणों के लिए चिल्ला रहा था, को भी अपने सुरक्षित बचने के प्रयास में गांव जाहिदपुर की शमशान भूमि की ओर खदेड़ ले गए। श्री पुंडीर, जिनपर अब गोलीबारी को सीमित करने का दबाव था क्योंकि वह अपहृत व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुचाना चाहते थे, ने अपराधियों को गिरफ्तार करने और लड़के को सुरक्षित छुड़ाने का निर्णय लिया। श्री पुंडीर और उनकी पार्टी ने लड़के को सुरक्षित छुड़ाने का दृढ़ निश्चय करके और अपने जीवन को भी जोखिम में डालते हुए, लड़के को लेकर भागते हुए अराधियों का पीछा किया। तेजी से पीछा करने के दबाव श्री पुंडीर अपराधियों को घेरने और बिना नुकसान पहुचाए लड़के सहित दो अपराधियों को पकड़ने में सफल रहे, जबकि बाकी अपराधी दूसरी दिशाओं में गन्ने के गहरे खेतों में भागकर बच निकले। शस्त्र एवं गोलाबारूद के साथ पकड़े गए अपराधियों की पहचान शौकत उर्फ बिल्लू और फजल के रूप में की गई।

इस मुठभेड़ में श्री राम प्रकाश सिंह पुंडीर, पुलिस सब-इंस्पैक्टर ने उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19 जनवरी, 1990 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

सं० 65–प्रेज/92—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री विकास तुकाराम गायकवाड़,
पुलिस निरीक्षक,
बृहत मुम्बई।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 27 जुलाई, 1990 को थाना डा० डी० बी० मार्ग में 2.45 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद फिएट कार में घातक हथियारों से लैस छह अपराधी, कामा बाग, खेतवाड़ी में डाका मारने की नियत से आए हैं। परन्तु एक पुलिस बल उस स्थान के लिए चल दिया।

खेतवाड़ी पहुंचने पर उन्होंने कार को कामा बाग परिसर की दीवार के साथ खड़े देखा। वास्तविकता की पुष्टि करने के उपरान्त, एक जाल बिछाया गया। निरीक्षक बी० टी० गायकवाड़ और एक उप-निरीक्षक, दो पुलिस कार्मिकों सहित कार के आस-पास चक्कर लगाते रहे। अन्य पुलिस कार्मिकों ने पास की गली में मोर्चा संभाला और उस क्षेत्र को घेर लिया।

कुछ समय बाद चार व्यक्ति कार के नजदीक आए, उनमें से एक कार चालक के बैठने के स्थान के दरवाजे की ओर गया तथा अन्य दो अपराधी दरवाजा खोलने और उसमें बैठने की प्रतीक्षा करने लगे। इस बीच उनके दो अन्य साथी भी वहां आ पहुंचे। वहां से उनके भाग निकलने की इच्छा को भांपते हुए श्री गायकवाड़ जल्दी से चालक द्वार की ओर गए उनमें से एक को दबोचने का प्रयास किया, जबकि अन्य साथियों ने कार को घेर लिया। खतरे का आभास करते ही, उनमें से एक अपराधी ने "राजू-भागो" बोल कर शोर मचाया। राजू मुड़ गया और अन्य दो साथियों सहित भाग गया।

अपराधी अन्नाबू मर्दायगा ने जब स्वयं को फंसा हुआ पाया तो उसने श्री गायकवाड़ की ओर अपना रिवाल्वर तान दिया और धमकी देते हुए कहा कि उसे वहां से जाने दिया जाए। परन्तु श्री गायकवाड़ पीछे नहीं हटे और अपराधी

को पकड़ने के लिए आगे बढ़े । अपराधी ने गोली चला दी परन्तु श्री गायकवाड़ नीचे झुक गए और गोली तेजी से ऊपर से निकल गई। बिजली की गति की भांति फूर्ति से श्री गायकवाड़ आगे झुके और इससे पहले कि वह दोबारा गोली चला पाता उन्होंने अपराधी को पकड़ लिया । जब अन्य अपराधियों ने पाया कि उसका साथी बेसहारा हो चुका है तो उन्होंने कार की दूसरी ओर से श्री गायकवाड़ पर रिवाल्वर से निशाना तान लिया । इससे पहले कि वह गोली चला पाता, अन्य पुलिस कार्मिकों ने उसे दबोच लिया इस प्रकार दोनों अभियुक्तों को रिवाल्वर सहित गिरफ्तार कर लिया गया । इस बीच तीसरा अभियुक्त भी पकड़ा गया । परन्तु शेष तीन अभियुक्त बच कर भाग निकले ।

तलाशी लेने पर, दो देशी पिस्तोल, एक चाकू, तीन फरसे तथा आठ खाली/बिना प्रयोग हुए कारतूस सहित, अपराधियों से एक कार बरामद हुई । अपराधी लूटपाट के कई मामलों, डकैतियों, चैन छीनने, तथा हत्या के प्रयास आदि के कई मामलों में संलग्न पाए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री विकास तुकाराम गायकवाड़, पुलिस निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 27 जुलाई, 1990 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 1992

सं० 66-प्रेज/92—राष्ट्रपति, आर० पी० एस० एफ० के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री साम्बू लिंगप्पा,
कांस्टेबल,
5वीं बटालियन,
आर० पी० एस० एफ०,
तिरुचिरापल्ली ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 29 अक्तूबर, 1990 को आर० पी० एस० एफ० की 5वीं बटालियन की "डी" कम्पनी के श्री साम्बू लिंगप्पा, स्थानीय पुलिस तथा आर० पी० एफ० एस० के अन्य कार्मिकों सहित, राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद से सम्बन्धित आन्दोलनों के दौरान लखनऊ में थाना अमीनाबाद के अधीन मौलवीगंज मस्जिद वाले सबसे संवेदनशील क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी पर तैनात थे। लगभग 12.00 बजे एक विशिष्ट समुदाय के करीब 1000 व्यक्ति विभिन्न प्रकार के नारे लगाते हुए मस्जिद की ओर बढ़ने लगे उन्हें देखकर दूसरे समुदाय के लोग भी विरोध में नारे लगाने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप वहां तनाव उत्पन्न हो गया और अंत में वहां दोनों ओर से पथराव तथा ईंटें इत्यादि फैंकने आरम्भ हो गये । जिस समय दोनों ओर से पथराव हो रहा था तो उस समय कांस्टेबल साम्बू लिंगप्पा ने विजित आनन्द नामक एक 13 वर्षीय लड़के को एक विशिष्ट समुदाय के व्यक्तियों द्वारा गली में घसीट कर ले जाते हुए देखा और गंडासे से वार करते हुए देखा, जिस कारण लड़के से बहुत अधिक रक्त बह रहा था । अपनी जान को अत्यधिक जोखिम में डालते हुए कांस्टेबल साम्बू लिंगप्पा उस लड़के की ओर तेजी से गए और कुछ संघर्ष के बाद वे उस लड़के को उस उग्र भीड़ की चुंगल से छुड़ाने में सफल हो गए । इस प्रक्रिया में कांस्टेबल लिंगप्पा की छाती में दाईं ओर काफी चोट लग गई परन्तु अपने गहरे घावों की परवाह किये बिना वे लड़के को एक सुरक्षित स्थान पर ले आए और बेहोश हो गए । इस प्रकार उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल मासूम लड़के की जान बचाई ।

इस मुठभेड़ में श्री साम्बू लिंगप्पा, कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिखाया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 29 अक्तूबर, 1990 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 1992

सं०-67-प्रेज/92—राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री टी० वरहाला राजू,
पुलिस उप निरीक्षक,
थाना करीमनगर 11 शहर

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

करीमनगर शहर पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक श्री टी० वरहला राजू, अन्य पुलिस कार्मिकों के साथ भूमिगत उग्रवादियों को पकड़ने के लिए विशेष ड्यूटी पर थे। दिनांक 10 मई, 1988 को लगभग 9.00 बजे अपराह्न उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि उग्रवादी डग्गू रायलिंगू और उसका दल वारंगल शहर में एक मकान में शरण लिए हुए हैं और एक अन्य जघन्य अपराध करने की योजना बना रहे हैं । श्री टी० वरहला राजू ने वारंगल जिला पुलिस की सहायता मांगी । स्थानीय पुलिस के साथ श्री राजू छिपने के स्थान की ओर रवाना हुए । जहां पहुंचने पर, श्री राजू ने पुलिस बल को चार ग्रुपों में विभाजित किया। श्री राजू, एक हैड कांस्टेबल के साथ, मकान के पिछवाड़े में कूदे। श्री राजू ने एक व्यक्ति को, जो चारपाई में सोया हुआ था, जगाया और उसे अपनी पहचान बताने के लिए और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। उस व्यक्ति ने श्री राजू का हाथ पकड़ लिया और वह पुलिस-पुलिस चिल्लाया। शोरगुल सुनकर दो औरतें घर से बाहर पहुंची और श्री राजू और दूसरे कांस्टेबल के साथ भिड़ गई और उनके हथियार छीनने की कोशिश की। इसी बीच उग्रवादी डग्गू रालिंगू बाहर आया और उसने श्री राजू पर गोली चलायी और उसकी दाहिनी टांग जख्मी कर दी। लेकिन जख्मी होने के बावजूद श्री राजू ने उग्रवादी की गोली का जवाब गोली से दिया श्री राजू को मारने के प्रयास में, उग्रवादी डग्गू रालिंगू ने अंधाधुंध गोलीबारी की और अपने विश्वासपात्र साथी श्री संतोष रेड्डी को मार डाला जब संतोष रेड्डी गोली लगने से जख्मी हो गए और वे जमीन पर गिर पड़े तो श्री राजू ने मरते हुए आदमी की आड़ ली और डग्गू रालिंगू पर गोली चलाई और उसे घटना स्थल पर ही मार दिया। दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी में दोनों महिलाएं भी गोली लगने से जख्मी हो गई। तलाशी के दौरान एक स्मिथ और वेसन 455 रिवाल्वर, गोला बारूद के साथ एस० एल० आर० और 31,000 रु० नकद बरामद किए गए। उग्रवादी डग्गू रालिंगू 17 अपराधिक मामलों में अर्न्तग्रस्त था।

इस मुठभेड़ में श्री टी० वरहाला राजू, पुलिस उप निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 मई, 1988 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 1992

सं० 68-प्रैज/92—राष्ट्रपति, मध्यप्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री छेदीलाल दुबे (मरणोपरान्त)
हैड कांस्टैबल,
पहली बटालियन,
एस० ए० एफ०,
इंदौर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

इंदौर का बंबई बाजार जुआ, वैश्यवृति, चोरी छिपे शराब बेचने, स्मैक तथा अन्य नशीले पदार्थ की बिक्री जैसी सभी प्रकार की अपराधिक गतिविधियों के लिए बदनाम हो गया है। हाल के वर्षों में करामत पहलवान के अपराधिक साम्राज्य पर उनके लड़कों अर्थात बाला बेग, अख्तर बेग, जफर बेग, सरवर बेग तथा बाबू बेग ने अधिकार कर लिया है। ये सभी नामी अपराधी हैं। इंदौर में सभी साम्प्रदायिक दंगें इसी क्षेत्र से शुरू होते हैं।

10 फरवरी, 1991 को जब बंबई बाजार चौकी के हैड कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह ने जफर बेग के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की तो जफर बेग ने हैड कांस्टेबल पर हमला किया। सूचना मिलने पर, एस० एच० ओ० पुलिस स्टेशन पांडरीनाथ ने जफर बेग को गिरफ्तार कर लिया लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में गुस्से की लहर दौड़ गई तथा अख्तर बेग ने 100, 150 व्यक्तियों को इकट्ठा किया और बंबई बाजार चौकी पर आक्रमण कर दिया। भीड़ ने एक सब इंस्पेक्टर तथा कांस्टेबल की पिटाई कर दी, फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया और पुलिस चौकी को लूट लिया उन्होंने पुलिस कर्मियों की एक मोटर साइकिल तथा दो साइकिलों को आग लगा दी, टेलीफोन के तार काट दिए और उपकरण (यंत्र) ले गए और मुख्य जवाहर मार्ग रोक दिया इस साम्प्रदायिक संवेदनशील क्षेत्र में गड़बड़ी की खबर सुनकर पुलिस अधीक्षक अपने गनमैन कांस्टेबल सी० एम० दुबे के साथ घटनास्थल की ओर दौड़े तथा धुंआं और आग देखी और लोगों को अत्यधिक आतंक में विभिन्न दिशाओं में भागते हुए देखा अश्रुगैस तथा लाठी चार्ज का सहारा लिया गया लेकिन भीड़ ने पत्थर बाजी की और पुलिस दल पर घर में बने बम फैंके।

पुलिस अधीक्षक और हेड कांस्टेबल ने, अपनी जान की गंभीर खतरे की परवाह न करते हुए सभी ओर से भारी

अस्त्र शस्त्र का सामना किया। कभी-कभी पुलिस कर्मियों, जिनकी संख्या बहुत कम थी, तथा गुंडों की बढ़ती हुई भीड़ के बीच आमने-सामने हाथापाई हुई। बाला बेग के घर के सामने बहुत अधिक पत्थर बाजी हुई और बाला बेग ने जो अपने तीन मंजिल मकान में सबसे ऊपर खड़े हुए थे, पुलिस अधीक्षक को मारने के उद्देश्य से भारी घिसाई पत्थर फेंका लेकिन श्री दूबे ने, जो पुलिस अधीक्षक का छाया की तरह पीछा कर रहे थे तथा अत्याधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्हें संरक्षण प्रदान कर रहे थे, फेंके जाने वाले पत्थर को देख लिया, वह उस पत्थर (मिसाइल) तथा पुलिस अधीक्षक के बीच में आ गए। यह पत्थर श्री दूबे को सिर पर लगा। वह इस भारी पत्थर के आघात से लड़खड़ा कर गिर पड़े तथा उनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई लेकिन ने पुलिस अधीक्षक के जीवन को बचाने के अपने उद्देश्य में सफल हो गए। बाद में, उन तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्होंने अनेक जघन्य अपराध किये थे।

इस घटना में श्री छेदीलाल दुबे हेंड कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19 फरवरी, 1991 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 1992

सं० 69-प्रेज/92—राष्ट्रपति, कर्नाटक पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री डी० कृष्णे अर्स,
पुलिस उप-निरीक्षक,
वन चल दस्ता (फोरेस्ट मोबाइल स्क्वाड),
मैसूर, कर्नाटक।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 9 अप्रैल, 1990 को लगभग 1.00 बजे अपराह्न, श्री डी० कृष्णे अर्स सहित इस पुलिस अधिकारी वीराप्पन नामक एक खूंखार अपराधी और उसके गिरोह जो लगभग 20 हत्या के मामले में अन्तर्ग्रस्त थे, की उपस्थिति संबंधी सूचना के प्रमाणीकरण के लिए होंगेकल की ओर गए। होंगेकल गोपीनाथन सड़क पर वापस जाते हुए उन्होंने सड़क को शिलाखण्डों से अवरुद्ध पाया। जिस जीप में पुलिस कार्मिक जा रहे थे, उस पर अचानक गोलियों की बौछार हुई, जिसके परिणामस्वरूप 4 पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर ही वीर गति को प्राप्त हो गए। जीप में एक दम बायीं ओर बैठे हुए श्री अर्स तुरन्त जीप से नीचे उतरे और उन्होंने 9 एम० एम० पिस्तौल से गोलियां चलानी शुरू कर दी। जब उनकी मैगजीन खाली हो गई तो उन्होंने एक कास्टेबल से जिसे चोट लग गई थी .303 राइफल छीन ली और गोलियां चलानी शुरू कर दीं। वह दूसरी बार गोली चलाने ही वाले थे कि इस कार्रवाई के दौरान एक गोली उनके बाएं हाथ में लगी। यह महसूस करते हुए कि जीप में बैठे सभी व्यक्तियों को गोलियां लग गई, वे जीप को विपरीत दिशा में ले गए और होंगेकल की ओर चल दिए। तमिलनाडु पुलिस की सहायता से उन्होंने पांच घायल व्यक्तियों को धर्मपुरी अस्पताल पहुंचाया। श्री डी० कृष्णे अर्स के इस कार्य से उनके कुछ साथियों की जानें बच गई।

इस मुठभेड़ में श्री डी० कृष्ण अर्स पुलिस उप-निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9 अप्रैल, 1990 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 1992

सं० 70-प्रेज/92—राष्ट्रपति, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री एस० डी० प्रधान,
उप-निरीक्षक (रेडियो ओपरेटर),
IV बटालियन,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस,
पहिडांडा, उत्तर काशी,
उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

7 जून, 1991 को लगभग 18.00 बजे "बारागुडी गाड" में अचानक उम्मीद से अधिक पानी भर गया और एस० पी० एफ० शिविर के बचाव के लिए बनाये गए सभी अवरोध

बाढ़ के पानी में बह गए। नदी ने अपना मार्ग भारत तिब्बत सीमा पुलिस शिविर की ओर बदल दिया। अपने आदमियों और सरकारी स्टोर के लिए उत्पन्न खतरे को देखते हुए श्री प्रधान नदी के बदले हुए बहाव में कूद पड़े और आदमियों और सामान को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के कार्य में जुट गए।

9 जून, 1991 को लगभग 2200 बजे, नदी में पानी फिर बढ़ने लगा और लगभग 200 बैरल, उनमें से कुछ मिट्टी के तेल के बह गए। श्री प्रधान जवानों के साथ उस भयंकर नदी में कूद पड़े, और लगभग 100 बैरलों को बचाने में कामयाब हो गए। 16 जून, 1991 की शाम को नदी में पानी पुनः भयंकर रूप में बढ़ने लगा और नदी में पहले आई बाढ़ के मुकाबले यह बाढ़ अत्याधिक भयंकर हो गई और इसका पानी जवानों के मैस और सोलार हट के साथ-साथ बहने लगा। अत्याधिक ठंडे पानी की तेज धारा/अंधेरी रात के बावजूद उप निरीक्षक चार जवानों के साथ, नदी में कूद पड़े और डेढ़ घंटे के बाद वे अवरोधकों को तोड़कर नदी के बहाव को दूसरी दिशा की ओर मोड़ने में सफल हो गए। इस प्रकार से उन्होंने सोलार हट और पूरे शिविर को बचाया।

इस मुठभेड़ में श्री एस० डी० प्रधान, उप निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7 जून 1991 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

सं० 71-प्रेज/92—राष्ट्रपति एन० एस० जी० के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

श्री आजाद वीर सिंह,
रेंजर-II,
13 एस०आर० जी०,
एन० एस० जी०।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

9-10 जुलाई, 1990 की मध्यवर्ती रात्रि को श्री एच० एल० यादव, टीम कमान्डर के नेतृत्व में घात लगाने वाले एक दल को, (जिसमें एक सहायक कमान्डर तथा श्री आजाद वीर सिंह रेंजर-II सहित, 15 रेंजर थे) जिला तरन-तारन, थाना बालतोहा, गांव कोतली वासवा सिंह के बाहर घात लगाने के लिए तैनात किया गया, ताकि उस क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों को पकड़ा जा सके। लगभग 2100 बजे दल ने गांव कोतली वासवासिंह से गांव बहादुर नगर को जा रहे मार्ग पर निगरानी रखने के लिए एक नहर के पास मोर्चा संभाला और उस मार्ग पर नजर रखी।

लगभग 0115 बजे उन्हें नहर के साथ की झाड़ियों के पीछे से अचानक निकलता हुआ एक नागरिक दिखाई दिया, जो घात दल के बहुत नजदीक था। जब घात दल ने उसे ललकारा तो वह चिल्लाया और इस आतंकवादियों के एक ग्रुप ने करीब 50 गज की दूरी से स्वचालित हथियारों से घातदल पर अचानक गोलियां चलाई। श्री आजाद वीर सिंह को, जो एल० एम०जी० चला रहे थे, उनके दाएं कन्धे पर गोलियां लगी। गोलियों से घायल होने तथा अत्यधिक रक्त बहने के बावजूद उन्होंने पूरा घूमकर अपने दाएं हाथ से आतंकवादियों पर गोली शुरू कर दीं उनके द्वारा समय पर जवाब में प्रभावकारी गोलीबारी किए जाने के फलस्वरूप आतंकवादियों को पीछे हटने के लिए बाध्य होना पड़ा इस प्रकार उन्होंने घात-दल को और अधिक हताहत होने से बचाया। कंधे के पास उनके दाएं हाथ पर कई जगह फ्रैक्चर हो गए थे और उनकी जान बचाने के लिए बाद में उनके दाएं हाथ को काटना पड़ा।

इस मुठभेड़ में श्री आजाद वीर सिंह, रेंजर-II ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 जुलाई, 1990 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

सं० 72-प्रेज/92—राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री कमलजीत सिंह,
पुलिस इंस्पैक्टर,
पुलिस स्टेशन बंगा,
जालन्धर

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 6 मई, 1991 को इंस्पैक्टर कमलजीत सिंह, एस० एच० ओ०, पुलिस स्टेशन बंगा को यह सूचना

मिली कि आतंकवादियों के एक दल ने नवां शहर स्थित कापरेटिव सोसायटी बैंक की कैश वैन पर हमला कर दिया जिसमें चार व्यक्ति मारे गए व चार व्यक्ति घायल हो गए और लगभग 5,53,500/– रु० की राशि गाड़ी से लूट ली गई। अपराध करने के पश्चात वे लाल मारूति गाड़ी में गुज्जरौर लिंक रोड़ की तरफ भाग गये।

श्री कमलजीत सिंह तत्काल अपने 5-6 बन्दूकधारियों के साथ भागते हुए आतंकवादियों को पकड़ने के लिए ऊंचालधाना गांव की तरफ बढ़े। जब वे लाल मारूति गाड़ी को ढूंढ रहे थे तो मार्ग में उन्हें सूचना मिली कि आतंकवादियों ने गाड़ी (वैन) छोड़ दी थी और वे ट्रक छीनकर नौरा-भौरा गांव की ओर भागे। पुलिस दल पहल गेलान की ओर मुड़ गया। मार्ग में उन्हें प्रतिकूल दिशा से ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। श्री कमलजीत ने शीघ्र ही स्थिति का जायजा लेते हुए अपने दल के कार्मिकों को अपना स्थान ग्रहण करने का आदेश दिया। जैसे ही ट्रक समीप आया, श्री कमलजीत सिंह ने उन्हें रुकने का इशारा किया किन्तु आतंकवादियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। श्री कमलजीत सिंह ने अपने बाएं ओर से घूमकर जिप्सी के पीछे से मोर्चा संभाला। पुलिस दल ने अपने मोर्चे से गोलीबारी की। आतंकवादियों ने भी अपने स्वचालित हथियारों से पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलियां चलाई।

श्री कमलजीत ने रेंग कर उबड़ खाबड़ जमीन के पीछे की ओर से मोर्चा सम्भाला और अपनी ए० के० 47 राइफल से आतंकवादियों पर गोली चलाई। यह देख कर आतंकवादियों ने कमलजीत सिंह पर एक हथगोला फैंका जिसके फट जाने से उसका एक टुकड़ा उनके बांए हाथ में जा लगा और उसमें से खून बहने लगा। घायल होने के बावजूद भी उन्होंने आतंकवादियों को व्यस्त रखा। गोला फेंकने के बाद आतंकवादी ट्रक से कूदकर पुलिस दल पर फायरिंग करते हुए अलग-अलग दिशाओं में भागने लगे।

श्री कमलजीत ने भागते हुए आतंकवादियों पर सही निशाना दागा, जो उनकी ओर ही कूदे थे। उन्होंने ट्रक पर भी गोली चलाई और उनमें से एक आतंकवादी को मार डाला जो पुलिस दल पर गोली चला रहा था। दल के अन्य सदस्यों ने भी आतंकवादियों पर गोली चलाई जो प्रतिकूल दिशा में भाग रहे थे। यह मुठभेड़ लगभग 45 मिनट तक जारी रही। तत्पश्चात आतंकवादियों की ओर से फायरिंग बन्द हो गई। तलाशी लेने पर ट्रक की अगली सीट पर एक आतंकवादी मृत पाया गया जबकि तीन आतंकवादी भागते हुए खेत में मारे गए। घायल आतंकवादियों को शीघ्र ही अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया।

[illegible] की जा रही थी, उसी दौरान श्री कमलजीत सिंह ने पहल गैलन गांव की ओर से गोली की आवाज सुनी। वह शीघ्र ही उस ओर बढ़ गए और वहां पहुंचने पर उन्होंने पुलिस उप-अधीक्षक, नवां शहर की जिप्सी में एक कांस्टेबल को मृत पाया वह एक हैड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल और डी०एस०पी० श्री लोक नाथ को घायल पाया। घायल होने के बावजूद भी श्री लोक नाथ ने घायल कांस्टेबल को एस० एल० आर० लेकर आतंकवादियों का पीछा किया जो अपने स्कूटर छोड़कर खेतों में भागने लगे थे। श्री लोक नाथ ने भागते हुए आतंकवादियों पर सही निशाना दागा जो गोलीबारी करते हुए छिपकर भाग रहे थे।

श्री लोक नाथ एक आतंकवादी को मारने में सफल हो गए। दूसरा आतंकवादी एक अन्य पुलिस कार्मिकों द्वारा मारा गया तथा तीसरा आतंकवादी मोराबाली की ओर भाग गया। एक सुनियोजित कार्रवाई के फलस्वरूप 8 आतंकवादियों का डकैती होने के दो घंटों के भीतर ही सफाया कर दिया गया। तलाशी के दौरान मुठभेड़ के स्थान से 4 ए० के०-47 राइफल, एक स्टेनगन, दो 7.62 एस०एम० राइफल्स, एक .30 बोर पिस्तौल, लूटा हुआ सारा धन, एक मारूति वैन और दो ट्रक बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में पुलिस इंस्पैक्टर श्री कमलजीत सिंह, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस व उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 मई, 1991 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

सं० 73–प्रज/92—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री लोक नाथ,
पुलिस उप-अधीक्षक,
सब डिवीजनल नवां शहर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 6 मई, 1991 को इंस्पेक्टर कमलजीत सिंह, एस० एच० ओ०, पुलिस स्टेशन बंगा को यह सूचना मिली कि आतंकवादियों के एक दल ने नवां शहर स्थित कापरेटिव सोसाइयटी बैंक की कैश वैन पर हमला कर दिया जिसमें चार व्यक्ति मारे गए व चार व्यक्ति घायल हो गए और लगभग 5,53,500/—रु० की राशि गाड़ी से लूट ली गई।

अपराध करने के पश्चात वे लाल मारुती गाड़ी में गज्जरोर लिंक रोड की तरफ भाग गए ।

श्री कमलजीत सिंह तत्काल अपने 5-6 बन्दूकधारियों के साथ भागते हुए आतंकवादियों को पकड़ने के लिए ऊंचाल-धाना गांव की तरफ बढ़े । जब वे लाल मारुति गाड़ी को ढूंढ रहे थे तो मार्ग में उन्हें सूचना मिली कि आतंकवादियों ने गाड़ी (वैन) छोड़ दी थी और वे ट्रक छीनकर नौरा-भौरा गांव की ओर भागे । पुलिस दल पहले गैलान की ओर मुड़ गया । मार्ग में उन्हें प्रतिकूल दिशा से ट्रक आता हुआ दिखाई दिया । श्री कमलजीत ने शीघ्र ही स्थिति का जायजा लेते हुए अपने दल के कार्मिकों को अपना स्थान ग्रहण करने का आदेश दिया । जैसे ही ट्रक समीप आया, श्री कमलजीत सिंह ने उन्हें रुकने का इशारा किया किन्तु आतंकवादियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी शुरू कर दी । श्री कमलजीत सिंह ने अपने बाएं ओर से घूमकर जिप्सी के पीछे से मोर्चा संभाला । पुलिस दल ने अपने मोर्चे से गोलीबारी की आतंकवादियों ने भी अपने स्वचालित हथियारों से पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलियां चलाई श्री कमलजीत ने रेंग कर उबड़-खाबड़ जमीन के पीछे की ओर से मोर्चा सम्भाला और अपनी ए० के०-47 राइफल से आतंकवादियों पर गोली चलाई । यह देखकर आतंकवादियों ने कमलजीत सिंह पर एक हथगोला फेंका जिसके फट जाने से उसका एक टुकड़ा उनके बांए हाथ में जा लगा और उसमें से खून बहने लगा । घायल होने के बावजूद भी उन्होंने आतंकवादियों को व्यस्त रखा । गोला फेंकने के बाद आतंकवादी ट्रक से कूदकर पुलिस दल पर फायरिंग करते हुए अलग-अलग दिशाओं में भागने लगे । श्री कमलजीत ने भागते हुए आतंकवादियों पर सही निशाना दागा, जो उनकी ओर ही कूदे थे । उन्होंने ट्रक पर भी गोली चलाई और उनमें से एक आतंकवादी को मार डाला जो पुलिस दल पर गोली चला रहा था । दल के अन्य सदस्यों ने भी आतंकवादियों पर गोली चलाई जो प्रतिकूल दिशा में भाग रहे थे । यह मुठभेड़ लगभग 45 मिनट तक जारी रही । तत्पश्चात् आतंकवादियों की ओर से फायरिंग बन्द हो गई । तलाशी लेने पर ट्रक की अगली सीट पर एक आतंकवादी मृत पाया गया जब कि तीन आतंकवादी भागते हुए खेत में मारे गए । घायल आतंकवादियों को शीघ्र ही अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया ।

जब तलाशी की जा रही थी, उसी दौरान श्री कमलजीत सिंह ने पहल गैलन गांव की ओर से गोली की आवाज सुनी । वह शीघ्र ही उस ओर बढ़ गए और वहां पहुंचने पर उन्होंने पुलिस उप-अधीक्षक, नवां शहर की जिप्सी में एक कांस्टेबल को मृत पाया गया व एक हैड कांस्टेबल, एक कान्स्टेबल और डी० एस० पी० श्री लोक नाथ को घायल पाया । घायल होने के बावजूद श्री लोक नाथ ने घायल कांस्टेबल की एस० एल० आर० लेकर आतंकवादियों का पीछा किया जो अपने स्कूटर छोड़कर खेतों में भागने लगे थे । श्री लोक नाथ ने भागते हुए आतंकवादियों पर सही निशाना दागा जो गोलीबारी करते हुए छिपकर भाग रहे थे । श्री लोक नाथ एक आतंकवादी को मारने में सफल हो गए । दूसरा आतंकवादी एक अन्य पुलिस कार्मिक द्वारा मारा गया तथा तीसरा आतंकवादी मोरावाली की ओर भाग गया । एक सुनियोजित कार्रवाई के फलस्वरूप 8 आतंकवादियों का डकैती होने के दो घंटों के भीतर ही सफाया कर दिया गया । तलाशी के दौरान मुठभेड़ के स्थान से 4 ए० के०-47 राइफल, एक स्टेनगन, दो 7.62 एम० एम० राइफल्स, एक .30 बोर पिस्तौल, लूटा हुआ सारा धन, एक मारुति वैन और दो ट्रक बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री लोक नाथ, पुलिस उप-अधीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस एवं उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 मई, 1991 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

सं० 74-प्रेज/92—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री जगजीतसिंह, (मरणोपरान्त)
पुलिस उप-निरीक्षक,
थाना भोलथ ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 9 जुलाई, 1990 को थाना-भोलथ के थाना प्रभारी, उप-निरीक्षक जगजीत सिंह, को सूचना प्राप्त हुई कि सुरजीत सिंह संधू नामक एक व्यक्ति के घर में कुछ खूंखार आतंकवादी छिपे हुए हैं । उन्होंने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और एक पुलिस पार्टी के साथ उस घर को चारों तरफ से घेर लिया । जिस समय पुलिस पार्टी घर के चारों ओर घेरा डाल रही थी, तो उस घर के अन्दर छिपे आतंकवादियों ने बचकर भाग निकलने की कोशिश की । उनके बचकर भाग निकलने की कोशिश को विफल करने के लिए श्री जगजीतसिंह ने अपने शस्त्र से गोली चलाई और एक आतंकवादी को मार दिया । उनमें से एक आतंकवादी ने श्री जगजीत सिंह पर एक धमाका किया तथा एक गोली उनको लगी जिससे वह गंभीर रूप

से घायल हो गए । घायल होने के बावजूद श्री जगजीत सिंह अपने हथियार से गोली चलाते रहे । इस दौरान उस घर की खिड़की से मकान मालिक बाहर कूद गया और ठीक श्री जगजीत सिंह के पीछे आ गया, फिर उसने अपनी ए० के०-47 चीनी असाल्ट राईफल से श्री जगजीत सिंह की गर्दन के पीछे गोली मार दी जिससे वह नीचे गिर पड़े । जिस समय वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, उन्होंने भागते हुए आतंकवादी की ओर इशारा किया, आतंकवादी का पीछा किया गया और अंत में उसको पास के गांव में मार डाला ।

इस मुठभेड़ में एक महिला सहित सात आतंकवादी मारे गए । उनमें से दो आतंकवादी थे और शेष उनको आश्रय देने वाले थे । दोनों आतंकवादियों की बाद में बलविन्दर सिंह उर्फ बिट्टू और सुरजीत सिंह संधू के रूप में शिनाख्त की गई । तलाशी के दौरान घटनास्थल से दो ए० के०-47 राईफलें, एक बहुउद्देश्य मशीनगन सहित गोला बारूद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में श्री जगजीत सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9 जुलाई, 1990 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

सं० 75-प्रेज/92—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री अनिल कुमार शर्मा,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
फिरोजपुर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 5 जून 1990 को श्री जोगिन्दर सिंह जोहल पुलिस उप-अधीक्षक (मुख्यालय) फिरोजपुर तथा उप-निरीक्षक राम सिंह, थाना प्रभारी, थाना मल्लेवाला, अन्य पुलिस कर्मियों के साथ देव सिंह हरीजन नामक एक अपहृत व्यक्ति को छुड़ाने के लिए बस्ती चेपारियां वाली गए थे । उन्होंने क्षेत्र को घेर लिया और लोगों को चेतावनी दी कि यदि वहां कोई संदिग्ध चरित्र वाला कोई व्यक्ति है तो वह आत्मसमर्पण कर दे परन्तु कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आया । उसके बाद उन्होंने घर-घर की तलाशी लेनी आरम्भ कर दी । जैसे ही वे लालसिंह सरपंच नामक व्यक्ति के घर भीतर घुसे तो अन्दर से उन पर भीषण गोलीबारी की गई । पुलिस बल ने आत्मसुरक्षा में जबाबी गोलीबारी की । उप-निरीक्षक रामसिंह जो घर में घुस चुके थे, पर आतंकवादियों द्वारा गोली चलाई परन्तु उन्होंने तुरन्त गेहूं की कुछ बोरियों के पीछे मोर्चा लिया और अपने सर्विस रिवालवर से आतंकवादियों पर गोली चलाई । आतंकवादियों द्वारा उप-निरीक्षक रामसिंह पर चलाई गई गोलियां गेहूं की बोरियों और घर के कुएं पर लगीं । दोनों ओर से करीब एक घंटे तक गोलियां चलती रहीं । गोलीबारी के दौरान देवसिंह हरिजन, लालसिंह सरपंच और उनका भाई हरभजन सिंह मारे गए । उसके बाद चार आतंकवादियों ने अपने हथियारों से गोलियां चलाते हुए घर की दीवार लांघ कर खेतों की ओर भागना शुरू कर दिया ।

श्री जोगिन्दर सिंह और उसके साथियों ने अपने वाहन में बैठकर आतंकवादियों का पीछा किया और वे खेतों में दो आतंकवादियों को मारने में सफल हुए । शेष दो आतंकवादी जो आगे-आगे खेतों में भाग रहे थे ने बच कर भाग निकलने का प्रयास किया ।

इस बीच, श्री अनिल कुमार शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजपुर को जो रसीका गांव के घटनास्थल पर गए हुए थे, फिरोजपुर वापस आ रहे थे, तो वायरलैस पर उन्हें मुठभेड़ के होने और आतंकवादियों के भाग निकलने की सूचना प्राप्त हुई । उन्होंने तुरन्त श्री जोगिन्दर सिंह जोहल को घेरा कसने और पुलिस नियंत्रण कक्ष, फिरोजपुर से कुमक भेजने का निर्देश दिया । सकीलांवाली बस्ती से निकलने पर जब श्री ए० के० शर्मा और उनका दल दाहिनी ओर मुड़ा तो उन्होंने 300 गज की दूरी पर स्वचालित हथियारों से लैस दो आतंकवादियों को देखा । श्री शर्मा तुरन्त अपने वाहन से उतर गए और उन्होंने आतंकवादियों को रुकने के लिए ललकारा । परन्तु उग्रवादियों ने श्री शर्मा की चेतावनी की अवहेलना कर, श्री शर्मा और उनके बन्दूकधारियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । इस पर श्री शर्मा ने अपने एक बन्दूकधारी से एक एल० ए० आर० ले ली और गोली चलानी शुरू कर दी । जब श्री शर्मा ने देखा कि गोली का अपेक्षित असर नहीं हो रहा है तो उन्होंने रेंगते हुए आतंकवादियों की ओर आगे बढ़ने का निश्चय किया । चूंकि फासला काफी था, फिर भी आतंकवादी की तेज गोलीबारी के बीच श्री शर्मा ने जिप्सी ली और कच्चे खेतों की ओर चलाकर ले गए । तब श्री शर्मा और उनके साथी रेंगते हुए आतंकवादियों की ओर बढ़ने लगे । काफी निकट जाकर श्री शर्मा ने भीषण गोली बारी की जिससे दोनों आतंकवादी वहीं धान के खेतों में ही मारे गए कुल मिला कर पांच आतंकवादी मारे गए ।

खोजबीन के बाद मृत आतंकवादियों से बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोला-बारूद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में श्री अनिल कुमार शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृति भत्ता भी दिनांक 5 जून 1990 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

सं० 76-प्रेस/92—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री जोगिन्दर सिंह,
पुलिस उप-अधीक्षक,
फिरोजपुर ।

श्री राम सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
फिरोजपुर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 5 जून, 1990 को श्री जोगिन्दर सिंह जोहल, पुलिस उप-अधीक्षक (मुख्यालय) फिरोजपुर तथा उप-निरीक्षक राय सिंह, थाना प्रभारी, थाना पल्लेमाला, अन्य पुलिस कर्मियों के साथ देव सिंह हरीजन नामक एक अपहृत व्यक्ति को छुड़ाने के लिए बस्ती चेपारियां चले गए थे । उन्होंने क्षेत्र को घेर लिया और लोगों को चेतावनी दी कि यदि वहां संदिग्ध चरित्र वाला कोई व्यक्ति है तो वह आत्मसर्म्पण कर दे परन्तु कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आया । उसके बाद उन्होंने घर-घर की तलाशी लेनी आरम्भ कर दी । जैसे ही वे लालसिंह सरपंच नामक व्यक्ति के घर भीतर घुसे तो अन्दर से उन पर भीषण गोलीबारी की गई । पुलिस दल ने आत्मसुरक्षा में जबाबी जगोलीबारी की । उप निरीक्षक रामसिंह जो घर में घुस चुके थे, पर आतंकवादियों द्वारा गोली चलाई परन्तु उन्होंने तुरन्त गेहूं की कुछ बोरियों के पीछे मोर्चा लिया गौर अपने सर्विस रिवाल्वर से आतंकवादियों पर गोली चलाई । आतंकवादियों द्वारा उप-निरीक्षक रामसिंह पर गोलियां चलाई गई गोलियां गेहूं की बोरियों और घर के कुएं पर लगी । दोनों ओर से करीब एक घंटे तक गोलियां चलती रहीं । गोलीबारी के दौरान देवसिंह हरिजन, लालसिंह सरपंच और उनका भाई हरभजन सिंह मारे गए । उसके बाद चार आतंकवादियों ने अपने हथियारों से गोलियां चलाते हुए घर की दीवार लाँघ कर खेतों की ओर भागना शुरू कर दिया ।

श्री जोगिन्दर सिंह और उनके साथियों ने अपने वाहन में बैठकर आतंकवादियों का पीछा किया और वे खेतों में दो आतंकवादियों को मारने में सफल हुए । शेष दो आतंकवादी जो आगे-आगे खेतों में भाग रहे थे ने बच कर भाग निकलने का प्रयास किया ।

इस बीच, श्री अनिल कुमार शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजपुर को जो रतीका गांव के घटना स्थल पर गए हुए थे, फिरोजपुर वापस आ रहे थे, तो वायरलैस पर उन्हें मुठभेड़ के होने और आतंकवादियों के भाग निकलने की सूचना प्राप्त हुई । उन्होंने तुरन्त श्री जोगिन्दर सिंह जोहल को घेरा कसने और पुलिस नियंत्रण कक्ष, फिरोजपुर से कुमक भेजने का निर्देश दिया । सकीलांवाली बस्ती से निकलने पर जब श्री ए० के० शर्मा और उनका दल दाहिनी ओर मुड़ा तो उन्होंने 300 गज की दूरी पर स्वचालित हथियारों से लैस दो आतंकवादियों को देखा । श्री शर्मा तुरन्त अपने वाहन से उतर गए और उन्होंने आतंकवादियों को रुकने के लिए ललकारा । परन्तु उग्रवादियों ने श्री शर्मा की चेतावनी की अवहेलना कर, श्री शर्मा और उनके बन्दूकधारियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । इस पर श्री शर्मा ने अपने एक बन्दूकधारी से एक एस० आर० ले ली और गोली चलानी शुरू कर दीं । जब श्री शर्मा ने देखा कि गोली का अपेक्षित असर नहीं हो रहा है तो उन्होंने रेंगते हुए आतंकवादियों की ओर आगे बढ़ने का निश्चय किया । चूंकि फासला काफी था, फिर भी आतंकवादी की तेज गोलीबारी के बीच श्री शर्मा ने जिप्सी ली और कच्चे खेतों की ओर चला कर ले गए । तब श्री शर्मा और उनके साथी रेंगते हुए आतंकवादियों की ओर बढ़ने लगे । काफी निकट जाकर श्री शर्मा ने भीषण गोलीबारी की जिससे दोनों आतंकवादी वहीं धान के खेतों में ही मारे गए । कुल मिला कर पांच आतंकवादी मारे गए । खोजबीन के बाद मृत आतंकवादियों से बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोला-बारूद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में श्री जोगिन्दर सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक और श्री रामसिंह, पुलिस उपनिरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 जून, 1990 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

सं० 77-प्रेज/92—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री दलबीर सिंह,
पुलिस निरीक्षक,
जिला तरन तारन ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 25 अगस्त, 1990 को सायं 6.45 बजे जिला तरन तारन के पुलिस थाना पट्टी पर तैनात पंजाब सशस्त्र पुलिस की प्रथम कमांडो बटालियन के निरीक्षक दलबीर सिंह अमृतसर से पट्टी जाने वाली पंजाब रोडवेज की बस में ड्यूटी से वापिस आ रहे थे । इस बस की सुरक्षा के लिए इसमें (हैड कांस्टेबल रबेल सिंह सहित) पंजाब पुलिस के तीन कार्मिक तैनात थे । जब बस तरन तारन पट्टी मार्ग पर झंडोके ग्राम के नजदीक पहुंची, उसी बस में यात्रा कर रहे आतंकवादियों में से एक आतंकवादी ने कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह पर अपने रिवाल्वर से गोली चलाकर उन्हें घायल कर दिया । उस आतंकवादी ने जब ड्राईवर की इस चेतावनी के साथ बस को रोकने का आदेश दिया कि बस में यात्रा कर रहे एक खास समुदाय के लोग तथा पुलिस वालों को मौत के घाट उतारा जाएगा। निरीक्षक दलबीर सिंह जो आगे वाले दरवाजे के पास सादे कपड़ों में बैठे हुए थे, जहां से आतंकवादी गोली चला रहा था, तत्काल अपनी सीट से उठ गए और आतंकवादी से भिड़ गए और उसे अपने घुटने के नीचे दबा दिया तथा उसके रिवाल्वर को छीनने में सफल हो गए । अन्य आतंकवादी जो उस बस में था निरीक्षक दलबीर सिंह की तरफ अपने साथी को छुड़ाने के लिए दौड़ा । निरीक्षक दलबीर सिंह आतंकवादी से छीनी गई रिवाल्वर का इस्तेमाल नहीं कर पाये क्योंकि उन्हें दोनों ही आतंकवादियों से भिड़ना पड़ा ।

इसी बीच में, दो आतंकवादी जो बस के पिछले दरवाजे के नजदीक खड़े हुए थे, ने कांस्टेबल रबेल सिंह से जबरदस्ती स्टेनगन छीन ली लेकिन सूझबूझ के कारण, उन्होंने स्टेनगन से मैगजीन को हटा दिया । उसी समय, कांस्टेबल रबेल सिंह ने आतंकवादी के उस हाथ जिसमें यह मैगजीन सहित रिवाल्वर पकड़े हुए था, प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप रिवाल्वर नीचे गिर पड़ी और इसे कांस्टेबल ने उठा लिया । तब श्री रबेल सिंह ने उस आतंकवादी पर गोली चलानी शुरू कर दी, जो बस के पिछले दरवाजे से नीचे गिर पड़ा। इसे देखकर, अन्य आतंकवादी ने जख्मी आतंकवादी को उठाया तथा छीनी गई स्टेनगन सहित भाग गया । इसके पश्चात् कांस्टेबल रबेल सिंह आगे आए तथा उन आतंकवादियों, जो निरीक्षक दलबीर सिंह से भिड़ रहे थे, में से एक आतंकवादी को मार गिराया । इसी बीच में निरीक्षक दलबीर सिंह ने दूसरे आतंकवादी को उससे छीनी गई पिस्तौल से मार गिराया । इस प्रक्रिया में निरीक्षक दलबीर के सिर में चोटें आई । बस में गोली चलने के कारण बस के ड्राईवर व कंडक्टर समेत सभी यात्री बस से भाग खड़े हुए । इसके पश्चात् कांस्टेबल रबेल सिंह ने पुलिस कार्मिकों व दो मृत आतंकवादी सहित बस को पट्टी के लिए स्वय चलाया । घायल पुलिस कार्मिकों को आगे उपचार हेतु अमृतसर के कक्कड़ अस्पताल में दाखिल करवाया गया । मृत आतंकवादी सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा व कुलवन्त सिंह बब्बर थे । तलाशी के दौरान एक माऊजर रिवाल्वर एक .455 बोर रिवाल्वर, 2 मैगजीन व करीब 15 कारतूस बरामद किये गये ।

इस मुठभेड़ में श्री दलबीर सिंह, पुलिस निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस व उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 अगस्त, 1990 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

सं० 78-प्रेज/92—राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री रबेल सिंह,
हैड कांस्टेबल,
जिला तरन तारन ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 25 अगस्त, 1990 को सायं 6.45 बजे जिला तरन तारन के पुलिस थाना पट्टी पर तैनात पंजाब सशस्त्र पुलिस की प्रथम कमांडो बटालियन के निरीक्षक दलबीर सिंह अमृतसर से पट्टी जाने वाली पंजाब रोडवेज की बस में ड्यूटी से वापिस आ रहे थे। इस बस की सुरक्षा के लिए इसमें (हैड कांस्टेबल रबेल सिंह सहित) पंजाब पुलिस के तीन कार्मिक तैनात थे। जब बस तरन तारन पट्टी मार्ग पर झंडोके के नजदीक पहुंची, उसी बस में यात्रा कर रहे आतंकवादियों में से एक आतंकवादी ने कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह पर अपने रिवालवर से गोली चलाकर उन्हें घायल कर दिया । उस आतंकवादी ने जब ड्राईवर को इस चेतावनी के साथ बस को रोकने का आदेश दिया कि बस में यात्रा कर रहे एक खास समुदाय के लोग तथा पुलिस वालों को मौत के घाट उतारा जाएगा । निरीक्षक दलबीर सिंह जो आगे वाले दरवाजे के पास सादे कपड़ों में बठे हुए थे, जहां से आतंकवादी गोली चला रहा था, तत्काल अपनी सीट से उठ गए और आतंकवादी से भिड़ गए और उसे अपने गुटने के नीचे दबा दिया तथा उसके रिवाल्वर को छीनने में सफल हो गए ।

अन्य आतंकवादी जो उस बस में था निरीक्षक दलबीर सिंह की तरफ अपने साथी को छुड़ाने के लिए दौड़ा। निरीक्षक दलबीर सिंह आतंकवादी से छीनी गई रिवाल्वर का इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें दोनों ही आतंकवादियों से भिड़ना पड़ा।

इसी बीच में, दो आतंकवादी जो बस के पिछले दरवाजे के नजदीक खड़े हुए थे, ने कांस्टेबल रवेल सिंह से जबरदस्ती स्टेनगन छीन ली लेकिन सूझबूझ के कारण, उन्होंने स्टेनगन से मैगजीन को तोड़ दिया। उसी समय, कांस्टेबल रवेल सिंह ने आतंकवादी के उस हाथ जिसमें वह मैगजीन सहित रिवाल्वर पकड़े हुए था, प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप रिवाल्वर नीचे गिर पड़ी और इसे कांस्टेबल ने उठा लिया। तब श्री रवेल सिंह ने उस आतंकवादी पर गोली चलानी शुरू कर दी, जो बस के पिछले दरवाजे से नीचे गिर पड़ा। इसे देखकर, अन्य आतंकवादी ने जख्मी आतंकवादी को उठाया तथा छीनी गई स्टेनगन सहित भाग गया। इसके पश्चात कांस्टेबल रवेल सिंह आगे आए तथा उन आतंकवादियों, जो निरीक्षक दलबीर सिंह से भिड़ रहे थे, से एक आतंकवादी को मार गिराया। इसी बीच में निरीक्षक दलबीर सिंह ने दूसरे आतंकवादी को उससे छीनी गई पिस्तौल से मार गिराया। इस प्रक्रिया में निरीक्षक दलबीर सिंह के सिर में चोटें आईं। बस में गोली चलने के कारण बस के ड्राईवर व कंडक्टर समेत सभी यात्री बस से भाग खड़े हुए। इसके पश्चात कांस्टेबल रवेल सिंह ने पुलिस कार्मिकों व दो मृत आतंकवादी सहित बस को पट्टी के लिए स्वयं चलाया। घायल पुलिस कार्मिकों को आगे उपचार हेतु अमृतसर के कक्कड़ अस्पताल में दाखिल करवाया गया। मृत आतंकवादी सुखदेव सिंह उर्फ सुखा व कुलवंत सिंह बब्बर थे। तलाशी के दौरान एक माउजर रिवाल्वर, एफ. 455 बोर रिवाल्वर, 2 मैगजीन व करीब 15 कारतूस बरामद किये गये।

इस मुठभेड़ में श्री रवेल सिंह, हैड कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस व उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 अगस्त, 1990 से दिया जाएगा।

ए० के०उपाध्याय
निदेशक

सं० 79-प्रेज/92—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री गुरमेल सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
जिला फिरोजपुर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 11 अक्तूबर, 1990 को सूचना प्राप्त हुई कि चार उग्रवादी थाना सदर फिरोजपुर के बस्ती जामीनाम स्थित दारा सिंह नामक एक व्यक्ति के मकान में छिपे हुए हैं। फिरोजपुर मुख्यालय के पुलिस उप-अधीक्षक के कमान्ड में एक पुलिस दल ने (कांस्टेबल गुरमेल सिंह सहित) उग्रवादियों को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा। पुलिस दल को देखकर आतंकवादियों ने, जो शस्त्रों से लैस थे। पुलिस दल पर गोली चलानी शुरू कर दी तथा ऐल क पटरी की तरफ भागे। पुलिस दल ने आतंकवादियों का पीछा किया और मुख्यालयों में अधिकारी को घटना के बारे में एक संदेश भेजा। जब उग्रवादी तथा पीछा करने वाला दल भदरू गांव के नजदीक पहुंचे तो कांस्टेबल गुरमेल सिंह आगे बढ़े और उन्होंने एक आतंवादी पर गोली चलाई और उसे मार डाला। उसके बाद दो आतंकवादी भदरू गांव की ओर भागे और उनमें से एक ने, जो दोनों ओर से गोली-बारी के दौरान घायल हो गया था पुलिस दलों पर भारी गोली-बारी चलानी शुरू कर दी। कांस्टेबल गुरमेल सिंह ने जो घायल उग्रवादी के बहुत निकट थे, उग्रवादी की ओर रेंगते हुए आना शुरू कर दिया, परन्तु आतंकवादी ने कांस्टेबल गुरमेल सिंह पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप वे घटना स्थल पर ही वीरगति को प्राप्त हो गए। अन्य पुलिस कार्मिकों ने आतंकवादी पर भारी गोलीबारी की और उसे मार डाला।

शेष दो आतंकवादी बस्ती इस्सा वाली अट्टारी के जरनैल सिंह नामक एक व्यक्ति के मकान में घुस गए और उन्होंने पुलिस कार्मिकों पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। इसी बीच घटना स्थल पर कुमुक पहुंच गई और उन्होंने मकान को घेर लिया। दोनों ओर से गोली चलने के दौरान उग्रवादी मकान से बाहर आने को बाध्य हो गए और दोनों ही उग्रवादियों को गोली से मार दिया। मारे गए चार आतंकवादियों की बाद में दीआल सिंह उर्फ धोला, जोगा सिंह, फतेह सिंह और हरजीत सिंह मान के रूप में शिनाख्त की गई। तलाशी के दौरान मुठभेड़ वाले स्थान से बड़ी मात्रा में शस्त्र तथा गोला बारूद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री गुरमेल सिंह, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 अक्तूबर, 1990 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

सं० 80-प्रेज/92—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री एस० पी० एस० बसरा,
पुलिस अधीक्षक,
रोपड़ ।

श्री दिनकर गुप्ता,
सहायक पुलिस अधीक्षक,
रोपड़ ।

श्री बलदेव सिंह,
हैड कांस्टेबल,
रोपड़ ।

श्री गुरमीत सिंह,
कांस्टेबल,
रोपड़ ।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 26 मई, 1991 को ग्राम चितमाला में एक विशेष तलाशी अभियान चलाने का निर्णय किया गया । तलाशी के दौरान सरदारा सिंह के घर के निवासियों ने दरवाजा खोलने से इंकार कर दिया । हैड कांस्टेबल बलदेव सिंह अपने दल के साथ घर के आंगन में कूद पड़ा । इससे पूर्व कि वे पोजिशन ले पाते, घर के अन्दर छुपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोली चला दी । हैड कांस्टेबल बलदेव सिंह ने घायल एवं गोलियों द्वारा आहत होने पर भी अपनी एस० एल० आर० से बड़ी बहादुरी से जवाबी फायरिंग की । पुलिस कर्मियों ने स्थिति संभाली और जवाबी फायरिंग की । इसके बाद ही घटना के बारे में संदेश भेजा गया । श्री बलदेव सिंह ने लगभग 20 मिनटों के लिए आतंकवादियों को उलझाए रखा ।

सर्व/श्री एस० पी० एस० बसरा, पुलिस अधीक्षक, प्रचालन और दिनकर गुप्ता, सहायक पुलिस अधीक्षक, ग्राम रोपड़ जो निकटवर्ती ग्राम में तलाशी कार्य कर रहे थे, संदेश पाते ही तुरंत मुठभेड़ के स्थान की ओर प्रस्थान किया । वहां पहुंचते ही उन्होंने स्थिति का जायजा लिया । वे अपनी वैयक्तिक सुरक्षा की परवाह किए बिना गन-बैटल में कूद पड़े । श्री बसरा दीवार पर चढ़कर छत पर पहुंचे और सीढ़ियों से नीचे आकर उन्होंने स्थिति संभाली । श्री गुप्ता ने बुलेट-प्रूफ जिप्सी में बैठकर मुख्य द्वार के माध्यम से घर में प्रवेश किया । जब श्री बसरा ने आतंकवादियों को उलझाए रखा और जवाबी हमला किया । श्री गुप्ता ने घायल श्री बलदेव सिंह को उठाया और उन्हें अस्पताल ले गये, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया । इसके पश्चात् श्री गुप्ता ने घर के आंगन में खड़े ट्रैक्टर के पीछे स्थिति संभाली ।

उग्रवादी घर के पिछवाड़े के तीन कमरों की खिड़कियों से लगातार फायरिंग कर रहे थे । दोनों अधिकारियों के बंदूकधारियों और सभी पुलिस कर्मियों ने उग्रवादियों को उलझाए रखा । एक भयानक मुठभेड़ होने लगी । यह महसूस करते हुए कि वे बहादुर अधिकारियों के दृढ़ संकल्प के आगे टिक नहीं पाएंगे, उग्रवादी आखिरी कमरे की पिछली खिड़की से निकलकर भाग गए । तत्पश्चात कुछ समय के लिए खामोशी रही । दोनों अधिकारियों ने अपने-अपने हथियारों से फायरिंग करते हुए मकान पर धावा बोलने का निर्णय लिया । उन्होंने आंगन और बरामदा पार किया और बड़ी कुशलता से कमरों में प्रवेश किया । मकान की पूरी तलाशी करने के पश्चात् उन्होंने एस० एस० पी०, रोपड़ को सूचित किया जो इस दौरान घटनास्थल पर पहुंच गए थे और अभियान का आदेश लिया ।

तत्पश्चात सर्व/श्री बसरा और गुप्ता ने साथ लगे हुए मकानों की तलाशी शुरू की । ज्योंहि श्री गुप्ता द्वारा नेतृत्व किए जा रहे दल ने गुरमेल सिंह के मकान में प्रवेश और कमरों में पहुंचा, वहां पर छुपे हुए उग्रवादियों ने पुलिस दल पर गोली चलाई । श्री गुप्ता के बंदूकधारी कांस्टेबल गुरमीत सिंह के चेहरे पर पहला धमाका हुआ हुआ और वह घायल होकर गिर गया । गिरने से पूर्व श्री गुरमीत सिंह ने अपनी आई० एम० जी० से कुछ गोलियां चलाई । श्री गुप्ता तुरंत संभले और वह निकटवर्ती नींव की दीवार के पीछे ओट लेने के लिए रेंगने लगे, उन्होंने आतंकवादियों के ठिकाने पर भारी गोलाबारी की और उन्हें बाहर निकलने दिया । यह देखकर श्री बसरा ने उन कमरों को छत के ऊपर जाने का निर्णय किया, जिनमें उग्रवादी छुपे हुए थे, ताकि वह श्री गुप्ता और कांस्टेबल गुरमीत सिंह को जानों को बचा सकें । ज्योंही उग्रवादियों में से एक उग्रवादी ने घायल कांस्टेबल गुरमीत सिंह की एल० एम० जी० को उठाना चाहा, श्री गुप्ता ने तुरंत खड़े होकर उग्रवादी पर गोली चलाई और उसे उसी समय मार दिया ।

इसी दौरान एस० एस० पी०, रोपड़ और श्री बसरा ने छत में छेद कर दिए और कमरों के अन्दर छुपे उग्रवादियों पर गोलियों की बौछार कर दी । कमरों में छुपे हुए उग्रवादियों ने अपनी गोलियों का निशाना छत की ओर किया और गोलियां पतली छत को चीरती हुई ऊपर आने लगी और दोनों अधिकारी बाल-बाल बचे । यह देख कर कि एल० एम० जी०/ए० के०—47 राइफल की गोलियां निष्फल सिद्ध हुई हैं श्री बसरा ने बड़ी शीघ्रता से चार एच० ई०—36 हथगोले को छेदों के जरिये फैंका । इसके साथ-साथ श्री गुप्ता बड़ी बहादुरी से गोलियां चलाते हुए आगे बढ़े और घायल कांस्टेबल गुरमीत सिंह को पुनः उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए । तत्पश्चात उग्रवादियों की तरफ से फायरिंग बंद हो गई । तलाशी के दौरान तीन मृतक आतंकवादियों के शव कमरों से बरामद किए गए और एक शव बाहर से बरामद किया गया । बाद में मृतक उग्रवादियों को काबुल सिंह उर्फ सोढ़ी, काबुल सिंह उर्फ

निक्कू, करणवीर सिंह और हरमिन्द्र सिंह उर्फ बहादुर के नाम से पहचाना गया । आगे की गई तलाशी पर 3 ए० के०—47 राइफल्स, 1 रिवाल्वर, 2 स्टिक बम, 1 माउजर और भारी मात्रा में भरे हुए/खाली कारतूस घटनास्थल से बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री एस० पी० एस० बसरा पुलिस अधीक्षक, श्री दिनकर गुप्ता, सहायक पुलिस अधीक्षक, श्री बलदेव सिंह, हैड कांस्टेबल और श्री गुरमीत सिंह, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 मई, 1991 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

सं 81—प्रेज/92—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री अजीत सिंह, (मरणोपरान्त)
पुलिस उप महानिरीक्षक (बार्डर रेंज),
अमृतसर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 6 मई, 1991 को कुछ उग्रवादियों ने ग्राम गोहालवार के निकट बस से एक कांस्टेबल को बाहर खींच लिया और बाद में गोली मार कर उसकी हत्या कर दी । उन्होंने फिरौती के लिए दो बस यात्रियों का अपहरण भी कर लिया । उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए, तरन तारन के वरिष्ट पुलिस अधीक्षक श्री नरेन्द्रपाल सिंह ने कुछ गांवों की पूरी तलाशी के आदेश दिए और इसके लिए पंजाब पुलिस/सी० आर० पी० एफ० कार्मिकों को मिलाकर 12 पार्टियों का गठन किया ।

तलाशी अभियान दिनांक 7 मई, 1991 की सुबह शुरू किया गया और यह पता चल गया था कि उग्रवादी तरन तारन शहर के पुलिस स्टेशन के गांव रटौल में छिपे हुए थे । तत्काल पूरे गांव को घेर लिया गया और प्रारंभिक प्रयासों के फलस्वरूप दो अपहृत व्यक्तियों मदन लाल और किशन लाल को सुरक्षित छुड़ा लिया गया । उनसे पूछने पर पता चला कि कुछ सशस्त्र उग्रवादी अत्याधुनिक हथियारों के साथ गांव में छुपे हुए थे । इसी बीच श्री नरेन्द्रपाल सिंह एस० एस० पी० गांव में पहुंचे और वहां की स्थिति का जायजा लेकर खोज अभियान शुरू कर दिया । बलबीर सिंह नाम के एक व्यक्ति के घर की तलाशी के दौरान घर के आंगन में मुर्गी फार्म के नीचे एक बंकर पाया गया । बड़ी समझदारी से उस बंकर को साफ किया गया और वहां से कुछ हथियार बरामद हुए तथा यहां छिपे हुए उग्रवादी बच कर पास के घरों में घुस गये । इसी बीच, एक नजदीकी घर से बचकर निकलते हुए पास की एक बिल्डिंग में घुस गये । और उन्होंने उसकी पहली मंजिल पर मोर्चा बना लिया । जैसे ही श्री सुखदेव सिंह पुलिस उपाधीक्षक, तरन तारन संदिग्ध मकान के पास पहुंचे, उग्रवादियों ने उन पर गोली चला दी श्री सुखदेव सिंह ने प्रभावी ढंग से गोलीबारी का जवाब दिया । श्री नरिन्द्रपाल सिंह अपनी पार्टी के साथ स्थान बदल कर एक नजदीकी मकान में चले गये और उन्होंने श्री सुखदेव सिंह को कवरिंग फायर प्रदान करते हुए भारी गोलीबारी शुरू कर दी ताकि वह वहां से हटकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं । अपनी जान के लिए भारी खतरा होते हुए भी वह अपने बन्दूकचियों के साथ स्थिति का बहादुरी से मुकाबला करते रहे । दोनों ओर से हो रही गोलीबारी में कांस्टेबल अमरीक सिंह आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गए तथा श्री सुखदेव सिंह गोली लग कर गंभीर रूप से घायल हो गए । इस सब के बावजूद श्री सुखदेव सिंह ने आतंकवादियों पर गोली चलाना जारी रखा और कोई रास्ता न पाकर श्री नरिन्द्रपाल सिंह और उनकी पार्टी ने इस विशिष्ट मकान का घेरा कड़ा कर दिया और सतर्कतापूर्वक घिरे हुए आतंकवादियों को भारी गोलीबारी के आदान-प्रदान में भगा दिया । इसके परिणामस्वरूप दो उग्रवादी मारे गये । उसके बाद घायल श्री सुखदेव सिंह को अस्पताल पहुंचाया गया ।

सूर्यास्त को ध्यान में रखते हुए छानबीन कार्रवाई निलंबित कर दी गई थी तथा ग्राम की घेराबन्दी करने पर अत्याधिक जोर डाला गया था । बाहरी घेराबंदी को मजबूत करने के लिए सेना को भी बुलाया गया था । रात्रि के दौरान, उग्रवादियों द्वारा घेराबंदियों में घुस पैठ करने के प्रयास में रुक-रुक कर गोलियां चलती रहीं जिसके फलस्वरूप सेना का एक जवान मारा गया और एक आतंकवादी अर्थात् दिलबाग सिंह उर्फ बग्गा को गिरफ्तार किया गया । अगले दिन अर्थात् 8 मई 1991 को श्री नरेन्द्र पाल सिंह ने स्थिति की नए सिरे से समीक्षा की और अपनाई जाने वाली रणनीति के बारे में मुठभेड़ में लगे अपने अधिकारियों तथा जवानों को बताया । श्री अजीत सिंह, डी० आई० जी० आफ पुलिस, बार्डर रेंज अमृतसर, घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने अपने दल के साथ ग्राम के दक्षिणी हिस्से को घेर लिया । इस समय तक, खन्दकों में छिपे आतंकवादियों ने चारों तरफ भारी गोलीबारी शुरू कर दी जिससे उनके ठिकानों का पता लगाना मुश्किल हो गया । गंभीर खतरे की परवाह न करते हुए श्री नरेन्द्र पाल सिंह अपने गनमैन के साथ आगे बढ़े ताकि

घेराबन्दी को कम किया जा सके। गोलाबारी में एक गनमैन अर्थात् पालविन्द्र सिंह और सेना के एक जवान को गंभीर चोटें पहुंची। इससे श्री एन० पी० सिंह का हौसला पस्त नहीं हुआ, उन पर भारी गोलाबारी हुई तथा उनकी आंख में गोली लगी। हालांकि अत्याधिक रक्तस्राव के बावजूद उन्होंने अपना स्थान बदला तथा यह देखा कि दो उग्रवादी पुलिस दल पर भीषण गोलाबारी कर रहे हैं। हालात को समझते हुए श्री एन० पी० सिंह ने इन दो उग्रवादियों पर भारी गोलाबारी की तथा उनमें से एक को मार गिराने में सफल हुए तथा इस प्रकार कुछ हद तक स्थिति पर नियंत्रण पाया। वी० एस० एफ० सैट पर उन्होंने उग्रवादियों के स्थान का सफाया करने के लिए अपने अधिकारियों को आगे बढ़ने का निर्देश दिया। बाद में श्री एन० पी० सिंह को जो घायल अवस्था में थे अमृतसर ले जाया गया।

इस बीच, श्री अजीत सिंह, डी० आई० जी० पुलिस ने खाईयों में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ दबाव डालना शुरू कर दिया। उन्होंने स्थिति का नए सिरे से जायजा लेने के लिए अपना स्थान सुरक्षित जगह पर बदला ताकि उग्रवादियों के खिलाफ अंतिम आक्रमण (प्रहार) शुरू किया जा सके। जब वे आदमियों को भारी गोलीबारी करने के निर्देश दे रहे थे, एक गोली उनकी छाती में लगी। इसने उन्हें और उनके आदमियों को वापिस लौटने के लिए विचलित नहीं किया और उन्होंने सुरक्षा कार्मिकों को उग्रवादियों द्वारा और क्षति पहुंचाने से बचाने के लिए शील्ड (कवच) की तरह काम किया। बहुत विषम परिस्थितियों में श्री अजीत सिंह को वापिस लाया गया और अस्पताल ले जाया गया जहां बाद में उनकी मृत्यु हो गयी।

भारी गोलाबारी के आदानप्रदान में कमांडो बटालियन के कांस्टेबल हरभजन सिंह ने आतंकवादियों का सामना करने के दृढ़ प्रयास में आतंकवादियों पर गोलाबारी जारी रखी। उन्होंने अकेले ही दो घंटे तक कड़ा मुकाबला किया और एक आतंकवादी को मार गिराने में सफल हो गए हालांकि वे बुरी तरह से घायल हो गए। उन्होंने श्री अजीत सिंह के अधूरे काम को सफलतापूर्वक पूरा किया। गांव के मध्य में एक अन्य भीषण लड़ाई में हैड कांस्टेबल तेजिन्द्र सिंह और कांस्टेबल राजिन्द्र सिंह गंभीर स्थिति का मुकाबला करते हुए बहादुरी से शहीद हो गए और सी० आर० पी० एफ० के एक कांस्टेबल को चोट पहुंची।

उपरोक्त मुठभेड़ में जो राज्य के इतिहास में सबसे अधिक खूंखार मुठभेड़ थी, पांच सुरक्षा कार्मिक और सात उग्रवादी मारे गए। मुठभेड़ में शामिल अधिकारियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के कुशल मार्ग निर्देशन में अदम्य साहस का परिचय दिया और उसने कठिन परिस्थिति का बहादुरी से सामना किया। इस मुठभेड़ में श्री अजीत सिंह, आई० पी० एफ०, डी० आई० जी० पुलिस बार्डर रेंज, अमृतसर ने उग्रवादियों का मुकाबला करते हुए अपनी जान दे दी। मृतक आतंकवादियों की बाद में पहचान की गई उनमें (1) हरिन्द्र सिंह उर्फ जिन्दा (2) लखविन्दर सिंह उर्फ लखा पुत्र अमरीक सिंह (3) लखविन्दर सिंह उर्फ लखा पुत्र सूचा सिंह (4) मेहर सिंह उर्फ मेजर सिंह (5) अमरीक सिंह उर्फ काला (6) जगतार सिंह और (7) शिन्दा उर्फ शिन्दी थे। तलाशी के दौरान घटना स्थल से बड़ी संख्या में हथियार और गोलाबारूद बरामद किया गया था।

इस मुठभेड़ में श्री अजीत सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 मई, 1991 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

सं 82–प्रेज/92—राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री नरिन्द्रपाल सिंह,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
तरन तारन।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 6 मई, 1991 को कुछ उग्रवादियों ने ग्राम गोहालवार के निकट बस से एक हैड कांस्टेबल को बाहर खींच लिया और बाद में गोली मार कर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने फिरौती के लिए दो बस यात्रियों का अपहरण भी कर लिया। उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए, तरन तारन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री नरिन्द्रपाल सिंह ने कुछ गांवों की पूरी तलाशी के आदेश दिए और उसके लिए पंजाब पुलिस/सी० आर० पी० एफ० कार्मिकों को मिलाकर 12 पार्टियों का गठन किया।

तलाशी अभियान दिनांक 7 मई, 1991 की सुबह शुरू किया गया और यह पता चल गया था कि उग्रवादी तरन तारन शहर के पुलिस स्टेशन के गांव रटौला में छिपे हुए थे। तत्काल पूरे गांव को घेर लिया गया और प्रारंभिक प्रयासों के फलस्वरूप दो अपहृत व्यक्तियों मदन लाल और किशन लाल को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। उनसे पूछने पर पता चला कि कुछ सशस्त्र उग्रवादी अत्याधुनिक हथियारों के साथ गांव में छिपे हुए थे। इसी बीच श्री नरिन्द्रपाल सिंह एस० एस० पी० गांव में पहुंचे और वहां की स्थिति

का जायजा लेकर खोज अभियान शुरू कर दिया । बलबीर सिंह नाम के एक व्यक्ति के घर की तलाशी के दौरान घर के आंगन में मुर्गी फार्म के नीचे एक बंकर पाया गया । बड़ी समझदारी से उस बंकर को साफ किया गया और वहां से कुछ हथियार बरामद हुए तथा वहां छिपे हुए उग्रवादी भागकर उसके घरों में घुस गए ।

इसी बीच एक नजदीकी घर से बचकर निकलते हुए पास की एक बिल्डिंग में घुसे और उन्होंने उसकी पहली मंजिल पर मोर्चा बनाया जैसे ही श्री सुखदेव सिंह पुलिस उपाधीक्षक, तरन तारन संदिग्ध मकान के पास पहुंचे, उग्रवादियों ने उन पर गोली चला दी । श्री सुखदेव सिंह ने प्रभावी ढंग से गोलाबारी का जवाब दिया । श्री नरिन्द्रपाल सिंह अपनी पार्टी के साथ स्थान बदलकर एक नजदीकी मकान में चले गए और उन्होंने श्री सुखदेव सिंह को फायरिंग फायर प्रदान करते हुए भारी गोलाबारी शुरू करदी ताकि वह वहां से हटकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाए । अपनी जान के लिए भारी खतरा होते हुए भी, वह अपने बंदूकधियों के साथ स्थिति का बहादुरी से मुकाबला करते रहे । दोनों ओर से हो रही गोलाबारी में कांस्टेबल अमरीक सिंह आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गए तथा श्री सुखदेव सिंह गोली लगकर गंभीर रूप से घायल हो गए । इन सबके बावजूद श्री सुखदेव सिंह ने आतंकवादियों पर गोली चलाना जारी रखा और कोई रास्ता न पाकर श्री नरिन्द्रपाल सिंह और उनकी पार्टी ने इस विशिष्ट मकान का घेरा कड़ा कर दिया और सतर्कतापूर्वक घिरे हुए आतंकवादियों को भारी गोलाबारी के आदान-प्रदान में भगा दिया । इसके परिणामस्वरूप दोनों उग्रवादी मारे गये । उसके साथ घायल श्री सुखदेव सिंह को अस्पताल पहुंचाया गया ।

सूर्यास्त को ध्यान में रखते हुए छानबीन कार्रवाई तिलांजलि कर दी गई थी तथा ग्राम की घेराबन्दी करने का अत्यधिक जोर डाला गया था । बाहरी घेराबन्दी को मजबूत करने के लिए सेना को भी बुलाया गया था । रात्रि के दौरान उग्रवादियों द्वारा घेराबन्दी में घुसपैठ करने के प्रयास में रुक-रुक कर गोलियां चलती रही जिसके फलस्वरूप सेना का एक जवान मारा गया और एक आतंकवादी अर्थात दिलबाग सिंह उर्फ बग्गा को गिरफ्तार किया गया । अगले दिन अर्थात 8 मई, 1991 को श्री नरेन्द्र सिंह ने स्थिति की नए सिरे से समीक्षा की और अपनाई जाने वाली रणनीती के बारे में मुठभेड़ में लगे अपने अधिकारियों तथा जवानों को बताया श्री अजीत सिंह, डी० आई० जी० आफ पुलिस, बार्डर रेंज, अमृतसर घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने अपने दल के साथ ग्राम के दक्षिणी हिस्से को घेर लिया । इस समय तक, खंदकों में छिपे आतंकवादियों ने चारों तरफ भारी गोलाबारी शुरू कर दी जिससे उनके ठिकानों का पता लगाना मुश्किल हो गया । गंभीर खतरे की परवाह न करते हुए,, श्री नरेन्द्र पाल सिंह अपने गनमैन के साथ आगे बढ़े ताकि घेराबन्दी को कम किया जा सके । गोलाबारी में एक गनमैन अर्थात बलविन्द्र सिंह और सेना के एक जवान को गंभीर चोटें पहुंचीं । इससे श्री एन० पी० सिंह का हौंसला पस्त नहीं हुआ, उन पर भारी गोलाबारी हुई तथा उनकी जांघ में गोली लगी । हालांकि अत्यधिक रक्तस्राव के बावजूद उन्होंने अपना स्थान बदला तथा यह देखा कि दो उग्रवादी पुलिस दल पर भीषण गोलाबारी कर रहे हैं । हालात को समझते हुए श्री एन० पी० सिंह ने इन दो उग्रवादियों पर भारी गोलाबारी की तथा उनमें से एक को मार गिराने में सफल हुए तथा इस प्रकार कुछ हद तक स्थिति पर नियंत्रण पाया । बी० एस० एफ० सैट पर उन्होंने उग्रवादियों के स्थान का सफाया करने के लिए अपने अधिकारियों को आगे बढ़ने का निर्देश दिया । बाद में श्री एन० पी० सिंह को जो घायल अवस्था में थे अमृतसर ले जाया गया ।

इस बीच, श्री अजीत सिंह, डी० आई० जी० पुलिस ने खाईयों में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ दबाव डालना शुरू कर दिया । उन्होंने स्थिति का नए सिरे से जायजा लेने के लिए अपना स्थान सुरक्षित जगह पर बदला ताकि उग्रवादियों के खिलाफ अन्तिम आक्रमण, प्रहार) शुरू किया जा सके । जब वे आदमियो को भारी गोलाबारी करने के निर्देश दे रहे थे, एक गोली उनकी छाती में लगी । इसने उन्हें और उनके आदमियों को वापिस लौटने के लिए विचलित नहीं किया और उन्होंने सुरक्षा कार्मिकों को उग्रवादियों द्वारा और क्षति पहुंचाने से बचाने के लिए शील्ड (कवच) की तरह काम किया । बहुत विषम परिस्थितियों में श्री अजीत सिंह को वापिस लाया गया और अस्पताल ले जाया गया जहां बाद में उनकी मृत्यु हो गई ।

भारी गोलाबारी के आदान-प्रदान में कमांडो बटालियन के कांस्टेबल हरभजन सिंह ने आतंकवादियों का सामना करने के वृह प्रयास में आतंकवादियों पर गोलाबारी जारी रखी । उन्होंने अकेले ही दो घंटे तक कड़ा मुकाबला किया और एक आतंकवादी को मार गिराने में सफल हो गए हालांकि वे बुरी तरह से घायल हो गए । उन्होंने श्री अजीत सिंह के अधूरे काम को सफलतापूर्वक पूरा किया । गांव के मध्य में एक अन्य भीषण लड़ाई में हैड कांस्टेबल तेजिन्द्र सिंह और कांस्टेबल राजिन्द्र सिंह गंभीर स्थिति का मुकाबला करते हुए बहादुरी से शहीद हो गए और सी० आर० पी० एफ० के एक कांस्टेबल को चोट पहुंची ।

उपरोक्त मुठभेड़ में जो राज्य के इतिहास में सबसे अधिक खूंखार थी, पांच सुरक्षा कार्मिक और सात उग्रवादी मारे गए । मुठभेड़ में शामिल अधिकारियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के कुशल मार्ग निर्देशन में अदम्य साहस का परिचय दिया और उसने कठिन परिस्थिति का बहादुरी से सामना किया । इस मुठभेड़ में श्री अजीत सिंह, आई० पी० एफ०, डी० आई० जी० पुलिस बार्डर रेंज अमृतसर ने उग्रवादियो का मुकाबला करते हुए अपनी जान दे दी । मृतक आतंकवादियों की बाद में पहचान की गई उसमें (1) हरिन्द्र सिंह

उर्फ जिन्दा (2) लखविन्दर सिंह उर्फ लखा पुत्र अमरीक सिंह (3) लखविन्दर सिंह उर्फ लखा पुत्र सूचा सिंह (4) मेहर सिंह उर्फ मेजर सिंह (5) अमरीक सिंह उर्फ काला (6) जगतार सिंह और (7) जिन्दा उर्फ शिन्दी थे। तलाशी के दौरान घटना-स्थल से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया था।

इस मुठभेड़ में श्री नरिन्दर पाल सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 मई, 1991 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

83-प्रेज/92—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद :

श्री सुखदेव सिंह भाटी,
पुलिस उप-अधीक्षक,
तरन-तारन ।

श्री तेजिन्दर सिंह, (मरणोपरान्त)
हैड कांस्टेबल,
तरन-तारन ।

श्री हरभजन सिंह,
कांस्टेबल,
1 बटालियन,
पी० ए० सी० कमान्डो ।

श्री अमरीक सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
तरन-तारन ।

श्री रविन्दर सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
तरन-तारन ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 6 मई, 1991 को कुछ उग्रवादियों ने ग्राम गोहलवार के निकट बस से एक हैड कांस्टेबल को बाहर खींच लिया और बाद में गोली मार कर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने फिरौती के लिए दो बस यात्रियों का अपहरण भी कर लिया। उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए, तरन-तारन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री नरिन्दर पाल सिंह ने कुछ गाँवों की पूरी तलाशी के आदेश दिए और इसके लिए पंजाब पुलिस/सी० आर० पी० एफ० कार्मिकों को मिलाकर 12 पार्टियों का गठन किया।

तलाशी अभियान दिनांक 7 मई, 1991 की सुबह शुरू किया गया और यह पता चल गया था कि उग्रवादी तरन तारन जिले के पुलिस स्टेशन के गांव रट्टौला में छिपे हुए थे। तत्काल पूरे गांव को घेर लिया गया और प्रारंभिक प्रयासों के फलस्वरूप दो अपहृत व्यक्तियों मदनलाल और किशनलाल को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। उनसे पूछने पर पता चला कि कुछ सशस्त्र उग्रवादी अत्याधुनिक हथियारों के साथ गांव में छुपे हुए थे। इसी बीच श्री नरिन्द्रपाल सिंह एस० एस० पी० गांव में पहुंचे और वहाँ की स्थिति का जायजा लेकर खोज अभियान शुरू कर दिया। बलबीर सिंह नाम के एक व्यक्ति के घर की तलाशी के दौरान घर के आंगन में मुर्गी फार्म के नीचे एक बंकर पाया गया। बड़ी समझदारी से उस बंकर को साफ किया गया और वहां से कुछ हथियार बरामद हुए तथा वहां छिपे हुए उग्रवादी बचकर पास के घरों में घुस गए।

इसी बीच एक नजदीकी घर से बचकर निकलते हुए पास की एक बिल्डिंग में घुसे गए और उन्होंने उसकी पहली मंजिल पर मोर्चे बना लिए जैसे ही श्री सुखदेव सिंह पुलिस उपाधीक्षक, तरन तारन संविग्ध मकान के पास पहुंचे, उग्रवादियों ने उन पर गोली चला दी। श्री सुखदेव सिंह ने प्रभावी ढंग से गोलाबारी का जवाब दिया। श्री नरिन्द्रपाल सिंह अपनी पार्टी के साथ स्थान बदलकर एक नजदीकी मकान में चले गए और उन्होंने श्री सुखदेव सिंह को कवरिंग फायर प्रदान करते हुए भारी गोलीबारी शुरू कर दी ताकि वह वहां से हटकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। अपनी जान के लिए भारी खतरा होते हुए भी, वह अपने बंदूकचियों के साथ स्थिति का बहादुरी से मुकाबला करते रहे। दोनों ओर से हो रही गोलीबारी में कांस्टेबल अमरीक सिंह आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गए तथा श्री सुखदेव सिंह गोली लगकर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस सब के बावजूद श्री सुखदेव सिंह ने आतंकवादियों पर गोली चलाना जारी रखा और कोई रास्ता न पाकर श्री नरिन्द्रपाल सिंह और उनकी पार्टी ने इस विशिष्ट मकान का घेरा कड़ा कर दिया और सफलतापूर्वक घिरे हुए आतंकवादियों को भारी गोलाबारी के आदान-प्रदान में भगा दिया। इसके परिणामस्वरूप दोनों उग्रवादी मारे गए। उसके बाद घायल श्री सुखदेव सिंह को अस्पताल पहुंचाया गया।

सूर्यास्त को ध्यान में रखते हुए छानबीन कार्रवाई निलंबित कर दी गई थी तथा ग्राम की घेराबंदी करने पर अत्याधिक जोर डाला गया था। बाहरी घेराबंदी को मजबूत करने के लिए सेना को भी बुलाया गया था। रात्रि के दौरान, उग्रवादियों द्वारा घेराबंदी में घुसपैठ करने के प्रयास में रुक-रुक कर गोलियाँ चलती रहीं जिसके फलस्वरूप सेना का

एक जवान मारा गया और एक आतंकवादी अर्थात् दिलबाग सिंह उर्फ बग्गा को गिरफ्तार किया गया । अगले दिन अर्थात् 8 मई, 1991 को श्री नरेन्द्र पाल सिंह ने स्थिति की नए सिरे से समीक्षा की और अपनायी जाने वाली रणनीति के बारे में मुठभेड़ में लगे अपने अधिकारियों तथा जवानों को बताया । श्री अजीत सिंह, डी आई० जी आफ पुलिस, बार्डर रेंज, अमृतसर, घटना स्थल पर पहुंचे, उन्होंने अपने दल के साथ ग्राम के दक्षिणी हिस्से को घेर लिया। इस समय तक, खन्दकों में छिपे आतंकवादियों ने चारों तरफ भारी गोलाबारी शुरू कर दी जिससे उनके ठिकानों का पता लगाना मुश्किल हो गया । गंभीर खतरे की परवाह न करते हुए, श्री नरेन्द्र पाल सिंह अपने गनमैन के साथ आगे बढ़े ताकि घेराबंदी को कम किया जा सके। गोलाबारी में एक गनमैन अर्थात् बलविन्दर सिंह और सेना के एक जवान को गंभीर चोटें पहुंचीं । इससे श्री एन० पी० सिंह का हौसला पस्त नहीं हुआ, उन पर भारी गोलीबारी हुई तथा उनकी जांघ में गोली लगी । हालांकि अत्याधिक रक्तस्राव के बावजूद उन्होंने अपना स्थान बदला तथा यह देखा कि दो उग्रवादी पुलिस दल पर भीषण गोलाबारी कर रहे हैं। हालात को समझते हुए श्री एन० पी० सिंह ने उग्रवादियों पर भारी गोलाबारी की तथा उनमें से एक को मार गिराने में सफल हुए तथा इस प्रकार कुछ हद तक स्थिति पर नियंत्रण पाया । पी० एच० एफ० सैट पर उन्होंने उग्रवादियों के स्थान का सफाया करने के लिए अपने अधिकारियों को आगे बढ़ने का निर्देश दिया । बाद में श्री एन० पी० सिंह को, जो घायल अवस्था में थे अमृतसर ले जाया गया ।

इस बीच, श्री अजीत सिंह, डी० आई० जी० पुलिस ने खाईयों में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ दबाव डालना शुरू कर दिया । उन्होंने स्थिति का नए सिरे से जायजा लेने के लिए अपना स्थान सुरक्षित जगह पर बदला ताकि उग्रवादियों के खिलाफ अंतिम आक्रमण (प्रहार) शुरू किया जा सके । जब वे आदमियों को भारी गोलाबारी करने के निर्देश दे रहे थे, एक गोली उनकी छाती में लगी । इसने उन्हें और उनके साथियों को वापिस लौटने के लिए विचलित नहीं किया और उन्होंने सुरक्षा कार्मिकों को उग्रवादियों द्वारा और क्षति पहुंचाने से बचाने के लिए शील्ड (कवच) की तरह काम किया। बहुत विषम परिस्थितियों में श्री अजीत सिंह को वापिस लाया गया और अस्पताल ले जाया गया जहां बाद में उनकी मृत्यु हो गयी ।

भारी गोलाबारी के आदान प्रदान में कमान्डो बटालियन के कांस्टेबल हरभजन सिंह ने आतंकवादियों का सामना करने के दृढ़ प्रयास में आतंकवादियों पर गोलाबारी जारी रखी । उन्होंने अकेले ही दो घंटे तक कड़ा मुकाबला किया और एक आतंकवादी को मार गिराने में सफल हो गए हालांकि वे बुरी तरह से घायल हो गए । उन्होंने श्री अजीत सिंह के अधूरे काम को सफलतापूर्वक पूरा किया । गांव के मध्य में एक अन्य भीषण लड़ाई में हैड कांस्टेबल तेजिन्दर सिंह और कांस्टेबल राजिन्द्र सिंह गंभीर स्थिति का मुकाबला करते हुए बहादुरी से शहीद हो गए और सी० आर० पी० एफ के एक कांस्टेबल को चोट पहुंची ।

उपरोक्त मुठभेड़ में जो राज्य के इतिहास में सबसे अधिक खूंखार मुठभेड़ थी, सात सुरक्षा कार्मिक और सात उग्रवादी मारे गये । मुठभेड़ में शामिल अधिकारियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के कुशल मार्ग निर्देशन में अदम्य साहस का परिचय दिया और उसने कठिन परिस्थिति का बहादुरी से सामना किया । इस मुठभेड़ में श्री अजीत सिंह, आई० पी० एफ०, डी० आई० जी० पुलिस बार्डर रेंज, अमृतसर ने उग्रवादियों का मुकाबला करते हुए अपनी जान दे दी । मृतक आतंकवादियों की बाद में पहचान की गई उनमें (1) हरिन्दर सिंह उर्फ जिन्दा (2) लखविन्दर सिंह उर्फ लखा पुत्र अमरीक सिंह (3) लखविन्दर सिंह उर्फ लखा पुत्र सूचा सिंह (4) मेहर सिंह उर्फ मेजर सिंह (5) अमरीक सिंह उर्फ काला (6) जगतार सिंह और (7) शिन्दा उर्फ शिन्दी थे । तलाशी के दौरान घटना स्थल से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया था ।

इस मुठभेड़ में श्री सुखदेव सिंह भाटी, पुलिस उप-अधीक्षक, श्री तेजिन्दर सिंह, हैड कांस्टेबल, श्री हरभजन सिंह कांस्टेबल, श्री अमरीक सिंह, कांस्टेबल और श्री राजेन्द्र सिंह, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए किये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 मई, 1991 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

सं० 84-प्रेस/92—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री मोहिन्दर सिंह,
पुलिस उप-अधीक्षक,
आनन्दपुर साहिब ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 8 जून, 1991 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रोपड़, को सूचना मिली कि थाना नूरपूर बेदी के अन्तर्गत ग्राम सैदपुर में कुछ आतंकवादी छिपे हैं । उन्होंने श्री मोहिन्दर सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक, आनन्दपुर, को आतंकवादियों के छिपने के स्थान पर छापा मारने का निर्देश

दिया । संदिग्ध छिपने के स्थान पर छापा मारने के लिए अन्य पुलिस कार्मिकों सहित श्री मोहिन्दर सिंह 11.45 बजे (अपराह्न) रवाना हुए । जब पुलिस दल सैदपुर की एक स्कूल इमारत के निकट पहुंचा तो इमारत के अन्दर छिपे हुए आतंकवादियों द्वारा उन पर स्वचालित हथियारों से भारी गोली-बारी हो गई । पहले दल ने तुरन्त पोजीशन संभाली और जवाब में गोलियां चलाईं । नूरपुर बेदी के थाना प्रभारी और उनके दल की जान को गंभीर खतरे का आभास करते हुए श्री मोहिन्दर सिंह ने तुरन्त इमारत की दाईं ओर छिपने के स्थान पर धावा बोलने की योजना बनाई ।

इमारत को पूरी तरह से घेर लेने के बाद श्री मोहन्दर सिंह ने अपने दल के सदस्यों को आगे बढ़ कर धावा बोलने के लिए तेज स्वर में आदेश दिया, जो थाना प्रभारी, नूरपुर बेदी और उसके दल के लिए गोली-बारी रोक देने का संकेत भी था । उसके बाद श्री मोहिन्दर सिंह और उनका दल चार दीवारी पर चढ़ा तथा स्कूल के अन्दर कूद गया और अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए आतंकवादियों पर धावा बोल दिया । जब दल आतंकवादियों के छिपने के स्थान से करीब 30–40 गज दूर रह गया था, तो आतंकवादियों ने पुलिस दल पर हथगोले फैंके । भयभीत हुए बिना, श्री मोहिन्दर सिंह ने लेट कर मोर्चा संभाल लिया तथा अपने साथियों को लेट कर मोर्चा संभाल लेने के आदेश दिए । हथगोले पुलिस दल के निकट फटे और उसके दर्रे भूमी पर लेटे हुए पुलिस कार्मिकों के ऊपर से गुजरे । आतंकवादियों ने पुलिस कार्मिकों पर गोली चलाना जारी रखा परन्तु श्री मोहिन्दर सिंह और उनके दल के सदस्य बिना घायल हुए बच निकले । श्री मोहिन्दर सिंह स्वयं रेत के एक टीले के पीछे लेट गए और आतंकवादियों के छिपने के स्थान पर भीषण गोली-बारी की । इसके साथ-साथ उन्होंने नूरपुर बेदी के थाना प्रभारी को आदेश दिया कि वे आतंकवादियों के छिपने के स्थान को आगे की ओर से और बांईं ओर से घेर लें । इस बात का आभास होते ही कि उनको चारों ओर से घेरा जा रहा है, आतंकवादियों ने श्री मोहिन्दर सिंह द्वारा संभाले गए मोर्चे वाले स्थान के निकट से मण्ड क्षेत्र की ओर बचकर भागने की निरर्थक कोशिश की ।

एक साहस पूर्ण कार्य का प्रदर्शन करते हुए और अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बगैर, श्री मोहिन्दर सिंह ने दौड़ते हुए आतंकवादियों का पीछा किया और उनमें से एक को दबोच लिया । उनमें से एक आतंकवादी के साथ उनकी हाथापाई हो गई । हाथापाई के दौरान श्री मोहिन्दर सिंह के हाथ की पकड़ से ए० के०—47 राईफल छूट गई और नीचे गिर गई । संयम बरतते हुए उन्होंने जोखिम उठाया और आतंकवादियों से उसकी ए के —47 राईफल छीन ली । जब आतंकवादी ने श्री मोहिन्दर सिंह की गिरफ्त से छूट कर बच कर भाग निकलने की कोशिश की तो श्री मोहिन्दर सिंह ने आतंकवादी पर गोली चलाई और उसे वहीं मार गिराया । फिर भी, अन्य आतंकवादी अंधेरे और ऊंची घास का फायदा उठाते हुए मण्ड क्षेत्र में भाग निकला । खोज-बीन के बाद एक शव बरामद किया गया जिसकी बाद में, सोहन सिंह के रूप में पहचान की गई । वहां की तलाशी लेने पर एक ए के —47 राईफल, ए0 के–47, राईफल की एक मैगजीन तथा बड़ी मात्रा में खाली तथा बिना प्रयोग किए गए कारतूस बरामद हुए । बब्बर खालसा इंटरनेशनल का मृत आतंकवादी बहुत घृणित अपराधों में अन्तर्ग्रस्त था ।

इस मुठभेड़ में श्री मोहिन्दर सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 जून, 1991 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई, 1992

सं० 85–प्रेज/92—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद ।

श्री सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय,
पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक,
जिला—फिरोजपुर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 3 मई, 1991 को इंस्पैक्टर नछत्तर सिंह, एस० एच० ओ०, पुलिस स्टेशन धर्मकोट को यह सूचना मिली कि एक कट्टर उग्रवादी राजबीर सिंह उर्फ फौजी तथा कुछ अन्य कट्टर उग्रवादी करतार सिंह, ग्राम लोहारा, पुलिस स्टेशन धर्मकोट के एक परित्यक्त फार्म हाउस में छिपे हुए हैं । उन्होंने शीघ्र ही यह सूचना श्री सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजपुर और पुलिस उप-अधीक्षक, जीरे को दी जो तत्काल ही अपने बल के साथ पुलिस स्टेशन, धर्मकोट पहुंच गए ।

तत्पश्चात्, तीन दल बनाए गए, प्रत्येक दल का नेतृत्व एस एस० पी०, फिरोजपुर पुलिस उप-अधीक्षक, जीरे तथा

एस० एच० ओ०, पुलिस स्टेशन, धर्मकोट ने अलग-अलग किया और उन्होंने फार्म हाउस को घेर लिया । तब श्री चट्टोपाध्याय ने उग्रवादियों को चेतावनी दी कि पुलिस ने चारों ओर से फार्म हाउस को घेर लिया है, अतः वे आत्मसमर्पण कर दें । किन्तु फार्म हाउस के बराड़ें की छत पर से कुछ उग्रवादियों ने पुलिस दल पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी तथा फार्म हाउस के आंगन में कूद पड़े । पुलिस को आत्म-रक्षा में गोली चलानी पड़ी ।

कुछ समय पश्चात् श्री चट्टोपाध्याय अपने जीवन की परवाह न करते हुए रेंग कर ट्यूबवैल के कमरे के करीब पहुंचे । उग्रवादियों ने पुलिस दल की आवाजाही को देख लिया और उन पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी । कुछ गोलियां ठीक उसी दीवार पर लगी जिसके नीचे श्री चट्टोपाध्याय जमीन पर लेटे हुए थे, अतः उन्हें चोट नहीं आई । उसके बाद श्री चट्टोपाध्याय और उनके दल ने टूटी हुई दीवार की पिछली तरफ से उग्रवादियों पर गोलियां चलाई ।

इसी बीच इंस्पैक्टर नछत्तर सिंह ने अपने दल के साथ अपनी जान की परवाह न करते हुए उग्रवादियों की भारी गोलाबारी के बावजूद भी रेंगते हुए मुख्य द्वार से अहाते से प्रवेश किया । उग्रवादियों के समीप पहुंच कर पुलिस दल ने उन पर गोलाबारी शुरू कर दी । दोनों ओर से ढाई घन्टे तक गोलियां चलती रहीं । उसके बाद उग्रवादियों की ओर से गोलाबारी रुक गई । तलाशी करने पर उग्रवादियों के चार शव बरामद हुए जिनकी बाद में राजवीर सिंह, उर्फ फौजी, सुखवीर सिंह उर्फ काला, सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा तथा कुलवन्त सिंह उर्फ कान्ता के रूप में शिनाख्त की गई । मुठभेड़ के स्थान से तलाशी के दौरान एक ए० के०—47 राईफल, दो ए० के०—56 राइफल्स, 12 राकिट, एक .33 बोर राईफल, एक लैंडमाइन, एक डारैक्शनल एक्सप्लोसिव, 3 किलो विस्फोटक सामग्री, 34 डिटोनेटरस् और बड़ी मात्रा में सक्रिय/निष्क्रिय कारतूस बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3 मई, 1991 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई, 1992

सं० 86-प्रेज/92—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री नछत्तर सिंह,
पुलिस इंस्पेक्टर,
जिला—फिरोजपुर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 3 मई, 1991 को इंस्पेक्टर नछत्तर सिंह एस० एच० ओ०, पुलिस स्टेशन, धर्मकोट को यह सूचना मिली कि एक कट्टर उग्रवादी राजवीर सिंह उर्फ फौजी तथा कुछ अन्य कट्टर उग्रवादी करतार सिंह, ग्राम लोहारा, पुलिस स्टेशन, धर्मकोट के एक परित्यक्त फार्म हाऊस में छिपे हुए हैं । उन्होंने शीघ्र ही यह सूचना श्री सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजपुर और पुलिस उप-अधीक्षक, जीरे को दी जो तत्काल ही अपने बल के साथ पुलिस स्टेशन, धर्मकोट पहुंच गए ।

तत्पश्चात्, तीन दल बनाए गए, प्रत्येक दल का नेतृत्व एस० एस० पी०, फिरोजपुर, पुलिस उप-अधीक्षक, जीरे तथा एस० एच० ओ०, पुलिस स्टेशन, धर्मकोट ने अलग-अलग किया और उन्होंने फार्म हाऊस को घेर लिया । तब श्री चट्टोपाध्याय ने उग्रवादियों को चेतावनी दी कि पुलिस ने चारों ओर से फार्म हाउस को घेर लिया है, अतः वे आत्मसमर्पण कर दें । किन्तु फार्म हाउस के बराड़े की छत पर कुछ उग्रवादियों ने पुलिस दल पर से भारी गोलाबारी शुरू कर दी तथा फार्म हाउस के आंगन में कूद पड़े । पुलिस को आत्म-रक्षा में गोली चलानी पड़ी ।

कुछ समय पश्चात् श्री चट्टोपाध्याय अपने जीवन की परवाह न करते हुए रेंग कर ट्यूबवैल के कमरे के करीब पहुंचे । उग्रवादियों ने पुलिस दल की आवाजाही को देख लिया और उन पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी । कुछ गोलियां ठीक उसी दीवार पर लगीं जिसके नीचे श्री चट्टोपाध्याय जमीन पर लेटे हुए थे, अतः उन्हें चोट नहीं आई । उसके बाद श्री चट्टोपाध्याय और उनके दल ने टूटी हुई दीवार की पिछली तरफ से उग्रवादियों पर गोलियां चलाई ।

इसी बीच इंस्पेक्टर नछत्तर सिंह ने अपने दल के साथ अपनी जान की परवाह न करते हुए उग्रवादियों की भारी गोलाबारी के बावजूद भी रेंगते हुए मुख्य द्वार से अहाते में प्रवेश किया । उग्रवादियों के समीप पहुंचकर पुलिस दल ने उन पर गोलाबारी शुरू कर दी । दोनों ओर से ढाई घन्टे

तक गोलियां चलती रहीं । उसके बाद उग्रवादियों की ओर से गोलाबारी रुक गई । तलाशी करने पर उग्रवादियों के चार शव बरामद हुए जिनकी बाद में राजवीर सिंह उर्फ फौजी, सुखवीर सिंह उर्फ काला, सुखदेव सिंह उर्फ सुखा तथा कुलवन्त सिंह उर्फ कान्ता के रूप में शिनाख्त की गई । मुठभेड़ के स्थान से तलाशी के दौरान एक ए० के०-47 राईफल, दो ए० के०-56 राइफल्स, 12 राकेट, एक .33 बोर राइफल, एक लैंडमाइन, एक डारैक्शनल, एक्सप्लोसिव, 3 किलो विस्फोटक सामग्री, 34 डिटोनेटरस् और बड़ी मात्रा में सक्रिय/निष्क्रिय कारतूस बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री नछत्तर सिंह, पुलिस इंस्पेक्टर, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस व उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फल-स्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3 मई, 1991 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

लोक सभा सचिवालय

(प्राक्कलन समिति शाखा)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 मई 1992

सं० 4/2/ई० सी०/92—लोक सभा के निम्नलिखित सदस्यों को प्राक्कलन समिति की 1 मई, 1992 से आरम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1993 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित किया गया है :—

1. श्री ए० चार्ल्स
2. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री
3. श्री मुमताज अंसारी
4. श्री अयूब खां
5. श्री मनोरंजन भक्त
6. श्री सरताज सिंह छटवाल
7. श्री सोमजीभाई डामोर
8. श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर
9. श्री संतोष कुमार गंगवार
10. श्रीमती गिरिजा देवी
11. श्री नूरुल इस्लाम
12. श्री आर० जीवरत्नम
13. डा० विश्वनाथम कैनिथी
14. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी
15. श्री धर्मपाल सिंह मलिक
16. श्री संजय लाल
17. श्री हन्नान मोल्लाह
18. श्री जी० देवराय नायक
19. श्री रूप चन्द पाल
20. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही
21. श्री हरिन पाठक
22. श्री हरीश नारायण प्रभु झाट्ये
23. श्री अमर राय प्रधान
24. श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ
25. श्री भोरेश्वर साबे
26. श्री मानवेंद्र शाह
27. डा० महावीपक सिंह शाक्य
28. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री
29. श्री मानकूराम सोढ़ी
30. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी

अध्यक्ष ने श्री मनोरंजन भक्त संसद सदस्य को प्राक्कलन समिति (1992–93) का सभापति नियुक्त किया है ।

बी० बी० पंडित,
निदेशक

इलेक्ट्रानिकी विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 अप्रैल 1992

संकल्प

सं० 15 (40)/91-निर्यात—भारत सरकार ने निम्नलिखित के कार्यान्वयन की दृष्टि से इलेक्ट्रानिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार की एक पंजीकृत अलाभकारी स्वायत्त संस्था के रूप में 'सैटकाम' सेवा (भारत) स्थापित करने का निर्णय किया है :—

I. 'सैटकाम' सेवा (भारत) को संस्था पंजीकरण अधिनियम-1860 के अंतर्गत एक संस्था के रूप में पंजीकृत किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय इलेक्ट्रानिक्स निकेतन, 6, सी० जी० गो० काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में होगा ।

II. सैटकाम' सेवा का मुख्य उद्देश्य मूल्य संवर्धित उच्च गति की आंकड़ा संचार सुविधाएं स्थापित करना तथा निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आंकड़ा अंतर सुलभ कराने की दृष्टि से उपभोक्ता के परिसर तक सेवाएं उपलब्ध कराना होगा :—

(क) बिना किसी अतिरिक्त लागत के उपभोक्ता के परिसर पर पूर्णतया विश्वसनीय उच्च गति का सम्पर्क ।

(ख) अल्प सूचना पर उच्च गति के अंतर्राष्ट्रीय उपलब्ध सम्पर्क कराने की क्षमता ।

(ग) दिन की विभिन्न अवधियों तथा विभिन्न समयों के लिए विभिन्न गतियों पर संपर्क उपलब्ध कराने की क्षमता ।

(घ) उपर्युक्त (ग) के अनुसार वास्तविक उपयोगिता के आधार पर सेवाओं के लिए प्रभार लेने की एक लचीली प्रणाली ।

(ङ) विभिन्न देशों को आंकड़ा सम्पर्क सुविधाएं उपलब्ध कराने में लचीलापन ।

(च) भारतीय उद्यमों तथा उनके विदेशी ग्राहकों/भागीदारों के बीच कम्प्यूटर के माध्यम से सम्पर्क उपलब्ध कराने की सुविधा ।

III. इस संस्था के प्रशासन तथा प्रबंध का दायित्व एक अधिशासी परिषद, पर होगा । अधिशासी परिषद, का गठन नीचे दिये अनुसार है :—

क्रम सं०	नाम तथा पता	स्तर
(i)	श्री ना० विठ्ठल, सचिव इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार 6, सी० जी० ओ० काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 ।	अध्यक्ष
(ii)	श्री के० राय पाल, संयुक्त सचिव इलेक्ट्रानिकी विभाग भारत सरकार 6 सी० जी० ओ० काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 ।	पदेन महानिदेशक
(iii)	श्री एस० डब्ल्यू० ओक, संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार 6, सी० जी० ओ० काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 ।	सदस्य
(iv)	श्री बृजेन्द्र के० सिंगल, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, विदेश संचार निगम लिमिटेड महात्मा गांधी रोड, मुम्बई–400001 ।	सदस्य
(v)	श्री अशोक झा, संयुक्त सचिव वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली ।	सदस्य
(vi)	श्री सौरभ श्रीवास्तव प्रबंध निदेशक, इंटरनेशनल इंफौर्मेटिक्स-सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड, श्री प्रताप उद्योग 274 शहीद कैप्टन गौड़ मार्ग, श्रीनिवास पुरी, नई दिल्ली-110065 ।	सदस्य
(vii)	श्री एफ० सी० कोहली निदेशक, टाटा परामर्श सेवायें, नरीमन पाइन्ट, मुम्बई-400021 ।	सदस्य
(viii)	श्री एन० आर० नारायण मूर्ति, प्रबंध निदेशक इंफोसिस कन्सलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, के–130, कोरामंगल, बंगलौर-560034 ।	सदस्य
(ix)	डा० एस० रामणी निदेशक राष्ट्रीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र, गुलमोहर क्रास रोड नं० 9, जुहू, मुम्बई-400049 ।	सदस्य
(x)	श्री हरीश मेहता, प्रबंध निदेशक, आनवर्ड टेक्नोलाजी प्राइवेट लि०, हीरोज बिल्डिंग, चर्च गेट मुम्बई ।	सदस्य
(xi)	श्री आर० के० वर्मा अपर निदेशक इलेक्ट्रानिकी विभाग (भारत सरकार) 6, सी० जी० ओ० काम्प्लेक्स, नई दिल्ली ।	सदस्य-सचिव

IV. परिषद के सदस्य सचिव इस संस्था के रजिस्ट्रार होंगे।

V. एक कार्यकारी समिति द्वारा अधिशासी परिषद, की सहायता की जायेगी जो संस्था के तकनीकी और प्रशासनिक प्रबंध की देखभाल करेगी । 'सेटकाम' सेवा (भारत) के पदेन महानिदेशक इसकी कार्यकारी समिति के अध्यक्ष होंगे ।

VI. श्री के० राय पाल, संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रानिकी विभाग पदेन महानिदेशक के रूप में कार्य करेंगे तथा श्री आर० के० वर्मा अपर निदेशक, इलेक्ट्रानिकी विभाग इसके कार्यकारी निदेशक होंगे ।

एस० मुरली,
संयुक्त सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

(पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 1992

सं० सी–18011/3/89–स्था०–1 (पार्ट)—राष्ट्रपति, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में सहायक निदेशक (पूर्ति) (ग्रेड-1) श्री विक्रम आदित्य को उपनिदेशक (पूर्ति) के वेतनमान अर्थात् 3000-100-3500-125-4500 रुपये में दिनांक 6 अप्रैल 1984 से तथा उनके नियमित आधार पर उपनिदेशक (पूर्ति) के रूप में नियुक्त होने तक के लिए व्यक्तिक आधार पर विशेष कार्याधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं ।

2. श्री विक्रम आदित्य की उपरोक्त नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रधान पीठ के दिनांक 8 नवम्बर 1991 के ओ० ए० सं० 642/89 पर दिए गए निर्णय के प्रतिपालन में दिनांक 6 अप्रैल 1984 से प्रभावी की गई है ।

एस० बालासुब्रमणियन
अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1992

सं० एफ 1(49) 190–टी०सी०एम०—भारत सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल 1992 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में तथा उसमें आंशिक

संशोधन करते हुए निर्णय लिया है कि कपास-सलाहकार बोर्ड में निम्नलिखित अतिरिक्त गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल किया जाए :—

उपजकर्ता :

1. श्री के० सुन्दरमूर्ति
के० जी० एफ० कोलार जिला
कर्नाटक ।

2. श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत
भूतपूर्व विधायक
गान्धी नगर, गुजरात ।

3. श्री बंसी लाल बूतलहरे
भूतपूर्व मन्त्री
63 एम० आर० जी०, एम० एल० ए० क्वार्टर्स
भोपाल (मध्य प्रदेश) ।

2. बोर्ड सरकार को सामान्यतः कपास के उत्पादन, खपत और विपणन संबंधी मामलों में सलाह देगा जिनमें कपास नियंत्रण आदेश 1986 के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले मामले भी शामिल हैं तथा साथ ही सूती वस्त्र मिल उद्योग कपास उपजकर्ताओं, कपास व्यापार और सरकार के बीच सम्पर्क सूत्र स्थापित करने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा ।

3. पुनर्गठित बोर्ड के सदस्य 31 अगस्त 1994 तक बोर्ड की सेवा करेंगे ।

4. गैर-सरकारी सदस्यों को वित्त मंत्रालय के निदेशों के अनुसार कपास सलाहकार बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए टी० ए० डी० ए० मिलेगा ।

5. बोर्ड की बैठक में उपस्थित केवल सदस्यों तक ही सीमित रहेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रतिलिपि सभी संबंधित व्यक्तियों को प्रेषित की जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

आर० आर० सिंह
निदेशक

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली-110011, दिनांक 27 मई 1992

सं० एफ० 32/33-88-स्मा०—भारत सरकार पुरातत्व सर्वेक्षण, के दिनांक 17 मार्च 1992 के संकल्प सं० एफ० 32/33/88-स्मा० के अनुसरण में, तथा दिनांक 24 मार्च 1992 की अधिसूचना सं० एफ० 32 33/88-स्मा०, के तहत पहले ही अधिसूचित नियुक्तियों के अतिरिक्त भारत के विश्वविद्यालयों से प्राप्त सिफारिशों में से अध्यक्ष द्वारा नामित डा० पी० सी० पारिख निदेशक बी० जे० इन्स्टीट्यूट आफ लर्निंग एण्ड रिसर्च अहमदाबाद को केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार मंडल का सदस्य नियुक्त किया गया है ।

एम० सी० जोशी
महानिदेशक

औद्योगिक विकास विभाग

तकनीकी विकास महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 1992

संकल्प

सं० सिरामिक 11(21) 91—सिरामिक उद्योग के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित विकास नामिका से संबंधित सम संख्यक दिनांक 27 सितम्बर, 1991 के संकल्प को जारी रखते हुए भारत सरकार ने नामिका के वर्तमान संरचना के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करने का निर्णय लिया है :—

1. श्री आर० एम० मेहरा
सिरामिक तथा प्रबंध परामर्शदाता
94 वरियामहल 'ए'
80 एल० जगमोहन दास मार्ग
बम्बई-400006 ।

2. श्री एस० के० घोष
प्रबन्ध निदेशक
एलायड सिरामिक लि०
91, सेनिनसारानी
कलकत्ता-700017 ।

नामिका की संरचना तथा संदर्भ की शर्तों के संबंध में कोई दूसरा परिवर्तन नहीं है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संरचना के प्रति सभी सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दी जाए । यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

मदन मोहन
निदेशक (प्रशासन)

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन तथा डेयरी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च, 1992

संकल्प

सं० 3-14/87-एल० डी० टी०—इस मंत्रालय के दिनांक 6 सितम्बर, 1988 के संकल्प तथा बाद में, समय-समय पर जारी संशोधनों के क्रम में, भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए गो संवर्द्धन सलाहकार परिषद् पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है ।

गो संवर्द्धन सलाहकार परिषद् का गठन

पुनर्गठित परिषद् का गठन निम्न प्रकार से होगा :

1. कृषि मंत्री, — अध्यक्ष
कृषि भवन, नई दिल्ली ।

2. राज्य मंत्री (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग) कृषि भवन, नई दिल्ली । — उपाध्यक्ष

3. सचिव, — सदस्य
पशुपालन और डेयरी विभाग,
कृषि मंत्रालय, कृषि भवन,
नई दिल्ली ।

4. पशुपालन आयुक्त, — सदस्य
पशुपालन और डेयरी विभाग,
कृषि मंत्रालय, कृषि भवन,
नई दिल्ली ।

5. उप-महानिदेशक, (ए० एस०) सदस्य
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्,
कृषि भवन, नई दिल्ली ।

6. संयुक्त सचिव (पशुपालन) सदस्य
पशुपालन और डेयरी विभाग,
कृषि मन्त्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली ।

7. संयुक्त सचिव (डेयरी विकास) सदस्य
पशुपालन और डेयरी विभाग,
कृषि मन्त्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली ।

8. संयुक्त सचिव (आई० आर० डी०) सदस्य
ग्रामीण विकास मंत्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली ।

9. अध्यक्ष, सदस्य
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड,
आनन्द, गुजरात ।

10. निदेशक, पशुपालन, सदस्य
पंजाब, चंडीगढ़ ।

11. निदेशक, पशुपालन, सदस्य
केरल, तिरूअनंतपुरम ।

12. निदेशक, पशुपालन, सदस्य
उ० प्र०, लखनऊ ।

13. निदेशक, पशुपालन, सदस्य
उड़ीसा, कटक ।

14. श्री स्वामी आनंदबोध सरस्वती, सदस्य
अध्यक्ष,
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा,
महर्षि दयानन्द भवन,
रामलीला मैदान,
नई दिल्ली-110002 ।

15. श्री स्वामी गोरक्षानन्द सरस्वती, सदस्य
संयोजक, श्री गोशाला बाबा फूलसध,
पो० उचाना खुर्द,
जिला जींद (हरियाणा) ।

16. श्री राम सिंह राठौर,
अध्यक्ष, महर्षि दयानन्द गोवर्धन बुग्ध केन्द्र, सदस्य
25–1, यशवन्त निवास रोड,
द्वितीय तल,
इंदौर (म० प्र०) ।

17. श्री प्रेम चन्द गुप्ता, सदस्य
पूर्व-सदस्य, महानगर परिषद्,
कार्यकारी अध्यक्ष,
भारत गोसेवक समाज,
4–17, रूप नगर,
दिल्ली-110007 ।

18. श्री राम पाल अग्रवाल, सदस्य
नूतन कामधेनु प्रतिष्ठान,
कामधेनु लेन,
मुक्कड़ बाग रोड,
पटना (बिहार) ।

19. श्री दशरथ भाई ठाकुर, सदस्य
मंत्री, बम्बई जीव दया मंडली,
दया मन्दिर, 125–127,
मुम्बा देवी रोड,
बम्बई-3 ।

20. श्री दत्तात्रेय मंजूनाथ बर्वे, सदस्य
पंचवटी गो-सेवा आश्रम,
पो० मलगी, ता० मंदगोड,
जिला—नार्थकन्नड़—581546 ।

21. पंडित वन्देमातरम रामचन्द्र राव, सदस्य
14–3–178, कमलानिलयम,
गोशाव महल स्टेडियम,
हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) ।

22. श्री ईश्वर सिंह सामोटा, सदस्य
एडवोकेट,
नाथद्वारा जिला—उदयपुर
(राजस्थान) ।

23. डा० राधानाथ रथ, सदस्य
पदम भूषण, पूर्व-मंत्री, उड़ीसा,
अध्यक्ष, कटक गौशाला और संपादक "समाज"
कटक (उड़ीसा) ।

24. डा० प्रेमधर मिश्रा, सदस्य
उत्कल हाडकास फार्म,
ग्रा० पो०—प्रेमकनाल,
(उड़ीसा) ।

25. श्री विद्यासागर, सदस्य
बिहार भूदान समिति,
कदम कुंआ,
पटना–3 (बिहार) ।

26. श्री चांदी रामजी वर्मा, सदस्य
पूर्व—विधायक,
अबोहर, पंजाब ।

27. डा० जे० एन० पांडा, सदस्य
सेवा-निवृत्त निदेशक,
पशुचिकित्सा,
ग्रा० पो० बारगढ़, जिला—संबलपुर,
(उड़ीसा) ।

28. और दो संसद सदस्य सदस्य

29. दोनों सदनों से एक-एक

30. संयुक्त आयुक्त (एल० पी०), सदस्य सचिव
पशुपालन और डेयरी विभाग,
कृषि मंत्रालय, कृषि भवन,
नई दिल्ली ।

सलाहकार समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(1) समय-समय पर गोपशुओं के संरक्षण, विकास, प्रजनन आहार तथा विपणन से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करना ।

(2) उपर्युक्त मामलों में से किसी पर भी केन्द्रीय और राज्य सरकारों को सलाह देना ।

(3) गोपशुधन के विकास, खासकर गोशाला के उचित रूप से विकास से संबंधित मामलों पर राज्य गोसंवर्धन परिषदों, गोशाला तथा पिंजरापोल संघ जैसे विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं के कार्यकलापों की समीक्षा और समन्वयन,

(4) गोपशु के विकास, खासकर जहां गैर-सरकारी संस्थाओं का सहयोग अपेक्षित है, के लिए प्रवर्द्धनात्मक कार्यकलाप शुरू करना; और

(5) देश के किसी क्षेत्र में गोपशुधन के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा यथापेक्षित अन्य कार्य शुरू करना।

परिषद् की आवधिक रूप से ऐसे समय और स्थान पर बैठक होगी जैसा अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

आदेश

1. आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघशासित क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों के विभागों, योजना आयोग, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय और अन्य संबंद्ध संगठनों को भेजी जाए

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आर० सी० चौधरी, संयुक्त सचिव (पशुपालन)

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार आयोग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 जून 1992

विषय : भारतीय तार अधिनियम, 1885 की पुनरीक्षा करने तथा उपयुक्त संशोधनों की सिफारिश करने के लिए समिति का गठन।

सं० 2-1/91-टी० सी० ओ०—श्री के० के० सिन्हा द्वारा दूरसंचार विभाग में अपर सचिव (टी) का कार्यभार ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप उन्हें भारतीय तार अधिनियम, 1885 की पुनरीक्षा करने के लिए गठित समिति में श्री बी० एन० भागवत के स्थान पर सदस्य नियुक्त किया गया है। समिति का गठन दिनांक 4 नवम्बर, 1991 को समसंख्यक अधिसूचना के तहत किया गया था।

आर० रामानुजम, संयुक्त सचिव

विद्युत एवं अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई 1992

सं० 6/8—/90-ट्रांस—विद्युत विभाग के संकल्प सं० 6/8/90-ट्रांस दिनांक 4 अक्तूबर, 1991 में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के गठन संबंधी संरचना में क्रम संख्या (5) व (7) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए :—

(5) विद्युत संबंधी कार्य प्रभारी मंत्री, मेघालय अथवा उनकी ओर से प्रतिनिधि।

(7) विद्युत संबंधी कार्य प्रभारी मंत्री, नागालैण्ड अथवा उनकी ओर से प्रतिनिधि।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त संकल्प असम, मणिपुर अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैण्ड और मिजोरम की राज्य सरकारों असम और मेघालय के बिजली बोर्ड, नीपको, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड भारत सरकार के सभी मंत्रालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया जाए।

ए० एस० जठग संयुक्त सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 1992

सं० क्यू०—16012/1/88 ई० एस० ए० (एन० एल० आई०)—जबकि राष्ट्रीय श्रम संस्थान का पुनर्गठन अधिसूचना सं० क्यू—16012/1/88-ई० एस० ए० (एन० एल० आई०) दिनांक 6 जून, 1990 द्वारा अधिसूचित किया गया था।

अब उपर्युक्त अधिसूचना में निम्नलिखित परिवर्तन किये जाएं:-

क्रमांक 26 की विद्यमान प्रविष्टि के लिए अर्थात् :—

"श्री जी० एस० लोहाना,
संयुक्त सचिव
श्रम मंत्रालय श्रम शक्ति भवन,
नई दिल्ली"।

निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :—

"श्री लालफाक जुआला,
संयुक्त सचिव
श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन,
नई दिल्ली"।

वी० रामाराव, संयुक्त निदेशक

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून 1992

सं० 10/2/92-के० से० (II)—कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 1992 में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग, भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक के संवर्ग के ग्रेड-ग, सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग, रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "ग" और अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन (रेल मंत्रालय) आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ग" के लिए प्रवर सूचियों में सम्मिलित करने के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

2. प्रवर सूचियों में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में बता दी जायेगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिऐ आरक्षण किए जाएंगे।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अभिप्राय उस किसी भी जाति से है जो निम्नलिखित में उल्लिखित हैं :—

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश; 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951; संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951; अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971; संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) एक्ट, 1976 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथासंशोधित संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956; संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) एक्ट, 1976; और संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959; (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथासंशोधित, संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962; संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962; संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964; संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967; संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968 तथा संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970; संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978; तथा संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978; संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) आदेश, 1989 समय-समय पर संशोधित ।

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) एक्ट, 1990 और संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (संशोधन) एक्ट, 1991; संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) एक्ट, 1991 ।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित पद्धति के अनुसार ही ली जाएगी ।

किस तारीख को और किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जायेगी, इसका निर्धारण आयोग करेगा ।

4. पात्रता की शर्तें—केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन (रेल मंत्रालय) आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "घ" या श्रेणी–III का नियमित रूप से नियुक्त कोई भी ऐसा स्थायी अथवा अस्थायी अधिकारी जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो, परीक्षा में बैठने और अपनी सेवा की रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता करने का पात्र होगा अर्थात् केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ के आशुलिपिक उस सेवा के ग्रेड-ग की रिक्तियों के लिए पात्र होंगे, केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ के आशुलिपिक उस सेवा के ग्रेड-ग की रिक्तियों के लिए पात्र होंगे और भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड–III के आशुलिपिक भारतीय विदेश सेवा (ख) के (आशुलिपिकों) के संवर्ग के ग्रेड-II की रिक्तियों के लिए पात्र होंगे तथा सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ के आशुलिपिक सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड–ग और रेलवे सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "घ" के आशुलिपिक रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्रेणी "ग" की रिक्तियों के लिए पात्र होंगे और अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन (रेल मंत्रालय) आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "घ" के आशुलिपिक, अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन आशुलिपिक सेवा के श्रेणी "ग" की रिक्तियों के लिए पात्र होंगे ।

(क) सेवा की अवधि—सेवा के ग्रेड–घ या ग्रेड–III में निर्णायक तारीख अर्थात् 1–8–1992 को उसकी कम से कम तीन वर्ष की अनुमोदित और निरन्तर सेवा होनी चाहिए ।

टिप्पणी :—ग्रेड–घ के ये अधिकारी जो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हों, और जिनका केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ या ग्रेड–III में धारणाधिकार हैं, यदि अन्यथा पात्र हों तो इस परीक्षा में बैठ सकेंगे ।

परन्तु यदि वह केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "घ"/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा के श्रेणी "घ" सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "घ"/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग की श्रेणी–III/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "घ"/अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "घ" में प्रतियोगितात्मक परीक्षा जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा भी शामिल है, के परिणाम पर नियुक्त किया जाता है तो ऐसी परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम तीन वर्ष पहले घोषित हुए होने चाहिएं और उस श्रेणी में उसकी कम से कम दो वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा होनी चाहिए ।

(ख) आयु—उसकी आयु पहली अगस्त, 1992 को 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् वह 2 अगस्त, 1942 से पहले पैदा नहीं हुआ हो ।

(ग) ऊपरिलिखित ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित और छूट होगी—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो, तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक ।

(ii) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम 3 वर्ष तक ।

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो तथा श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिकतम 8 वर्ष तक ।

(iv) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा 'उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों को करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक ।

(v) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों को करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों से संबंधित रक्षा सेवा कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 8 वर्ष तक ।

(vi) 1971 में हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक ।

(vii) 1971 में हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों के मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हों ।

उपर्युक्त बातों के अलावा ऊपर निर्धारित आयु सीमा में और किसी हालत में छूट नहीं दी जायेगी ।

(घ) आशुलिपिक परीक्षा—जब तक कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन आशुलिपिक सेवा के ग्रेड—घ या ग्रेड III में स्थायीकरण, या बने रहने के प्रयोजन के लिए आयोग की आशुलिपिक परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट न मिल गई हो, उसने परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या उससे पूर्व वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होनी चाहिए।

टिप्पणी :— ग्रेड—घ या ग्रेड-III के जो आशुलिपिक सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य-पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं और जिनका इसे सेवा के ग्रेड घ या ग्रेड III से धारणाधिकार है, यदि अन्यथा पात्र हों, वे परीक्षा में सम्मिलित किए जाने के पात्र होंगे तथा यह बात ग्रेड-घ/ग्रेड—III में उन आशुलिपिकों पर लागू नहीं होती जो स्थानान्तरित रूप में संवर्ग बाह्य पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किए गए हों और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक के संवर्ग-सशस्त्र सेवा मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन आशुलिपिक सेवा ग्रेड—घ /ग्रेड-III में धारणाधिकार न रखते हों।

5. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

6. यदि किसी उम्मीदवार के पास आयोग का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न होगा तो उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जायेगा।

7. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा अपराधी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने :—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये हैं, अथवा

(viii) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(ix) असंगत सामग्री लिखना जिसमें पांडुलिपि में अश्लील भाषा या अश्लील सामग्री भी शामिल है या

(x) आयोग द्वारा परीक्षा के संचालन के लिए नियुक्त स्टाफ को तंग किया है अथवा शारीरिक चोट पहुंचाई है, अथवा

(xi) अपने प्रवेश पत्र के साथ जारी किए गए किसी अनुदेश का उल्लंघन किया है, अथवा

(xii) उसके द्वारा परीक्षा भवन से उत्तर पुस्तिका/आशुलिपिक टिप्पणी टेकण आलेख का ले जाया जाना।

(xiii) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है, तो उस पर अपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है, और उसके साथ ही उसे

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से, जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए—

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(2) केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है; और

(ग) उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

8. परीक्षा के पश्चात् प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अन्तिम रूप से प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग द्वारा उनकी योग्यता क्रम से छः अलग सूचियां बनाई जायेंगी और उसी क्रम के अनुसार आयोग उस परीक्षा में जितने उम्मीदवारों को सफलता प्राप्त समझेगा, उनके नाम अपेक्षित संख्या तक, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक के संवर्ग और सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन आशुलिपिक सेवा के ग्रेड—ग की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए सिफारिश करेगा।

परन्तु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय, आशुलिपिक सेवा/अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन आशुलिपिक सेवा में रिक्तियों की संख्या तक समान मानक के आधार पर रिक्तियां न भरी जा सकें तो आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए मानक में ढील देकर सिफारिश की जा सकती है चाहे परीक्षा की योग्यता सूची में उसका कोई रैंक क्यों न हो, बशर्ते कि उम्मीदवार केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन आशुलिपिक सेवा के ग्रेड—ग की चयन सूची में शामिल करने के लिए योग्य हों।

टिप्पणी :— उम्मीदवार को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा (क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन) इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग के ग्रेड—ग/ग्रेड—II सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन आशुलिपिक सेवा के ग्रेड—ग की प्रवरण सूची में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल किए जायें, इसका निर्णय करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम है। इसलिए कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस बात का कोई दावा नहीं कर सकेगा कि उसके द्वारा परीक्षा में दिये गये निष्पादन के आधार पर उसका नाम प्रवरण सूची में शामिल किया ही जाए।

9. हर एक उम्मीदवार के परीक्षा फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार से दी जाये, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

10. परीक्षा में सफलता से चयन का अधिकार नहीं मिल जाता जब तक कि संवर्ग प्राधिकारी ऐसी छानबीन के बाद जो आवश्यक समझी जाये, संतुष्ट न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा के अपने चरित्र के विचार से चयन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

11. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन-पत्र देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन आशुलिपिक सेवा के अपने पद से त्याग पत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा या जिनकी सेवायें उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हों या किसी निःसंवर्गीय पद या दूसरी सेवा में स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ङ/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग के ग्रेड-III या सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ङ में धारणाधिकारी न हों, वह इस परीक्षा में परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। तथापि वह ग्रेड-घ/ग्रेड-III के उन आशुलिपिकों पर लागू नहीं होगा, जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के किसी निःसंवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति के रूप में नियुक्त किया जा चुका हो।

करतार सिंह, अवर सचिव

परिशिष्ट

लिखित परीक्षा के विषय, तथा प्रत्येक के लिए दिया गया समय तथा पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

भाग-क—लिखित परीक्षा

विषय	अधिकतम अंक	समय
प्रश्न-पत्र 1 : वस्तुनिष्ठ प्रकार (क) सामान्य ज्ञान 100 प्रश्न (ख) अंग्रेजी भाषा का परिज्ञान तथा योग्यता 100 प्रश्न	200	2 घंटे

टिप्पणी :— सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छापे जायेंगे।

भाग ख —हिन्दी या अंग्रेजी आशुलिपिक परीक्षा (लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों के लिए) 200 अंक

टिप्पणी :— उम्मीदवारों को अपने आशुलिपिक नोट टंकण मशीन से लिप्यंतरित करने होंगे, और इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपनी मशीन लानी होगी।

भाग ग—ऐसे उम्मीदवारों के सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन जो आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार निर्णीत किये जायें, अधिकतम 100 अंक।

2. लिखित परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण तथा आशुलिपिक परीक्षाओं की योजना इस परिशिष्ट की संलग्न अनुसूची में दिये गये के अनुसार होगी।

3. लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अंग्रेजी अथवा हिन्दी की आशुलिपि परीक्षा देनी होगी जोकि अधिकतम 200 अंक की होगी।

टिप्पणी 1:— उम्मीदवारों को अपने आवेदन-पत्र के कालम 6 में आशुलिपि परीक्षा देने के लिए अपना माध्यम अवश्य लिखना चाहिए। एक बार चुना गया विकल्प अन्तिम समझा जाएगा तथा उक्त कालम में परिवर्तन का कोई अनुरोध सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा विकल्प देने का अपेक्षित कालम खाली छोड़ दिया जाता है तो आशुलिपि परीक्षण के लिए उसका माध्यम अंग्रेजी समझा जाएगा।

टिप्पणी 2 :—ऐसे उम्मीदवारों को अपनी नियुक्ति के बाद, जो आशुलिपि की परीक्षा हिन्दी में देने का विकल्प लेंगे, अंग्रेजी आशुलिपि और जो आशुलिपि की परीक्षा अंग्रेजी में देने का विकल्प लेंगे उन्हें हिन्दी आशुलिपि आवश्यक रूप में सीखनी पड़ेगी।

टिप्पणी 3 :—उम्मीदवार ने जिस भाषा का विकल्प दिया है उसके अलावा अन्य किसी भाषा में आशुलिपि की परीक्षा देने पर कोई मान्यता नहीं दी जाएगी।

4. जो उम्मीदवार 120 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे वे 100 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में वही स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के क्रम में ऊपर होंगे। प्रत्येक वर्ग में उम्मीदवारों को प्रत्येक उम्मीदवार को दिये गए कुल अंकों के अनुसार पारस्परिक प्रवरता अनुसार रखा जायेगा। (निम्नलिखित अनुसूची का भाग (ख) देखें)।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

6. आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा में किसी या सभी विषयों में अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित करेगा।

7. केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आशुलिपिक परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा जो आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किये गये न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेंगे।

अनुसूची

लिखित परीक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम विवरण

भाग-क

टिप्पणी —भाग "क" के प्रश्न पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय की "मैट्रिकुलेशन" परीक्षा का होता है।

प्रश्न पत्र-1 (क) सामान्य जानकारी—प्रश्न उम्मीदवार के आस-पास के पर्यावरण के प्रति उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज के प्रति उनके अनुप्रयोग के संबंध में उम्मीदवार की योग्यता की जांच करने के लिए पूछे जायेंगे। सामाजिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन पर्यवेक्षण के ऐसे मामलों और उनके वैज्ञानिक पहलुओं के संबंध में भी ज्ञान की जांच करने के लिए प्रश्न पूछे जायेंगे, जिनकी जानकारी की अपेक्षा एक शिक्षित व्यक्ति से की जाती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति भूगोल, आर्थिक दृश्य सामान्य राज्य व्यवस्था तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न भी पूछे जायेंगे।

(ख) अंग्रेजी भाषा का परिज्ञान तथा लेखन योग्यता—इस परीक्षा में अंग्रेजी, भाषा शब्दावली, वर्तनी, व्याकरण, वाक्य संरचना, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, वाक्य पूरे करना, वाक्यांश तथा शब्दों के मुहावरेदार प्रयोग इत्यादि के संबंध में उम्मीदवार के विवेक तथा ज्ञान को आंकने के लिए प्रश्न-पत्र तैयार किये जायेंगे। इसमें अनुच्छेद परिज्ञान पर भी प्रश्न होंगे।

भाग-ख

आशुलिपिक परीक्षाओं की योजना

अंग्रेजी में आशुलिपिक की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन परीक्षाएं होंगी, एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिए और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिए जो उम्मीदवार को क्रमशः 45 तथा 50 मिनटों में लिप्यन्तर करनी होगी।

हिन्दी में आशुलिपिक की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन परीक्षाएं होंगी, एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिए और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिए जो उम्मीदवारों को क्रमशः 60 तथा 65 मिनटों में लिप्यन्तर करनी होगी।

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 28th May 1992

No. 36-Pres/92.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned Officers of Central Reserve Police Force.

Name and rank of officers

Shri Arabindo Mandal (*Posthumous*)
Constable No. 810700725,
8th Battalion, CRPF,
Ajnala.

Shri Surender Singh, (*Posthumous*)
Constable No. 791180349,
8th Battalion, CRPF,
Ajnala.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 2nd March, 1989 an information was received that some dreaded terrorists were hiding in the house of one Piare Singh in village Abu Saida, Police Station Ram Dass. On the orders of Sect or Commandant, Ajnala, troops from B/8 and E/8 Bn. CRPF under Shri G. B. Tiwari, DSP together with SHO Ram Dass left for aiding the house of hiding while a special contingent under AC(Ops) was kept ready as striking reserve. After cordoning the suspected house and all escape routes sealed, SHO Ram Dass together with his troops raided the house. Surprised by the sudden assault of the security forces, the terrorists held up in the house opened heavy automatic fire at the police party, as a result of which one Constable/Driver was killed and SHO Ram Dass, one ASI, one SI received serious bullet injuries. The security personnel immediately returned the fire to enable evacuation of the dead and the injured. In the meantime the special contingent under AC (Ops) (including Constables Surinder Singh and Arabindo Mandal) reached the spot which was to be utilised for final assault to flush out the terrorists. The held up terrorists in a desperate attempt to escape, opened the door and resorted to heavy firing on the police party stationed in front of the house. Meanwhile Shri Surender Singh and Shri Arabindo Mandal swiftly and tactically moved to the other side of the mud wall across the lane amidst heavy fire, blocked their escape and thwarted their effort. Undaunted by the heavy fire, at great personal risk, moved further where they located one terrorist firing from an half-open window. Fully determined to liquidate the terrorists, both constables Shri Surender Singh and Shri Arabindo Mandal crossed over the mud wall, entered the house, crawled towards the well entrenched terrorist and succeeded in killing him. With renewed vigour and unflinching determination, both crawled further, spotted another terrorist firing intermittently from a top grain storage compartment of a room, unharmed despite lobbing of grenades by Police personnel. Constable Surender Singh and Constable Arabindo Mandal wasted no time and crawled towards the terrorist to liquidate him but unfortunately they were spotted by the terrorist who fired on them from his vantage position causing serious injuries to both of them. Despite being seriously injured they moved towards their target and inflicted serious injuries on the terrorist who later died. Constable Surender Singh and Constable Arabindo Mandal also succumbed to their injuries after accomplishing their task.

The killed terrorists were later identified as Sukhwinder Singh alias Pappu and Harjit Singh alias Tota and 2 AK-47 automatic rifles, 5 AK rifle magazines 1200 live rounds of AK-47 rifle, one 12 bore barrel shortended DBBL gun and a large number of fired cases were recovered from the spot.

In this encounter Shri Arabindo Mandal, and Shri Surender Singh, Constables desplayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carry with them special allowance admissible under rule 5, with effect from 2nd March, 1989.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 37-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force.

Name and rank of officer

Shri Abdul Majeed,
Lance Naik,
18 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

The terrorists kidnapped three girls from villages Budhanwal and Raul, District Jalandhar on 8th and on the night intervening 17/18th August, 1990. One of the girls was killed on the same night by the terrorists. This issue created a lot of resentment among the local population and created pressure on the administration for the restoration of the remaining two girls from the terrorists.

2. On receipt of information on 24-8-1990 that two terrorists alongwith two girls were hiding in the house of Teja Singh, village Gill, a special operation was launched by combined party of Punjab Police and CRPF, under overall supervision of S.S.P. Kapurthala. Shri Abdul Majeed Bhat was member of escort party of S.S.P., Kapurthala. On reaching the village the Police party noticed some suspicious movements in the house of Teja Singh and immediately cordoned the house to prevent escape of the terrorists. In retaliation, the terrorists hiding in the house opened fire on the police party. The police party also took position and returned the fire in self defence. The exchange of fire continued for 1½ hrs. When the fire from Police party proved ineffective, it was decided to lob grenades inside the house to flush out the terrorists.

Shri Abdul Majeed Bhat undertook this risky task and in the face of heavy fire he at great risk crawled to the roof top and dug holes in the roof and lobbed tear smoke shells in the house to force them to come out. One kidnapped girl managed to come out in injured condition and informed the Police party that the other captive girl had been killed by the terrorists. When the terrorists continued to fire despite lobbing of tear smoke shells, S.S.P., Kapurthala directed Shri Bhat, L/Naik to lob grenades through the roof top holes. He again crawled to the roof-top and at great risk to his life and in the face of heavy automatic fire from the terrorists lobbed the hand grenades. When there was no firing from the terrorists, a search was conducted by the Police party and dead bodies of the two terrorists and one girl were found. The terrorists killed were later identified as Sukhdev Singh s/o Ujagar Singh and Amarjit Singh of village Rauli. Both the terrorists were active members of KCF Gurumukh Singh Nagoke Group. 2 AK-47 Rifles, 4 Magazines, one 32 bore pistol, 211 rounds and Rs. 51,650- in cash were also recovered from the site of the encounter.

In this encounter Shri Abdul Majeed, Lance Naik displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 18th August, 1990.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 38-Pres/92.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned Officers of Central Reserve Police Force.

Name and rank of officers

Shri Jai Prakash,
Commandant,
7 Battalion, CRPF.

Shri Samiulla Khan, (*Posthumous*)
Sub-Inspector,
7 Battalion, CRPF.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 17th November, 1990 at about 0700 hours on a tip off Shri Samiulla Khan, Sub-Inspector, D. Coy 7 Bn., CRPF alongwith 15 personnel and SHO Ajnala with 6 personnel rushed to the farm house of Shri Swinder Singh village Gore Nangal Police Station Ramdas. While Shri Khan was laying cordon the terrorists started heavy firing on the police party but Shri Khan undeterred ordered his men to return the fire and continued to deploy his men all the time fully exposing himself to the fire of terrorists. At this juncture one of the terrorists ran outside to break the cordon with heavy cover fire by his colleagues while he himself fired from his AK-47 rifle. Shri Khan turned and fired on the fleeing terrorist but was hit by a burst from close range. Unmindful of his injuries he continued to fire at the terrorist and shot him dead before he could go far. The determination of Shri Khan motivated his men to fight till reinforcement arrived. The injured were evaculated to hospital but Shri Khan breathed his last on reaching the hospital.

On hearing about the encounter, reinforcement under Shri Jai Prakash, Commandant alongwith Shri Bhardwaj, Dy. S. P. and his force was rushed to the spot. Immediately Shri Jai Prakash took command and mounted a LMG on a tubewell on the southern side and deployed GF rifle and 2" mortar. The terrorists were firing from safe positions from roof-top ventilators, windows, doors and empty cattle-shed often shifting positions. IGP (Ops), CRPF, Punjab and Addl. DIGP, Amritsar had arrived there to witness the encounter. Shri Jai Prakash briefed them of the next move, then shifted Shri Bhardwaj, Dy. S.P. to eastern side as troops on that side faced heavy fire. Shri Bhardwaj mounted a LMG on that side. In the meantime Shri Jai Prakash carried out reccee on foot from southern and eastern sides but his vehicle was hit by a number of bullets. At this juncture Constable Driver Shri M. K. Verkey of the IGP escorted vehicle showing conspicuous bravery volunteered to bring the urgently required replenishment of rifle grenades knowing fully well the fact that the other vehicle was under heavy fire. Hardly had he moved his vehicle, a bullet from the terrorist hit Shri Verkey who was immediately evaculated but later succumbed to his injuries before reaching hospital. Shri Jai Prakash led his group from the north, while the group under SHO Ajnala went from south. On nearing the farm house the firing from police party was stopped but the terorists continued their fire, Shri Jai Prakash jumped from his vehicle and lobbed hand grenades inside the compound of the farm-house. This forced the terrorists to take shelter in one room and cattle shed and before they recover from the shock a LMG was mounted on the roof top of one of the rooms which prevented from movement of the terrorists from one room to another. The terrorists opened heavy fire on the LMG but in the meantime Shri Jai Prakash deployed two men stop another room. Shri Bhardwaj, Dy. S.P. who by then joined Shri Jai Prakash's group climbed atop the cattleshed and after making holes in roof top put some hand grenades at place where the terrorists were firing, after which the firing from terrorists stopped. Shri Bhardwaj unmindful of his personal safety led his small party to clear the rooms, but in the process he was fired upon from close range from AK-47 rifle. He fired from his pistol during which he was injured on his right hand and he with another injured personnel was evacuated to hospital. After putting some more grenades and LMG fire he led his small group and cleared the farm house at about 1930 hours. In this hard fought encounter six hardcore terrorists were killed, while 4 AK-47 rifles, one .303 rifle, one pistol together with large quantity of live and empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Jai Prakash, Commandant and Shri Samiulla Khan, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carry with them special allowance admissible under rule 5, with effect from the 17th November, 1990.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 39-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force.

Name and rank of the officers

Shri S. C. Bhardwaj,
Deputy Supdt. of Police,
7 Battalion, CRPF.

Shri M. K. Verkey, (*Posthumous*)
Constable (Driver),
7 Battalion, CRPF.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 17th November, 1990 at about 0700 hours on a tip off Shri Samiulla Khan, Sub-Inspector, D. Coy 7 Bn., CRPF alongwith 15 personnel and SHO Ajnala with 6 personnel rushed to the farm house of Shri Swinder Singh village Gore Nangal Police Station Ramdas. While Shri Khan was laying cordon the terrorists started heavy firing on the police party but Shri Khan undeterred ordered his men to return the fire and continued to deploy his men all the time fully exposing himself to the fire of terrorists. At this juncture one of the terrorists ran outside to break the cordon with heavy cover fire by his colleagues while he himself fired from his AK-47 rifle. Shri Khan turned and fired on the fleeing terrorist but was hit by a burst from close range. Unmindful of his injuries he continued to fire at the terrorist and shot him dead before he could go far. The determination of Shri Khan motivated his men to fight till reinforcement arrived. The injured were evaculated to hospital but Shri Khan breathed his last on reaching the hospital.

On hearing about the encounter, reinforcement under Shri Jai Prakash, Commandant alongwith Shri Bhardwaj, Dy. S. P. and his force was rushed to the spot. Immediately Shri Jai Prakash took command and mounted a LMG on a tubewell on the southern side and deployed GF rifle and 2" mortar. The terrorists were firing from safe positions from roof-top ventilators, windows, doors and empty cattle-shed often shifting positions. IGP (Ops), CRPF, Punjab and Addl. DIGP, Amritsar had arrived there to witness the encounter. Shri Jai Prakash briefed them of the next move, then shifted Shri Bhardwaj, Dy. S.P. to eastern side as troops on that side faced heavy fire. Shri Bhardwaj mounted a LMG on that side. In the meantime Shri Jai Prakash carried out reccee on foot from southern and eastern sides but his vehicle was hit by a number of bullets. At this juncture Constable Driver Shri M. K. Verkey of the IGP escorted vehicle showing conspicuous bravery volunteered to bring the urgently required replenishment of rifle grenades knowing fully well the fact that the other vehicle was under heavy fire. Hardly had he moved his vehicle, a bullet from the terrorist hit Shri Verkey who was immediately evaculated but later succumbed to his injuries before reaching hospital. Shri Jai Prakash led his group from the north, while the group under SHO Ajnala went from south. On nearing the farm house the firing from police party was stopped but the terrorists continued their fire, Shri Jai Prakash jumped from his vehicle and lobbed hand grenades inside the compound of the farm-house. This forced the terrorists to take shelter in one room and cattle-shed and before they recover from the shock a LMG was mounted on the roof top of one of the rooms which prevented from movement of the terrorists from one room to another. The terrorists opened heavy fire on the LMG but in the meantime Shri Jai Prakash deployed two men stop another room. Shri Bhardwaj, Dy. S. P. who by then joined Shri Jai Prakash's group climbed atop the cattleshed and after making holes in roof top put some hand grenades at place where the terrorists were firing, after which the firing from terrorists stopped. Shri Bhardwaj unmindful of his personal safety led his small party to clear the rooms, but in the process he was fired upon from close range

from AK-47 rifle. He fired from his pistol during which he was injured on his right hand and he with another injured personnel was evacuated to hospital. After putting some more grenades and LMG fire he led his small group and cleared the farm house at about 1930 hours. In this hard fought encounter six hardcore terrorists were killed, while 4 AK-47 rifles, one .303 rifle, one pistol together with large quantity of live and empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri S. C. Bhardwaj, Dy. Supdt. of Police, and Shri M. K. Verkey, Constable (Driver), displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 17th November, 1990.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 40-Pres/92—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force.

Names and rank of the officers

Shri S. N. Nimbalkar,
Assistant Commandant,
76 Battalion, CRPF

Shri R. S. Meena,
Constable,
76 Battalion, CRPF

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 5th December, 1990 at about 0735 hours while a special search/ combing operation was being carried out in village Sursingh, four suspected persons with arms were noticed at a distance of about 600 yards running towards Gurudwara Baba Sidho about 2 kms short of village Mallian under Police Station Jhabal. When the search party challenged and asked them to stop for search, they immediately opened fire on the search party from automatic weapons, but the search party fired back in self defence. However, the terrorists managed to escape and hide in village Mallian. The village was immediatly cordoned and reinforcement were called for. On receipt of information Shri S. N. Meena, Constable reached the spot at about 0830 hours. In the meantime another coy. of force arrived while Shri Nimbalkar took stock of the situation. keeping in view the topography and land features he tightened the cordon and organised search operation. He posted three groups of the force of roof tops of three dominant houses to cover all possible routes of escape. During the search operation movement of terrorists were noticed in one of the houses who were immediately challanged to come out of the house, but they did not do so. The police party seeing no response from inside lobbed two granades through a hole dug on the roof. As a result of this one terrorist ran out of the house and fired bursts from his automatic weapon which hit and of the sub-Inspectors who died on the spot. This terrorist was shot dead by the other members of the party stationed on the roof top. The lobbing of grenades did not cause any harm to the terrorists still hidding in the house who kept on firing at police party through the door/windows Shri Nimbalkar in order to liquidate the determined and well entrenched terrorists decided to make one final attempt with utmost courage and without caring for his personal safety he went a top of a house situated at about 15 feet in front of the house where the terrorist were hiding and opened bursts of fire from his LMG inside the house. He fired about 27 rounds to hit the terrorists and destroy the blind grenades. At the same time Shri R. S. Meena, Constable on the instructions of Shri Mimbalkar dug another big hole on the roof and threw maltov Cocktail rags inside the room. The firing from inside almost stopped but for a few intermittant firing which was also silenced when Shri Nimbalkar again threw some hand grenades from the roof top. The firing completely stopped at about 1630 hours and after search of the house four terrorists were found dead who were identified as Jassa Singh @ Jagir Singh, Balwinder Singh and Avtar Singh while the fourh was unidentified as the body was completely charred.

In this encounter Shri S. N. Nimbalkar, Assistant Commandant and Shri R. S. Meena, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1)of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 5th December, 1990.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 41-Pres/92—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force.

Name and rank of the officer

Shri Bindeshwari Singh,
Head Constale,
41 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 25th May, 1991 one section of platoon No. 6 'B' Coy 41 Bn. under command of Shri Bindeshwari Singh, Head Constable was detailed for NAKA duty at Chatiwind (Amritsar) between 1800 to 2300 hrs. As about 2030 hrs two bicycle-borne suspected men were seen coming tewards the Naka party. The Naka party immediately challenged the suspected men, who on being challenged got of the bicycle and one of them came close to Naka point leaving behind the other. When one of the Constables on duty advanced towards the suspected man to physically check him, the terrorist immediately took out a pistol and opened fire. The Constable in quick reflex took lying position and escaped the bullet in fraction of a second. Shri Bindeshwari Singh who was on the opposite blank of the Naka post immediately turned back on hearing the sound of pistol fire, quickly evaluating the situation and with great determination and presence of mind, crawled and jumped on the terrorist and grappled him as a result of which the fire of terrorist was ineffective. The young terrorist managed to twist the wrist of Shri Bindeshwari Singh which resulted in one bullet piercing the left arm of Shri Bindeshwari Singh. Inspite of severe bullet injury he unmindful of risk to his personal life, held his grip over the terrorist while the agile Constable shot the terrorist dead.

In this encouter Shri Bindeshwari Singh, Head Constable displayed conspicuous gallntry courage and devotion to duty of a high order.

This award made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 25th May, 1991.

A. K. UPADHYAY,
Director

No. 42-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force.

Name and rank of the officer

Shri Ann Singh *(Posthumous)*
Sub-Inspector,
66 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 7th September, 1990 Shri Ann Singh, Sub-Inspector a member of the re-inforcement under a Deputy Superintendent Police sent in the vicinity of Nandpur village

reached there at about 1000 hours where the security forces were already engaging the terrorists hiding in the sugarcane fields. The security forces had cordoned the sugarcane fields but the heavy firing of the terrorists with sophisticated weapons prevented the police party from approaching the fields. At this juncture, it was decided to raid the sugarcane fields and liquidate the terrorists. Shri Ann Singh, Sub-Inspector well aware of the imminent danger and the risk involver, volunteered to head the raiding party. Shri Singh alongwith his party tactically advanced forward firing from his LMG towards the terrorists who finding themselves under complete saize decided to change their position. They kept on firing at the raiding party with the intention to escape causing heavy casualties, Shri Anu Singh in order to prove the attempt of the terrorists futile rose to the occasion. With utter disregard to his personal safety and with the only intention of liquidating the terrorists, he desplayed examplary courage and pounced upon the terrorists. He fired at them from his LMG and shot dead one of them. At the same time he was confronted by two other terrorists who were firing at him from close range. As a result of this he sustained serious bullet injuries and fell down but still provided effective leadership and ordered his party to engage the terrorists. Under his able leadership and directions the other terrorists were also shot dead, but in the process Shri Ann Singh, lost his life. In all three terrorists were killed and a large quantity of arms and ammunition were recovered from them.

In this encounter Shri Ann Singh, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 7th September, 1990.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 43-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force.

Names and rank of the officers

Shri D. A. Dhananjaiah,
Commandant,
66 Battalion,
C.R.P.F.

Shri V. V. Singh,
Assistant Commandant,
66 Battalion,
C.R.P.F.

Shri Yeshvir Singh,
Lance Naik No. 800661701,
66 Battalion,
C.R.P.F.

Shri Devendra Pal,
Constable No. 880942868,
66 Battalion,
C.R.P.F.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 29th May, 1991 on receipt of information that self-styled Lt. Genl. Baldev Singh Deba @ Langda of LKF Nissan Mukhu group alongwith another dreaded terrorist Balbir Singh @ Bula was moving around in the area of village Uboka, Kairon and Bamniwala with an intention to kill electioneering candidate contesting from Patti constituency for the assembly seat, Shri V. V. Singh AC (Ops) as per plan immediately swung into action and aggressive searches were carried out on hid-outs of terrorists. The force under Shri Singh including Civil Police split into three parties to search Farm houses of the above villages. When one of the search parties reached near village Bamniwala, they were fired upon from one of the houses. Immediately the police party took up tactical position near the house when one of the SIs of Civil Police with great courage entered the narrow lanes to locate the origin of fire but he was fired upon as a result of which he sustained bullet injury on his neck and fell down. Shri Yeshvir Singh, L/NK and Devender Pal, Constable retaliated the fire of terrorists and kept hem pinned down. Meanwhile Shri V. V. Singh who was in nearby village rushed to the spot on hearing the incident and found the SI was still lying there and needed avacuation. But moving in its vicinity was very risky as the terrorists were firing heavily. Shri Singh unmindful of the risk and consequences alongwith an escort rushed to the spot and avacuated the seriously injured SI to hospital. In the meantime Shri D. A. Dhananjaiah, Commandant reached the spot and after a thorough study of the situation briefed Shri Singh of the plan of action. As per plan Shri Dhananjaiah and Shri Singh decided to reach on top of the house where the terrorists were hiding. While these two officers were moving from one roof to the other, they were spotted by the terrorists through ventilators and fired upon. But unmindful of the heavy firing the fully determined officer at grave risk and valiant effort scaled the wall and reached on the roof of the house. The roof was thin with layer of mud and sticks where bullets could pierce through. Shri Singh under the guidance of Shri Dhananjaiah started digging holes in the roof with an iron rod which attracted volley of bullets from the terrorists but was wisely avolded by the officers. The two officers after digging holes on the roof and stormed with hand grenades followed by heavy LMG fire while Shri Dhananjaiah fired from his service revolver. After the storming Shri Dhananjaiah, Commandant alongwith Shri V. V. Singh, AC, under cover fire of Shri Yeshvir Singh, Lance Naik and Shri Devendra Pal, Constable without caring for their personal lives entered the courtyard for the final assault during which two terrorists were killed in face to face action. The killed terrorists were identified as Lt. Genl. Baldev Singh, @ Deba @ Langda and Balbir Singh @ Bula and arms and ammunition were recovered from them.

In this encounter Shri D. A. Dhananjaiah, Commandant, Shri V. V. Singh, Assistant Commandant, Shri Yeshvir Singh, Lance Naik and Shri Devendra Pal, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 29th May, 1991.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 44-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force.

Names and rank of the officers

Shri Subash Upadhyay (*Posthumous*)
Sub-Inspector No. 650172086,
46 Battalion,
C.R.P.F.

Shri Prahlad Singh,
Constable No. 891180065,
46 Battalion,
C.R.P.F.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 8th March, 1991 Shri Subash Upadhyay, Sub-Inspector alongwith his party including Shri Prahlad Singh, Constable were deputed for anti-terrorists duties at SRTC/ Civil Bus Stand Baramulla where kidnapping and killing occurred in past. The party left at 0745 hours on foot and it was divided into two groups. Shri Upadhyay deployed 9 men on either side of the road and himself lead his section in the front. When the party reached Khawajabagh locality, it was ambushed by militants hiding in adjoining buildings and fencings. The militants started sporadic firing from all directions on the policy party. Shri Upadhyay immediately directed his personnel to return the fire. The exchange of fire lasted for about 20 minutes in the course of which Shri Upadhyay was hit by a bullet and fell down. Even in an injured condition he did not loose his control over the situation, kept on firing at the militants from his weapon and at the same time maintained contact with control room over his wireless set till he became unconscious. This determined and brave action of Shri Upadhyay kept the militants under

control as a result of this some of the militants fled the scene. In the meantime Shri Upadhyay succumbed to his injuries. Seeing Shri Upadhyay being injured and becoming unconscious, one of the militants taking advantage of the situation jumped from the wall of an adjacent building and approached Shri Upadhyay to snatch his weapon and wireless set. Shri Prahlad Singh noticed the approaching militant and immediately opened fire at him and killed him on the spot. The presence of mind and quick action of Shri Prahlad Singh prevented the loss of one carbine with 30 rounds and a wireless set. The dead militant was later recognised to be an Area Commander and one pouch with 3 magazines and 57 live rounds of AK-47 rifle were found in his possession.

In this encounter Shri Subash Upadhyay, Sub-Inspector and Shri Prahlad Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 8th March, 1991.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 45-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force.

Name and rank of the officer

Shri S. Elango,
Deputy Superintendent of Police,
73 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 14th January, 1991 at about 5 P.M. while Shri S. Elango, Dy. Supdt. of Police alongwith his party was on patrolling duty in village Butala area, was attacked by a group of about ten terrorists. The patrol party immediately took positions and returned the fire. After a brief encounter, the terrorists started running in different directions. While 6-7 terrorists managed to escape through village Butala, another three entered a nearby garden and kept on firing at the patrol party. Shri Elango immediately divided his party into two groups, while one group chased the terrorists, the other group proceeded on the road near the village to prevent their escape. Three terrorists being chased by the patrol party entered a farm house, crossed over its boundry wall and tried to escape but were prevented by the other party. As a result of this the terrorists had to take refuge in the farm house. Shri Elango immediately surrounded the farm house with the available force and in the meantime sent information for reinforcements. The terrorists inside the farm house were firing heavily on the patrol party, but undeterred by the heavy firing Shri Elango re-organised the patrol party, tightened the cordon, around the farm house, directed his men to shift and take up suitable positions. The terrorists continued to fire from the farm house but Shri Elango kept them pinned down till reinforcement arrived. At this juncture Shri Elango realised that darkness was fast approaching and fire from flat trajectory weapons had little effects, he felt need for a final assault. Under the guidance of the Commandant who came alongwith the reinforcement, inspite of the risk involved he crawled into the farm house together with five other personnel. Shri Elango crawled further to the wall of the room in which the three terrorists had entrenched themselves and were firing continuously with automatic weapons, although he came under heavy fire. He ignored it and kept moving towards his goal without caring for his personal safety, opened burst fire into the room from where the terrorists were firing and kept their fire under control and threw hand grenades into the room. This encounter continued for about 15 minutes after which the three dreaded terrorists namely Bakshish Singh Dogar of Butala Village and his two associates Partap Singh and Makhan Singh Kobra were killed. Two AK-47 rifles, 6 magazines, 83 live and 160 empty cartridges were recovered from them.

In this encounter Shri S. Elango, Dy. Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 14th January, 1991.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 46-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force.

Name and rank of officers

Shri Bhairo Singh,
Head Constable No. 650032017,
75 Battalion, C.R.P.F.

Shri R. B. Bhamre,
Constable No. 881271086,
75 Battalion, C.R.P.F.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On receipt of information on the 7th May, 1991 that 2 civilians namely Shri Madan Lal and Shri Kishan Lal were kidnapped and one Head Constable was dragged out from a bus and killed on 6-5-91, a cordon/search operation was launched. The combined search party of civil police and CRPF including Shri Bhairo Singh, Head Constable and Shri R. B. Bhamre were briefed in detail and search of various farm houses was started at 0615 hours. It was learnt that the kidnappers were hiding in village Rataul, so the search parties were immediately summoned to Rataul and after briefing, the search started at 1030 hours. During search one bajaj chetak scooter and one TVS Suzuki used in the kidnapping were recovered from the area. The hiding of terrorists being confirmed, a thorough search was again carried out at 1300 hours. When the search party was carrying out search of a house of Balbir Singh, Carpenter, they observed that its rear door was locked which when broken open a small chicked shed with a big hole was found. It was realised that the terrorists had escaped, and the search parties were alerted to spread deep into the village. At the same time a shutter of an underground built up bunker was found. Assuming the terrorists to be taking shelter in the bunker, grenades were lobbed in it and after search arms/ammn. were recovered from the bunker. Shri Bhamre, Constable, in the meantime noticed a terrorist peeping out of an adjacent house. The house was immediately cordoned where two terrorists were found to be hiding. The police party opened fire on the hiding terrorists but to no avail as they returned the fire from automatic weapons. Shri Bhamre under grave risk to his own life scaled the nearby wall and reached the roof top and dug a hole on the roof and lobbed hand grenades inside the house. Before the grenades could explode, the terrorists moved into another room and jumped into the compound of an adjacent house. Shri Bhamre fully exposed to terrorists from his SLR and shot dead one of them. The dead terrorist was identified as Devender Singh alias Harjinder Singh S. S. Lt. Gen. of BTKF and one AK-47 rifle with ammunition was recovered from his possession

In the meantime another terrorist taking cover of compound wall scaled over, fled and took shelter in an underground bunker and fired burst fire on the police party in which one Dy. S. P. was injured and another Constable died on the spot. The police party cordoned and moved closer to the house of hiding and sealed the house. Shri Bhairo Singh under great risk to his own life entered the house and presuming the terrorists to be hiding in the underground bunker lobbed hand grenades into the bunker, but the terrorist was seen hiding at a dark corner of adjacent room Shri Bhairo Singh courageously moved forward risking his life and hit the terrorist with his weapon and killed him on the spot. The killed terrorist was later identified as Mehar Singh @ Major Singh and an AK-47 rifle alongwith ammunition was recovered from his possession. The terrorists made several attempts to escape in the night at about 0345 hours on 8-5-91 but the cordon of

the houses where the other terrorists were hiding were tightened which prevented any escape of terrorists during the night and by putting effective fire. The joint operation continued till 9-5-91 in which five more terrorists were killed and large quantity of arms and ammunition were recovered from them.

In this encounter Shri Bhairo Singh, Head Constable and Shri R. B. Bhamre. Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 7th May, 1991.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 47-Pres/92.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned Officers of Central Reserve Police Force.

Name and rank of officers

Shri R. S. Kuhar, *(Posthumous)*
Second-in-Command,
2nd Battalion,
C.R.P.F.

Shri Mohan Ram Baryaik,
Head Constable
2nd Battalion,
C.R.P.F.

Shri Rajender Singh,
Constable,
2nd Battalion,
C.R.P.F.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

A specal operation was launched on the 7th October, 1990 to flush out and eliminate the militants from Idgah area who have recently sneaked into the valley from across the border. Shri R. S. Kuhar, 2 I/C was assigned the task of eliminating them before they could succeed in their evil deed. After discussion with other Commandant and Officers. he alongwith Commandant 2nd Bn., and his party (including HC Mohan Ram Baryaik and Constable Rajender Singh) left in separate vehicles to the Idgah area. When the leading vehicle in which Shri Kuhar and HC Mohan Ram Baryaik were travelling, reached Kowdara, three to four grenades were thrown at their vehicle followed by fire from AK-47 rifles. Shri Kuhar though injured by grenade splinters on his forehead but still without losing his nerves fired back with his pistol on the militants. In the meantime he noticed his driver in injured condition, with uter disregard to his own personal safety, he shifted position and fired towards the right flank from where the fire came on the driver. Hearing the sound of grenade burst Head Constable Mohan Ram Baryaik jumped out of his vehicle, ordered Constable Rajender Singh to open fire with his LMG on the rear right flank and he himself in the meantime reinforced Shri Kuhar by firing from his sten carbine. The effective fire of Constable Rajender Singh kept the militants pinned down.

Even though the ambush was well laid by the militants, the tactical and effective fire power of Shri Kuhar, Shri Mohan Ram Baryaik and Shri Rajender Singh wrested the initiative from the militatnts. Although Shri Kuhar was initially injured but he maintained his cool. Unfortunately a volley of bullets from the right flank hit him on the head and he collapsed . When the Commandant and party to retrieve Shri Kuhar, Mohan Ram Baryaik and Rajender Singh performed a dare devil feat of keeping the militants at bav while Shri Kuhar was shifted to safer position. HC Mohan Ram Baryaik and Constable Rajender Singh held the militants at bay till reinforcements arrived and repulsed the ambush of the militants and thus saved the valuable lives of his colleagues.

In this encounter Shri R. S. Kuhar. Second-in-Command, Shri Mohan Ram Baryaik, Head Constable and Rajender Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantary under rule 4(1) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carry with them special allowance admissible under rule 5, with effect from 7th October, 1990.

A. K. UPADHYAY

awarded.

No. 48-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force.

Name and rank of the officer

Shri Sushil Kumar Tyagi,
Constable No. 85711052,
69 Battalion, Border Security Force

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the interventing night of 27th/28th February, 1990, a special naka consisting of personnel of 69 Battalion, BSF (including Inspector R. K. Sharma and Constable S. K. Tyagi) was laid near Border Out Post Noorwala. At about 0100 hours Inspector R. K. Sharma spotted a group of 3-4 persons coming from India side and going towards Pakistan and the adjoining naka parties by way of pulling string and allowed the extremists to come closer. As they reached near the naka, the naka party challenged them to surrender but they opened fire on naka party. The naka party returned the fire. S/Shri Sharma and Tyagi undaunted and unperturbed by the situation brought effectively and well co-ordinated fire on the extermists. Constable Tyagi literally chased the extremists with LMG and brought effective fire on them. The exchange of fire lasted for about three and half hours. Thereafter the firing from the side of extermists stopped. During day light search of the area four dead bodies were recovered, two of them later identified as Devender Singh and Sukhwant Singh alias Sukha. One extermist was nabbed alive from near Kasur Nallah. where he was hiding, he disclosed his name as Bikramjit Singh. On interrogation he later revealed that one of the dead extremist is Sukhdev Singh alias Sukha but not Sukhwant Singh alias Sukha. Large quantity of arms and ammunition was also recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Sushil Kumar Tyagi, Constable dislaved conspicious gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(1) of the Rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28th February 1990.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 49.Pres/92.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force.

Name and Rank of the officer

Shri Chattar Singh Katoch,
Assistant Commandant,
69 Battalion, Border Security Force

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

An information was received that the extermists would infiltrate into India from area of Border Out Post Kalas. Shri Chatter Singh Katoch, Assistant Commandant of 69 Battalion, BSF, deployed BSF personnel (including Lance Naik Ram Sunder, Constable Tribhuwan Singh, Randhir Singh and Gurbax Singh) to plug all possible escape routes.

On the intervening night of 30th/31st January, 1990 at about 5 AM, they noticed 4-5 extermists infiltrated between Naka No. 10 and Border Out Post. Lance Naik Ram Sunder, who was on duty at Naka No. 10 spotted the extremists coming from Pakistan side and crossed diagonally in between the two Naka positions. After altering his colleagues he opened fire on the extremists. Simultaneously he informed Shri Katoch who immediately marshalled available strength, deloyed them to encircle the extermists in order to cut off their entry and exit routes. The fire from the Naka No. 10 was not effective as the extremists had taken position in a ditch near a tube-well. When Shri Katoch was coming back after deploying the force to engage the extermists, he was fired upon by the extremists. As a result, he received bullet injury on his leg elbow. Inspite of bullet injury, he kept on firing on the extremists and threw hand granades on their position and also provided leadership to other personnel.

In the meantime Constable Randhir Singh and Constable Gurbax Singh alongwith other personnel took positions and fired on the extremists. The heavy exchange of fire continued for two and half hours. As a result of this two extremists were killed in the exchanges of fire. However, the other extremists somehow managed to escape back to Pak side taking cover of two earth bumps and broken ground.

In this encounter Shri Chattar Singh Katoch, Assistant Commandant display conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(1) of the Rules governing the award of the President's Police Meadal and consequently carries with it special allowance admissible under Rule 5, with effect from 31st January 1990.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 50-Pres/92.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of Border Security Force.

Name and rank of the officer

Shri Bisra Dhodre (*Posthumous*)
Constable No. 67755092,
56 Battalion, Border Security Force

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 4th May, 1990 information was received that a group of militants were hiding in the area of Safawali Gali (Kupwara) after crossing from Pakistan to India.

Inspector Jaspal Singh was assigned a special operation task in village Kain Baink area. At about 1330 hours when the party reached the Hill Top in the area Safawali Gali, Inspector Jaspal Singh was given most challenging role to first provide covering fire to the BSF party which was pinned down under heavy fire of militants and then to raid their hide-out. Inspector Jaspal Singh assessed the situation, briefed his men and then crawled towards the hide-out without caring for his personal safety inspite of heavy firing by militants. Inspector Jaspal Singh raided the hide-outs forced the militants to abandon their positions and they started running in different direction. The militants started running while firing on the BSF party but Inspector Jaspal Singh and party surrounded the militants from all directions and in the exchange of fire 4 militants were killed on the spot.

In the meantime Constable Birsa Dhodre, who was positioned in one of the 'Stop Groups' alongwith personnel near village Kain Baink. At about 16.45 hours Constable Dhodre noticed three armed militants running from his right direction towards Kain Baink Nar. Constable Dhodre without wasting time swiftly fired on the militants. The militants escaped unhurt. Constable Dhodre chased the fleeing militants alongwith other personnel, the militants fired on Shri Dhodre, who was ahead to force him to abandon his chase. The militants after seening the determined and undaunted Constable following them, they jumped into a dich and took position behind a stone wall Constable Dhodre took position on the high ground and fired on the militants. A burst fired by the militants hit Constable Dhodre on his right pelvis, but inspite of bullet injuries he kept on chasing the militants and also gave covering fire to his party personnel to encircle the fleeing militants. He kept on firing till he breathed his last.

In the meantime Inspector Jaspal Singh and other BSF parties encircled the militants and they gave no chance to the militants to open fire. The three militants surrendered themselves alongwith arms and ammunition and later identified as Mukhtiar Ahmed, Gh. Hassan and Altab Hussain.

In the encounter Shri Birsa Dhodre, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(1) of the Rules governing the award of the President Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4th May, 1990.

A. K. UPADHYAY,
Director.

No. 51-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force.

Name and rank of the officer

Shri Mohan Singh, (*Posthumous*)
Constable No. 675446187,
75 Battalion, Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 10th September, 1990 at about 2345 hours, 75 Battalion of BSF under the command of Addl. DIG was deployed for special operation in the area of village Thune on Srinagar-Sonamarg Road. At about 0430 hours on 11th September 1990, while carrying out operation, the BSF party observed the head lights of a bus coming from the Sonamarg side. Since no one could be expected to undertake but journey at such an odd hours, the BSF party suspected it to be a clandestine move and decided to interrupt the bus. The BSF party was divided into three groups, two groups were deployed on either side of the road and 3rd group was deployed about 30 yards away from the other two groups on the road itself.

As the bus approached the BSF party it was signalled to stop by the group of Subedar Jagir Singh alongwith Constables Sukumar Ghosh, Mohan Singh and Moharban Singh. Although the driver slowed down the bus but did not stop it and at he same time, the occupants of the bus opened heavy fire with automatic weapons on the group of Subedar Jagir Singh. On this, Subedar Jagir Singh and Constable Mohan Singh, without caring for their personal safety, rushed towards the driver cabin so that he may not take away the bus. Constable Mohan Singh tried to pull out the driver from his seat. On seeing this the militants concentrated their fire on Constable Mohan Singh inficting him fatal bullet injuries. Seeing that Constable Mohan Singh was seriously injured Shri Jagir Singh fired at the driver with his pistol and shot him dead.

On seeing Constable Mohan Singh seriously injured, Constable Sukumar Ghosh also reacted swiftly and rushed forward to evacuate his injured colleague. Seeing this the militants fired towards Constable Sukumar Ghosh causing him serious bulet injuries. Inspite of injuries, he rolled down towards a culvert on the road, took position and started firing on the militants.

In the meantime, Subedar Harbhajan Singh saw four militants to escape from left side door of the bus. He alongwith Constables Yashpal Singh and Mahesh Chander Sharma chased the militants. When the militants saw BSF personnel chasing them, they opened fire with automatic weapons causing fatal injuries to both the Constables. Undounted by the militants fire Subedar Harbhajan Singh alongwith two injured Constables kept on chasing the militants and returned the fire. In the process all the four militants died on the spot.

In the meantime the remaining two groups engaged the militants, who were firing with automatic weapons from inside the bus on BSF personnel. While the firing between the militants and the BSF personnel was going on, large quantities of arms/ammunition and explosives which was being carried by the militants in the bus got exploded and guted the bus completely. After the fire died down the bus was searched and found that all the militants, who were travelling in the bus were died. Constable Mohan Singh later succumbed to his injuries.

In this encounter Shri Mohan Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 10th September, 1990.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 52-Pres/92.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force.

Name and Rank of the Officer

Shri Brijesh Kumar Singh,
Constable No. 881232321,
123 Battalion, Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Constable Brijesh Singh of 123 Battalion, Border Security Force was deployed in the Jalaya Sub-sector of the Unit where the Bangladesh Rifles had created tension on the border. The situation on this area of border which was undemarcated and escalated by the billigerent attitude of the Bangladesh civilians and personnel of Bangladesh Rifles, who had been objecting to the cultivation by the Indian Nationals over a piece of land on the border.

On 18th July, 1990, Constable Brijesh Kumar Singh was on operational duty in this area. The personnel of Bangladesh Rifles had been encouraging some miscreants to destroy the cultivated crops in this area and Constable Brijesh Kumar Singh kept a strict vigil to prevent any mischief by such civilians and men of Bangladesh Rifles. At about 1230 hours on 18th July 1990 the personnel of Bangladesh Rifles suddenly opened fire on the Indian civilians as well as on the BSF personnel deployed in the area without any provocation. Constable B. K. Singh immediately informed his Commanders about the incident. The personnel of Bangladesh Rifles opened fire with heavy machine guns at the BSF defences at the sentry post where Constable B. K. Singh was on duty. Undaunted by the heavy firing Shri B. K. Singh returned the fire with his 7.62 mm rifle and kept his Commanders informed of the movement of the enemy and the places from where the fire was coming. In the process he was hit by the enemy fire and was seriously injured at three places on his body near his chest and abdomen. Inspite of bullet injuries, he continued to fire at the enemy. The action of Constable B. K. Singh greatly helped his post Commander to effectively neutralise the enemy fire in the area and also saved the Indian nationals from the enemy's fire.

In this encounter Shri Brijesh Kumar Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from 18th July, 1990.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 53-Pres/92.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force.

Name and Rank of the Officer

Shri Ved Prakash,
Head Constable,
48 Battalion, Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 10th March, 1991 at about 1230 hours Head Constable Ved Prakash of 48 Battalion, BSF was sent for special operation to be carried out in areas of Nathmokal-Dhapalkhajala villages which were extremists prone areas under P.S. Quadian, District Batala. His section was assigned the task to carryout of houses/Dera of Dhapal village and to proceed towards Khajala where the remaining sections of his platoon were carrying out search in North-West of village Dhapala.

While Shri Ved Prakash carrying out search, he noticed one person running towards Dera of Jagir Singh located between sugarcane fields and wheat-crop at the extreme firing of Nathmokal. Without loosing any time, Shri Ved Prakash ordered his section to rush towards the Dera. As they reached at the rear side of the Dera, heavy firing from automatic weapons came on h's section from the said Dera. Shri Ved Prakash order his section to take position and encircle the Dera. As they advanced, Shri Ved Prakash noticed that firing was coming from the bunker in the said Dera. He quickly assessed the situation, ordered his section to engage the target from the left side, while he himself in a daring action took Grenades in his hand and crawled further in spite of heavy firing from the bunker. Undaunted by this, he continued his advance and reached near the bunker without caring for his personal safety. As he reached near the bunker, terrorists threw grenades on him, but he managed to save himself. He advanced further to reach near the hole of the bunker from where extremists were firing. In a dare devil action, Shri Ved Prakash came out of his position and lobbed two grenades inside the bunker and firing from inside the bunker stopped.

In the meantime after hearing the firing the other sections of his platoon and the police personnel also reached the place of encounter and encircled the area. Shri Ved Prakash again lobbed four hand-grenades inside the Dera. During search one dead body of a male terrorist and one lady terrorist were recovered. The dead terrorist was later identified as Jaswinder Singh Khajala alias Sepoy, self styled Lt. Genl. of KCF, carrying a reward of 5 lakhs on his head and involved in more than 50 killings. The dead lady was wife of the dead terrorist. Large quantity of arms and ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Ved Prakash, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made of gallantry under ule 4(1) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5 with effect from 10th March 1991.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 54-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force.

Names and Rank of the Officers

1. Shri Chandra Shekhar Desai,
Commandant,
3 Battalion, Border Security Force.

2. Shri Surender Prasad,
Naik No. 71032115,
3 Battalion, Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 11th October, 1990, Shri Chandra Shekhar Desai, Commandant, 3rd Battalion, BSF, received information that an encounter is in progress with the extremists in village Mohalam, P.S. Sadar Ferozepur, he alongwith available force immediately rushed to the place of encounter.

On reaching there they noticed that the terrorists were hiding in a pacca house and were firing intermittently on sound of movement. The exchange of fire continued for some time. When the terrorists could not be liquidated with the firing of 2" Mortor and Rifle Grenades, Shri Desai and his party to climb over the roof of the house. Naik Surender Prasad of BSF helped this party to climb up and gave covering fire to this party to climb on the roof.

As only two out of the four rooms had ventilators, holes were dug-in with the help of sickle on the roofs of the rooms which have no ventilators. While the holes were being dug, the terrorists continued to fire through the ceiling from inside the rooms. As this was expected, due precautions were already taken by the BSF personnel. After the holes were dug, Shri Desai broke the glass ventilators and lobbed in grenades. Subsequently grenades were lobbed in simultaneously in all the rooms so that the terrorists could not manage to escape from the room to another. After this Shri Desai asked SSP Ferozepur to send bullet-proof Gypsy in to open the door of the main room. As the Gypsy entered the premises it was fired upon by the terrorists. Then Shri Desai requested SSP Ferozepur to send up petrol with the intention to set the house on fire to drive out the hiding terrorists. Then molotove cocktails/burning tyres were lobbed in. On this one of the terrorists came out of the room and took shelter in adjacent kitchen. His movement could not be noticed by Shri Desai because of darkness. As Shri Desai bent over the wall to throw some more molotove cocktails through the ventilators, the terrorists fired on Shri Desai with automatic weapons but it was luckily escaped unhurt. Then the terrorist entered the room and fired through the ceiling and the BSF personnel had to jump down to escape this fire.

In the meantime Naik Surender Prasad took position at such a place near the perimeter wall from where he could keep watch on the door. He suddenly saw one terrorist coming out of the room and rushing towards bath room. Then Naik Surender Prasad went near the bath room, jumped and lobbed a grenade in the bath room and killed the terrorist. In the exchange of fire other terrorist who was hiding in the kitchen was also killed. In all four extremists were killed in the above encounter.

In this encounter Shri Chandra Shekhar Desai, Commandant and Shri Surender Prasad, Naik displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 11th October, 1990.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 55-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force.

Name and Rank of the Officers

1. Shri Bhagwan Singh,
   Assistant Commandant,
   103 Battalion, Border Security Force.

2. Shri Yashpal Singh,
   Constable No. 880012526,
   103 Battalion, Border Security Force.

The statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 6th February, 1991 at about 1000 hours an encounter took place between security forces and the extremists near village Nanak Nangal, P.S. Sadar Batala. Shri Bhagwan Singh, Assistant Commandant of 103 Battalion, BSF alongwith others was on routine mobile patrol reached the spot on hearing about the incident. One severely injured extremist before succumbing to his injuries revealed that some extremists were hiding in the house of one Hazara Singh of village Vero Nangal. Shri Bhagwan Singh alongwith his party including constable/driver Yash Pal Singh rushed to village Vero Nangal. When S/Shri Bhawgan Singh and Yash Pal Singh entered the main gate of the house, the terrorists opened heavy fire but both had narrow escape. They immediately took positions and returned the fire with their weapons. Shri Yash Pal Singh engaged the extremists and Shri Bhawgan Singh managed to climb on the roof of the house and lobbed grenades in the room through the door by leaning downwards from the roof top. Thereafter, Shri Bhagwan Singh made three holes in the roof and lobbed grenades in the room.

S/Shri Bhagwan Singh and Yashpal Singh exhibited tremendous professional skill and courage through the operation without caring for their personal safety. In the exchange of fire four extremists were killed who were later identified as Avtar Singh, Surjit Singh alias Pappu, Gurpal Singh alias Happy and Jeet Singh alias Jeeta. During search large quantity of arms and ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Bhagwan Singh, Assistant Commandant and Shri Yashpal Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 6th February, 1991.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 56-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force.

Name and Rank of the Officers

1. Shri Balbir Singh,
   Head Constable No. 685885783,
   103 Battalion, Border Security Force.

2. Shri Daya Nand,
   Naik No. 75001127,
   103 Battalion, Border Security Force.

3. Shri Mahavir Singh,
   Constable No. 88677478,
   58 Battalion, Border Security Force

The statement of services for which the decoration has been awarded.

On 17th November, 1990, at about 0730 hours an encounter took place in village Gorenangal, P.S. Ramdas, District Majitha between the security forces and terrorists.

Supdt. of Police (Operation), Batala approached Tac Headquarters and requested for BSF personnel to rush to the encounter site where the encounter with terrorists was going on. The BSF party reached the place of encounter at about 1600 hours. Head Constable Balbir Singh alongwith Naik Daya Nand and Constable Mahavir Singh without caring for their personal safety approached the farm house with hand-grenades and their personal weapons, while the other police/BSF personnel engaged the terrorists. They exhibited tremendous professional skill of outstanding nature in getting close to the farm house. They lobbed grenades in rooms, from where the terrorists had been bringing heavy volume of fire since long which resulted in the killing of three terrorists in one of the rooms.

Thereafter, they scaled the wall separating the two courtyards and approached another room inspite of heavy firing by terrorists from a different direction. In the process, S/Shri Balbir Singh, Dayanand & Mahavir Singh received bullet injuries Inspite of bullet injuries they immediately retaliated and brought heavy volume of fire on the terrorists and charged on them. In the exchange of fire the remaining terrorists were also killed. In all six hard-core extremists were killed in the encounter. During search 4 AK-47 Rifles, one .303 rifle, two 9mm Pistols and large quantity of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Balbir Singh, Head Constable, Shri Daya Nand, Naik and Shri Mahavir Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 17th November, 1990.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 57-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force.

Name and Rank of Officer

Shri Sunil Kumar,
Constable No. 69142154,
47 Battalion, Border Security Force.

The statement of services for which the decoration has been awarded.

On 19th December 1990 District Police authorities requisitioned two sections of 47 Battalion, BSF for special operation. BSF party under the command of Deputy Supdt. of Police of Sultanpur Lodhi reached village Sheikh Manga for the search of the village at about 1530 hours.

While search was in progress, they noticed 5 extremists holding automatic weapons, running from one house to another house. The other police parties were immediately alerted, who surrounded the village Sheikh Manga. The extremists opened fire, BSF and police personnel retaliated firing with LMGs and Rifles Subsequently hand-grenades were thrown in the rooms from where the terrorists were firing. Constable Sunil Kumar sited his LMG and started firing towards the house very effectively as a result the extremists were not given any chance to escape. Due to the firing by Constable Sunil Kumar one of the extremist was hit with bullets and was seen falling on the ground. In the exchange of fire Constable Sunil Kumar received bullet injury on his left cheek but inspite of injury he continued firing on the extremists.

On receipt of information, Shri Gill, Deputy Commandant who was already conducting combing operation in the area of Gudda Theh in Mand moved to village Sheikh Manga alongwith other BSF personnel. The Commandant of 47 Battalion, BSF also reached the spot and took command of the situation. In the meantime Shri Gill reorganised the cordon of the village to ensure that the terrorists could not escape. Shri Gill alongwith other personnel moved towards the house from where the extremists were firing. Shri Gill alongwith one Head Constable and Naik lobbed grenades in the rooms. In this way they compelled the extremists to abandon the built-up rooms and all of them though badly injured had to take refuge in one of the Kutcha hutments adjoining the house, used as a kitchen. Shri Gill and his party got into the police encounter and the Kutcha Hutment was razed to the ground. In the process all the extremists, who were badly injured with grenades splinters/bullets got burried into the debris. Shri Gill re-organised the party, without caring for his personal safety carried out the search of the house and dug out the debris of the kutcha house and took out the five badly injured extremists burried and found them all dead. Four of them were later identified as hardcore extremists while fifth could not be identified. During search 4 Assault Rifles, one 7.62, SLR, 1 mouser pistol and large quantity of live/empty cartridges were received from the place of encounter.

In this encounter Shri Sunil Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 19th December 1990.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 58-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force.

Name and rank of the officer

Shri Lal Singh,
Subedar,

2 Battalion, Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the intervening night of 22nd-23rd February 1991, Supdt. of Police (Op.) Ferozepur informed Commandant of 2nd Battalion, BSF that a gang of terrorists was likely to be in village shade Shawala or village Yare Shah, P. S. Mallanwala, Ferozepur. They collected their available force and planned cordon and search of both the villages. Commandant, 2nd Battalion, BSF alongwith 101 officers/men (including Subedar Lal Singh and Constable Bhanwar Lal) and SP, Ferozpur alongwith 70 police personnel cordoned both the villages by 0700 hrs on 23-2-91.

After searching village shade Shahwala, the BSF/Police parties reached village Yare Shah at about 12.30 made an announcement to all the villagers to come out of their houses and collect in the village school. All the villagers gathered in the Primary School. Thereafter the search started, on one side of the village suspicious movement was noticed. On observing the movement, an inner cordon was planned and the BSF/Police parties approached the houses of Mohinder Singh and Bhajan Singh. As the troops reached near the front gate, LMG were sited to cover both the houses. On seeing this, the extremists opened fire on the troops. The Commandant of BSF ordered Constable Bhanwar Lal of BSF to fire with LMG on the extremists to pin them down in the room. Constable Bhanwar Lal made best use of available cover, fired effectively on both sides by shifting his position by crawling from one side of the gate to other to pin down extremists and as also to prevent them from accurate firing on the troops. The extremists opened fire from three sides and it was difficult to approach the rooms to lob hand-grenades through doors and windows. Cover of any kind was not available. The officers assessed the situation, ordered LMG men to continue firing and four parties were detailed to make holes on the roof-tops for lobbing grenades.

As the troops were making holes on the roof, the extremists opened heavy fire on the parties but Subedar Lal Singh without caring for his personal safety, lobbed the grenades in the room. Inspite of this, the extremists kept on firing on the troops from three directions duly determined to prevent them from making holes for lobbing grenades. Again in utter disregard to his personal safety, Subedar Lal Singh crawled further and lobbed grenades in the next room from where the extremists were firing. This helped other parties to lob grenades in each room and thus firing from extremists side stopped. Then one bullet proof vehicle was sent inside the court-yard to check if any extremists was still alive. During search Subedar Lal Singh, stealthily approached one room and used proper tactics, opened the door and found the room vacant. Then he approached another room with stengun in his right hand in ready position, opened the door of the room and fired a burst. Instantly, a burst fired by extremists from inside, hit the right hand of Subedar Lal Singh and injured him on the wrist which was fractured and blood started gushing out. Though seriously injured, he took out one hand-grenade with his left hand threw it inside the room. Thereafter all the parties lobbed hand grenades and the terrorists hiding in the room were killed. In this way all the five extremists were killed and large quantity of arms and ammunition was recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Lal Singh, Subedar, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry unde rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5 with effect from 23rd February 1991.

A. K. UPADHYAY, Director

59-Pres/92.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the under-mentioned officer of Border Security Force.

Name and Rank of the Officer

Shri Rajesh Kumar,
Constable No. 88255065,
48 Battalion, Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

During the 1st and 2nd week of October, 1990 terrorists had committed a number of murders, kidnappings and other heinous crimes in the area of P.S. Quadian. It was learnt that terrorists had planned a mass killing of innocent persons and also to attach security personnel on the eve of Deepawali to creat panic. To keep continuous pressure on the activities of terrorists on the eve of Deepawali around Quadian town, nakas were laid by 48 Battalion, BSF against the terrorists.

On the 17th October, 1990 at about 1930 hours, Company Commander of 48 Battalion, BSF laid a naka near 'T' junction on Kalwan-Quadian link road at about 1950 hours, the naka party saw one tractor coming from village Kalwan side. As the tractor reached near the naka point, the party commander focussed search light and challanged the driver to stop. On this, 5-6 extremists sitting on the tractor, fired a long burst of 10—15 rounds with LMG on the naka party. The naka party commander ordered his party to return the fire on the terrorists in self defence. Then the terrorists jumped down and continued firing for some time. In the meantime, while one of the terrorists was changing the magazine of his LMG, Constable Rajesh Kumar without caring for his personal safety, came out from his position and jumped on the terrorist and snatched his LMG. After snatching the LMG Shri Rajesh Kumar fired on the terrorists with the same LMG. The terrorists started retreating and managed to escape towards village Kalwan taking the advantage and cover of the uneven ground and sugarcane/charri fields. Thereafter a joint search was carried out by BSF/Police personnel in the adjoining areas and two suspected terrorists viz. Gurmeet Singh S/o Charan Singh of village Kalwan and Gurmeet Singh S/o Sunder Singh of village Barha Nangal were apprehended. During search large quantity of arms and ammunition were also recovered.

In this encounter Shri Rajesh Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5 with effect from 17th October, 1990.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 60-Pres/92.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the under mentioned officer of the Border Security Force.

Name and Rank of the Officer

Shri Iqbal Singh. (*Posthumous*)
Constable No. 87342475,
69 Battalion, Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 27th October, 1990, at about 1625 hours, Commandant of 69 Battalion, BSF alongwth his escort party (including Constable Iqbal Singh), in three vehicles were returning from Denipowa Bridge (Anantnag) and proceeding towards Jangle Mandi. Suddenly they came under heavy fire from automatic weapons and grenades by the militants, who had taken position along the road side. The fire was directed from the houses on both sides of the road and the heights of Maliknag/Hazratbal.

Constable Iqbal Singh was a member of the escort party of the Commandant and was travelling in the second vehicle. He reacted to the situation very promptly, undaunted by the heavy fire by the militants, jumped out of the vehicle, took position and started firing with his weapon in order to neutralise the fire of militants and also to provide cover to his colleagues to take positions. This gallant action of Constable Iqbal Singh had the desired effect. The intensity of fire by militants came down for some time and the militants were forced to change their positions.

On seeing some militants running into the lanes, Constable Iqbal Singh started chasing them while firing on them. in the meantime militants re-organised themselves and fired with LMG on Constable Iqbal Singh. He took position, appreciated the situation and was able to locate the direction of LMG fire. He fired in the same direction and was again successful in silencing the guns of the militants for some time. By the time the troops took position and brought heavy fire on the militants. The militants got demoralised and started running. Shri Singh without caring tor his personal safety, ran after the fleeing militants ahead of his party personnel. Suddenly a burst of fire hit him. He received grievous bullet injuries and fell down. Inspite of fatal injuries, he kept on firing at the militants and fought back gallantry till he breathed his last. This dare devil action of Shri Singh in successful countering a well planned ambush by the militants helped to save the lives of his party personnel.

In this encounter Shri Iqbal Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5 with effect from 27th October 1990.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 61-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force.

Name and Rank of the Officer

Shri Prafulla Chander Pradhani,
Constable No. 89163071,
18 Battalion, Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 26th March, 1991 at 0700 hours one Platoon of P-2 Battalion of BSF received information regarding movement of two terrorists around village Goniana Kalan. They immediately rushed to village Goniana Kalan. On reaching there they learnt that the terrorists armed with deadly weapons had escaped towards the fields.

At abouf 0940 hours during combing operation, Constable Prafulla Chander Pradhani found the trail marks of persons. They followed the trail marks, after moving about 1 kilometre in high thick crops, there was turn of trail marks and on turning Shri Padhani saw two terrorists in lying position, who were ready to fire at the advancing BSF personnel. Shri Pradhani without caring for his personal safety immediately swung into action and fired long bursts from his SLR on both the terrorists from a very close range. The terrorists were seriously wounded and incapacitated but inspite of this they fired volley of shots from their weapons towards Constable Pradhani and his party. Constable Pradhani kept on firing on the terrorists to keep their heads down. In the meantime other BSF personnel took position and fired towards the terrorists. During the heavy exchange of fire Constable Pradhani while moving towards the terrorists, sustained bullet injury in his abdomen but despite loss of blood, he kept on firing on the terrorists and provided ample time to his team members to re-load their magazines and resume firing on the terrorists. In the exchange of fire both the terrorists were killed. One of them was identified as dreaded listed terrorist Ranjit Singh but the other terrorist could not be identified. During search 1 AK-47 Rifle one 7mm Bolt Action Rifle and large number of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Prafulla Chander Pradhani, Constable displayed conspicuous courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 26th March, 1991.

A. K. UPADHYAY
Director

No. 62-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh Police.

Name and rank of the officers

Shri Shyam Singh (*Posthumous*)
Head Constable,
33 Battalion, P. A. C.,
Distt. Banda.

Shri Jai Ram Singh,
Constable,
43 Battalion, P. A. C.,
Distt. Banda.

Shri Sada Shiv Yadav (*Posthumous*)
Constable,
43 Battalion, P. A. C.,
Distt. Banda.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On receipt of information on the 15th March, 1990 at about 4.00 P. M. about the presence of 7-8 dacoits in the house of one Bonga Nai, Vill. Hastam, P. S. Bisanda, Shri B. S. Sidhu, Supdt. of Police directed Dr. Tahsildar Singh, Dy. Supdt. of Police to assemble readily available force to cordon and confront the dacoits. The entire force without loss of time reached Khurahand out-post by 4.35 P. M. The Supdt. of Police then enquired the whereabouts of the gang from the informer and the villages who intimated that the gang had moved towards the Nala outside the village with the intention of committing a crime in the house of one Keshav Singh.

The entire force was divided into 5 parties, of which the first party was led by S. P., the second party was headed by D. S. P., Banda and the third party was placed under the charge of Inspector of Police, Kotwali. Similarly the fourth and fifth parties were placed under charge of Reserve sub-Inspector of Police and Platoon Commander respectively. After brieling the police personnel about the strategy of encounter and entire planning, all the parties were asked to take their respective positions by 6.30 P. M. and await the arrival of the gang. At about 7.00 P. M., 7-8 armed dacoits in police uniform reached the house of Keshav Singh and shouted for opening of the door. Finding no response a dacoit cried aloud that it was Budh Sen Gang and if the doors were not opened, the house would be set on fire to kill all the residents. On this, S. P. Banda Shri Sidhu warned the dacoits that they had been surrounded by the Police and they should lay down their arms and surrender. The dacoits responded by indiscriminate firing on the first party and warned the police to retreat otherwise they would be killed. This volley of firing was aimed at the S. P. who fortunately escaped unhurt. Shri Sidhu then alerted all the parties and directed that dacoits did not escape from the cordon. The dacoits were also warned by various police parties to lay down their arms. The dacoits sensing themselves fully surrounded by the police, divided themselves into small groups and started firing indiscriminately. Finding intense firing by the dacoits, the S. P. sent a message for re-inforcement of notice. The dacoits again fired upon the S. P. following his voice but he miraculously escaped and returned the fire. The D.S.P. Dr. Singh and one S. I. also fired heavily on the dacoits and the other parties also joined in the firing. While firing from both sides was continuing, Constable Jai Ram Singh of 43 Bn. P.A.C. unmindful of the grave risk to life tried to take a better position and fired upon the dacoits which was replied by firing on party No. 5 by the dacoits. Meanwhile Pl. Cdr. cried out to the S. P. that Constable Jai Ram Singh had been hit by a bullet. Since the S. P. was actively involved in the exchange of fire, he directed the Pl. Cdr. to shift the injured Constable to Hospital for treatment. He also directed all the police parties over the loud hailer to mount further pressure on the dacoits keeping their own security in view. The dacoits were now under pressure and their firing became more intense.

By now, Constable Sada Shiv Yadav of 43 Bn. PAC had taken position in place of Constable Jai Ram Singh. The dacoits started advancing towards the police party No. 1 and as a result of firing by police one of the dacoits felt down. Sensing imminent danger to the S. P. and his party, the D. S. P. immediately opened the door and started firing and during the exchange of fire one dacoits was hit and he fell down. Later the firing ceased for ascertaining the current position of the dacoits. The D. S. P. was suddenly fired upon by the dacoits, however he escaped on account of his swift movement. Meanwhile the S. P. and one S. I. of police crawled up to the eastern corner of the roof on the house of Keshav Singh and the S. P. ordered VLP fire illumination. The dacoits tried to escape in the south-eastern direction but Constable Sada Shiv Yadav fired upon the dacoits to hold their escape and during this he was hit and fell down. Meanwhile, one Havildar of 33 Bn. PAC exposed his life to grave risk and fired upon one particular dacoit who was firing heavily from close to him and hit that dacoit. The dacoit also managed to shoot the Havildar as he fell down. By now the S.P. and D.S.P. had crawled to the southern exit near Party No. 5 where they again faced a volley of fire from the dacoits. Havildar Shyam Singh and Constable Sada Shiv Yadav who had sustained bullet injuries during the encounter, were immediately rushed to the district hospital but expired on the way.

In the meantime, additional force reached the scene which was deployed around the villtage and it was decided that intensive search of the village would be done in the morning. On search of the dacoits in the village, it was learnt that the remaining dacoits had killed one villager (Sada Shiv Singh) while escaping. It was also found that in the encounter three dacoits had been killed who were later identified as Raju Singh, Achchhey Lal Nai and Chotte Lal Sahu. Two american Rifles Calibre 30.06 spring field with hugo quantity of live cartridges and fired shells and 1 DBBL 12 bore gun with live cartridges/fired shells were recovered from their possession.

In this encounter Shri Shyam Singh, Head Constable, Shri Jai Ram Singh, Constable and Shri Sada Shiv Yadav, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallatry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, w.e.f. 15th March, 1990.

A. K. UPADHYAY
Director

No. 63-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh Police.

Name and rank of the officers

Shri Harish Chandra Singh,
Superintendent of Police.
District Kheri.

Shri Chandi Prasad Thapliyal,
Deputy Superintendent of Police.
District Kheri.

Shri Laxmi Narain Chaturvedi,
Inspector of Police,
District Kheri.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 14th December, 1990, Shri Harish Chadra Singh, Supdt. of Police, Kheri received information about a bank dacoity at State Bank of India, Mohammadi Branch. Immediately Shri Singh alongwith C. O. Gola, Shri C. P. Thapliyal left with a patrol car for the spot and in the meantime all police stations, checkposts were alerted, while SOs and SHOs of nearby police stations were instructed to reach Mohammadi. On reaching the spot Shri Singh noticed that the sikh terrorists were firing ruthlessly with AK-56 assault rifles, on the police party and rushing towards the sugarcane fields. At this stage Shri Singh took over the leadership, divided the police party into three groups, first led by Inspector, Mohammadi, Shri Chaturvedi, second by C.O., Gola Shri Thapliyal and the third by Shri Singh himself. The terrorists were well camouflaged and were firing indiscriminately. Undeterred Shri Singh challenged them to surrender, but was replied with a hail of bullets. The police party returned the fire but was no match for the AK-56 rifle fire. Meanwhile on arrival of reinforcements, Shri Singh devised a strategy to flush out the terrorists by setting the sugarcane field on fire, but due to high moisture content, it proved futile. Shri Singh without loosing courage and presence of mind formed two final assault parties—one led by himself together with Shri Chaturvedi and the other party was led by Shri Thapliyal. Both the parties moved from diogenally opposite directions. The party under Shri Singh alongwith Shri Chaturvedi succeeded in dislocating one AK-56 assaultrifle, but further movement was hindered by heavy shower of grenades and fire by terrorists. The other party under Shri Thapliyal kept the terrorists under pressure by controlled fire and kept their attention deviated from the attack of first party. The terrorists continued firing and also hurled two grenades which caused injuries to policemen. Since it was getting dark Shri Singh, Shri Chaturvedi and Shri Thapliyal kept the morale of the police party high and continued intensive fire, while all gaps were sealed and periodically assessed the functioning of all police parties.

In the morning i.e. on 15-12-1990 when there was no firing from the opposite side Shri Singh together with Shri Chaturvedi and Shri Thapliyal entered the field and after thorough search, two terrorists were found dead and preliminary queries revealed that they belonged to the group of self styled Lt General Angrez Singh and Bhai Resham Singh Bhinde of Khalistan Liberation Force. Two AK-56 assault rifles, seven magazines, two live hand grenades, cleaning rod and material ammunition bag and large quantity of live and empty cartridges were recovered.

In this encounter Shri Harish Chandra Singh, Supdt. of Police, Shri Chandi Prasad Thapliyal, Deputy Supdt. of Police and Shri Laxmi Narain Chaturvedi, Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 14th December 1990.

A. K. UPADHYAY
Director

No. 64-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Uttar Pradesh Police.

Name and rank of the officer

Shri Ram Prakash Singh Pundir,
Sub-Inspector of Police
Civil Police,
District Meerut.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 19th January 1990 at about 8.00 AM Shri Ram Prakash Singh Pundir Station Officer Kharkhanda received information that one Sunil S/o Shri Dal Chand, R/o Nanour was kidnapped and that the kidnappers have demanded a ransom of Rs. 3 lacs for his release and fixed the venue in the cane fields of village Jonagarh. Immediately Shri Pundir informed his senior officers and himself rushed to the spot where ransom was to be paid. In the meantime forces under SP, HA and CO Inchauli reached the spot. The forces were briefed in detail, divided into three parties and they took up allotted positions. At about 12.00 hours on instructions from Shri Pundir, Shri Dal Chand father of the kidnapee shouted a loud "I have come as per my promise with Rs. 3 lacs. Bring my son Sunil, take the amount and release my son". On hearing this, one of the criminals peeped out but hastily went back into the sugarcane fields on seeing the police party. On confirmation of the presence of the criminals in the fields, Shri Pundir immediately challenged them to surrender but the criminals responded with heavy firing on the police party with the intention to kill them. Shri Pundir and his party personnel crawled towards the criminals in the face of heavy fire and putting their lives to great risk in the process of which Shri Pundir was injured in his leg. Despite the injuries, he kept on advancing forward, forcing the criminals numbering about 9 to 10 to retreat. The criminals alongwith the kidnapee Sunil who was crying for his life, was also dragged along in their attempt to make good their escape towards the grave-yards of village Jahidpur. Shri Pundir now under pressure to restrict the firing as he didn't want to harm the kidnappee decided to arrest the criminals and ensure the safe release the boy and putting their lives to great risk chased the criminals running with the boy. After a hot chase Shri Pundir managed to cordon and arrest two of the criminals alongwith the boy unharmed, while the other criminals escaped in other directions in the dense sugarcane fields. The arrested criminals were identified as Shokat @ Billu and Fazal alongwith arms and ammunition.

In this encounter Shri Ram Prakash Singh Pundir, Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police medal and consequently carry with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 19th January 1990.

A. K. UPADHYAY
Director

No. 65-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of Maharashtra Police.

Name and rank of the officer

Shri Vikas Tukaram Gaikwad,
Inspector of Police,
Greater Bombay.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 27th July, 1990 at about 2145 hours information was received in P.S. Dr. DS Marg that six criminals in white Fiat Car, armed with deadly weapon had come to Cama Baug, Khatwadi with the intention to commit dacoity. Immediately a police party rushed towards the place.

On reaching Khatwadi, they noticed the car parked along the compound wall of Cama Baug. On confirming the authenticity a trap was laid. Inspector V. T. Gaikwad alongwith one Sub-Inspector and two police personnel kept hovering near the car. Other police personnel took positions in the nearby lane and surrounded the area.

After some time four persons aproached the car, one of them went near the driver's door and other waited for him to open the car and get into it. In the meantime their two other associates came there. Suspecting their intention to fled away, Shri Gaikwad rushed towards the driver's door and tried to nab one of them, while others surrounded the car. Sensing danger, one of the criminals raised alarm 'Raju Bhago', Raju turned round and with two others ran away.

When found trapped, criminal Annabu Mardayga pointed out his revolver at Shri Gaikwad and threatened him to let him go. But Shri Gaikwad did not retract and rushed forward to nab the criminal. The criminal pressed the trigger but Shri Gaikwad ducked and the bullet zoomed past. In a lightening speed Shri Gaikwad lept forward and grabed the criminal, before he could fire again. Finding that this criminal became helpless, his associate aimed his revolver at Shri Gaikwad from other side of the car. Before he could press the trigger other policemen overpowered him. This both the accused were arrested with revolvers. In the meantime third accused was also arrested. But the remaining three criminals managed to escape.

On search two country made revolvers, one dagger, 3 choppers and 8 live/empty cartridge were recovered from the criminals and the car. The criminals were involved in large number of robberies, dacoities, chainsnatchings, attempted murders etc.

In this encounter Shri V. K. Gaikwad, Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 27th July, 1990.

A. K. UPADHYAY
Director

No. 66-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Railway Protection Special Force.

Name and rank of the officer

Shri Samboo Lingappa,
Constable,
5th Battalion, RPSF,
Tiruchirapalli.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On the 29th October, 1990 Shri Samboo Lingappa Constable 'D' Coy 5 BN, RPSF alongwith other RPSF, and local Police staff was deputed for law and order in the most sensitive area of Maulviganj Masjid under PS Aminabad, Lucknow, during the Ram-Janam-Bhoomi-Babri Masjid agitations. At about 1200 hours a procession of about 1000 men of a particular community started approaching towards the Masjid raising various slogans which was responded by the other community with anti-slogans resulting in spontaneous tension and ultimately culiminated into exchange of stones and brickbats., While this exchange was going on, Constable Samboo Lingappa noticed one boy named Vijit Anand, aged about 13 years being dragged by a mob of a particular community in a nearby lane and being attacked with a chopper which resulted in profuss bleeding. Constable Samboo Lingappa at great risk to his life rushed towards the boy and after a struggle he rescued the boy from the clutches of the violent mob. In the process Constable Lingappa sustained serious injuries on his right chest but unmindful of the grave injury he rescued the boy to a place of safety and he became unconscious. Thus he saved the life of an innocent young boy by risking his own life.

In this encounter Shri Samboo Lingappa, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 29th October, 1990.

A. K. UPADHYAY
Director

No. 67-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Andhra Pradesh Police.

Name and rank of the officer

Shri T. Varahala Raju,
Sub-Inspector of Police,
P. S. Karimnagar II Town.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

Shri T. Varahala Raju, Sub-Inspector of Police of Karimnagar Town Police Station alongwith other police personnel was on special duty to apprehend underground extremists. On the 10th May, 1988 at about 9-00 P. M. he received information that extremist Daggu Rayalingu and his party members were taking shelter in a house in Warangal town and were planning to commit another heinous crime. Shri T. Varahala Raju approached the Warangal District police for assistance. He alongwith local police rushed to the place of hide-out. On reaching there, Shri Raju divided the police party into four groups. Shri Raju alongwith one Head Constable jumped into the back-yard of the house. Shri Raju woke up a person, who was sleeping on a cot and asked him to disclose his identity and surrender. The person caught hold of the hands of Shri Raju and shouted Police-Police. On hearing the commotion two ladies rushed out of the house and tried to grapple with Shri Raju and another Constable and tried to snatch their weapons. In the meantime extermist Daggu Rayalingu came out and fired on Shri Raju and injured him on his right thigh. But inspite of injuries Shri Raju retaliated the fire at the extermist. In a deseparate attempt to kill Shri Raju, the extermist Daggu Rayalingu opened indiscriminate fire and killed his own trusted man Santhosh Reddy. The moment Santhosh Reddy sustained bullet injury and collapsed on the ground, Shri Raju took cover of the dying man and opened fire at Daggu Rayalingu and killed him on the spot. In the exchange of fire both the ladies also sustained bullet injuries. During search one Smith and webson .455 revolver, one S.L.R. alongwith ammunition and cash worth Rs. 31,000/- were recovered. The extremist Daggu Rayalingu was involved in 17 criminal cases.

In this encounter Shri T. Varahala Raju, Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 10th May, 1988.

A. K. UPADHYAY
Director

No. 68-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Madhya Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Chhedilal Dube (Posthumous)
Head Constable,
1st Battalion, SAF,
Indore.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

The Bombay Bazar of Indore has acquired notoriety for all kinds of criminal activities like gambling, prostitution, bootlegging and sale of smack and other narcotic drugs. The criminal empire of Karamat Pahalwan has, in recent years, been taken over by his sons viz. Bala Beg, Akhtar Beg, Zafar Beg, Sarwar Beg and Babu Beg. All of them were listed criminals. All communal riots in Indore have their origin in this area.

On the 19th February, 1991 when Head Constable Gajendra Singh of Bombay Bazar out-post tried to take action against Zafar Beg the latter assaulted the Head Constable. On his report SHO, P. S. Pandrinath arrested Zafar Beg but this

action of police sent a wave of resentment amongst the criminals and Akhtar Beg collected a mob of 100-150 persons and attacked out-post Bombay Bazar. The crown beaten-up one Sub-Inspector and Constable, damaged the furniture and ransacked the Police post. They set on fire one motor-cycle and two cycles of policemen, disconnected the telephone and took away the instrument and blocked the main Jawahar Marg. On hearing the disturbances in this communally sensitive area, Supdt. of Police alongwith his gunman Head Constable C. M. Dube rushed to the spot and saw smoke and fire and people running in different directions in utter panic Tear gas and lathi charge were restorted to, but the crowd indulged in heavy brick-batting and threw home-made bombs on the police party.

The Supdt. of Police and Head Constable Dube undaunted by the grave risk to their lives, faced the barrage of missible from all directions. At times there were hand-to-hand scuffle between the out-numbered policemen and the swollen crowd of hooligans. The stone-pelting in front of Bala Beg's house became intensely heavy and Bala beg who was standing on the top of his three-storey house throw a heavy grinding stone with the aim of hitting the Supdt. of Police but Shri Dube, who had been following the S. P. like a shadow and providing him cover in the most adverse circumstances, noticed the missile being hurled, he came in between the missible and the Supdt. of Police. The stone hit Shri Dube on his head. He staggered under the impact of the blow of heavy stone, collasped and died on the spot but he succeeded in his mission of saving the life of Supdt. of Police. Later three criminals were arrested who were involved in number of heinous crime.

In this incident Shri Chhedilal Dube, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 10th February, 1991.

A. K. UPADHYAY
Director

No. 69-Pres/92.—The President is pleased to award the Police medal for gallantry to the undermentioned officer of Karnataka Police.

Name and rank of the officer

Shri D. Krishne Urs,
Sub-Inspector of Police,
Forest Mobile Squad,
Mysore.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On the 9th April, 1990 at about 1.00 PM ten police officer include Shri D. Krishne Urs went towards Hogenkal in order to verify information regarding the presence of dreaded criminals Veerappan and his gang who were involved in nearly 20 murder cases. While returning on the Hogenkal Gopinathan Road they found the road blocked with boulders. Suddenly a volley of shots was fired at the jeep in which police personnel were travelling. As a result of this 4 police officers died on the spot. Shri Urs, who was sitting on the extreme left of the jeep immediately got down from the jeep and started firing from 9 mm pistol. When the magazine was emptied, he snatched the .303 rifle from the Constable who had also been hit and started firing. During this process, a gun shot struck him on his right hand when he was about to fire for the second time. Realising that all the people in the jeep were struck by bullets, he drove the jeep in reverse gear and west towards Hogenkal. He shifted five of the injured to Dharmapuri Hospital with the assistance of Tamil Nadu Police. The courageous act of Shri D. Krishne Urs saved the lives of some of his colleagues.

In this encounter Shri D. Krishne Urs, Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 9th April, 1990.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 70-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Indo-Tibetan Border Police :

Name and rank of the officer

Shri S. D. Pradhan,
Sub-Inspector (Radio-Operator),
IV Battalion, ITBP Mahidanda,
Uttar Kashi,
Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On the 7th June, 1991 at about 1800 hours, the water in "BARAGUDI GAD" suddenly increased beyond expectation and all the barricades made to protect the SPF Camp were swept away by the flood water. The river changed its course towards ITBP Camp side. Shri Pradhan, on seeing danger to his men and Govt. stores, jumped into the shirking waters and started shifting stores and men to safer places.

On 9-6-91 at about 2200 hours, the river again started increasing and swept away about 200 barrels some with kerosen-oil. Shri Pradhan alongwith the Jawans jumped into the furious river and succeeded in retrieving about 100 barrels. On the evening of 16-6-91, the river again increased dangerously and become more furious than the earlier flood and started flowing along the jawans mess and Solar Hut. Despite Chilling fast current/dark night, the Sub-Inspector alongwith four othrs entered into the river and after 1½ hours, they broke the barricade and diverted the flow of river water to another side. In this way they saved the Solar Hut and the entire Camp as well.

In this encounter Shri S. D. Pradhan, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 7th June, 1991.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 71-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of National Security Guard.

Name and rank of the officer

Shri Azadbir Singh,
Ranger-II,
13, SRG, NSG.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On the night between 9th-10th July, 1990 an ambush party (consisting of one Asstt. Commander and 15 Rangers including Shri Azadbir Singh Ranger-II) under the command of Shri H. I. Yadav, Team Commander was detailed to lay an ambush outside village Kotli Wasawa Singh, P. S. Valtoha, District Taran Taran to nab the terrorists operating in the area. At about 2100 hrs the part took up positions near a water channel covering the track going from village Kotli Wasawa Singh to village Bahadur Nagar and two Rangers including Shri Azadbir Singh took positions and kept watching the track in front of them.

At about 0115 hrs they saw one civilian suddenly appearing from behind the bushes along the water channel very close to the ambush position. When he was challenged by the ambush party he raised an alarm and suddenly a group of

terrorists opened fire with their automatic weapons on the ambush party from a distance of about 50 yards. Shri Azadbir Singh, handling the LMG was hit by a burst of fire on his right shoulder. Inspite of these bullet injuries and bleeding profusely, he turned round and started firing with his left hand at the terrorists. This timely and effective return of fire forced the terrorists to retrect. Thus, he saved the embush party from further casualty. He sustained multiple fracture on his right hand near the shoulder and subsequently his right hand had to be amputated to save his life.

In this encounter Shri Azadbir Singh, Ranger-II displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 10th July, 1990.

A. K. UPADHYAY
Director

No. 72-Pres/92.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the under-mentioned Officer of Punjab Police.

Name and rank of Officer

Shri Kamaljit Singh,
Inspector of Police,
P. S. Banga,
Jalandhar.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 6th May, 1991, Inspector Kamaljit Singh, SHO, P. S. Banga received information that a group of terrorists had attacked the cash van of Co-operative Society Bank, Nawanshashar, killed four persons, four injured and looted about Rs. 5,53,500/- from the van. After committing the crime they ran towards Gujjarour Link Road in a Red Maruti Van.

Shri Kamaljit Singh alongwith his 5-6 gunmen immediately rushed towards village Ucha Ladhana side to intercept and round up the fleeing terrorists. They were looking for Red Maruti Van, when on the way they got information that the terrorists had left the van and had snatched a truck and fled towards village Naura-Bhaura side. The party turned towards village Mehal Gelan. On the way they noticed a truck coming from the opposite direction. Shri Kamaljit Singh immediately assessed the situation and ordered his party personnel to take positions. As the truck came near, Shri Kamaljit Singh signalled them to stop but its occupants started firing at the police party. Shri Kamaljit Singh dived on to his left and took position behind Gypsy. The police party after taking position returned the fire. They terrorists also fired volley of shots with automatic weapons towards the police party.

Shri Kamaljit Singh crawled and took position behind the uneven ground and fired on the terrorists with his AK-47 Rifle. On seeing this the terrorists threw one hand grenads at Shri Kamaljit Singh which exploded and one of its splinters hit Shri Kamaljit Singh on his left hand which started bleeding. Inspite of injury he kept on engaging the terrorists. After throwing the grenads, the terrorists jumped from the truck and started running in different direction while firing on the police party. Shri Kamaljit Singh opened accurate fire on the running terrorists, who had jumped in his direction. He also fired at the truck and killed one of the terrorists who was firing on the police party. The other members of the party also fired on the terrorists who had run towards opposite direction. The encounter continued for about 45 minutes. Thereafter, firing from the terrorists side stopped. On search one terrorist was found lying dead on the front seat of the truck, three terrorists died in the field while running and two were seriously injured. The injured were immediately rushed to hospital where they later succumbed to their injuries.

As the search was in progress, Shri Kamaljit Singh, heard sound of firing from village Mehal Gelan Side. He immediately rushed to that side and on reaching there he found one Constable lying dead in the Gypsy of Deputy Supdt. of Police, Nawanshaher and one Head Constable, one Constable and Shri Lok Nath Dy. S.P. injured. Inspite of injuries Shri Lok Nath took the SLR of injured Constable chased the terrorists who had left their scooter and had started running into the fields. Shri Lok Nath fired accurate shots at he running terrorists, who were using the fire and run tactice. Shri Lok Nath was successful in killing one of the terrorists. Another terrorist was killed by the other police personnel and the third escaped towards Moranwali side. As a result of well co-ordinated action in all 8 terrorists were eliminated within two hours of the decoity. During search 4 AK-47 Rifles, 1 stengun, two 7.6 mm Rfles, one 30 bore pistol, the entire looted cash, one maruti van and two trucks were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Kamaljit Singh, Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th May, 1991.

A. K. UPADHYAY
Director

No. 73-Pers/92.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the under-mentioned Officer of Punjab Police.

Name and rank of Officer

Shri Lok Nath,
Deputy Superintendent of Police,
Sub-Division, Nawan Shaher.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 6th May, 1991, Inspector Kamaljit Singh, SHO, P. S. Banga received information that a group of terrorists had attacked the cash van of Co-operative Society Bank, Nawan Shasher killed four persons, four injured and looted about Rs. 5,53,500/- from the van. After committing the crime they ran towards Gujjarour Link Road in a Red Maruti Van.

Shri Kamaljit Singh alongwith his 5-6 gunmen immediately rushed towards village Ucha Ladhana side to intercept and round up the fleeing terrorists. They were looking for Red Maruti Van, when on the way they got information that the terrorists had left the van and had snatched a truck and fled towards village Naura-Bhaura side. The party turned towards village Mehal Gelan. On the way they noticed a truck coming from the oposite direction. Shri Kamaljit Singh immediately assessed the situation and ordered his party personnel to take positions. As the truck came near, Shri Kamaljit Singh signalled them to stop but its occupants started firing at the police party. Shri Kamaljit Singh dived on to his left and took position behind Gypsy. The police party after taking position returned the fire. The terrorists also fired volley of shots with automatic weapons towards the police party.

Shri Kamaljit Singh crawled and took position behind the uneven ground and fired on the terrorists with his AK-47 Rifle. On seeing this the terrorists threw one hand grenads at Shri Kamaljit Singh which exploded and one of its splinters hit Shri Kamaljit Singh on his left hand which started bleeding. Inspite of injury he kept on engaging the terrorists. After throwing the grenads, the terrorists jumped from the truck and started running in different directions while firing on the police party. Shri Kamaljit Singh opened accurate fire on the running terrorists, who had jumped in his direction. He also fired at the truck and killed one of the terrorists who was firing on the police party. The other members of the party also fired on the terrorists who had run towards opposite direction. The encounter continued for about 45 minutes. Thereafter, firing from the terrorists side stopped. On search one terrorist was found lying dead on the front seat of the truck, three terrorists died in the

field while running and two were seriously injured. The injured were immediately rushed to hospital where they later succumbed to their injuries.

As the search was in progress, Shri Kamaljit Singh, heard sound of firing from village Mehal Gelan Side. He immediately rushed to that side and on reaching there he found one Constable lying dead in the Gypsy of Deputy Supdt. of Police, Nawanshaher and one Head Constable, one Constable and Shri Lok Nath Dy. S. P. injured. Inspite of injuries Shri Lok Nath took the SLR of injured Constable chased the terrorists who had left their scooter and had started running into the fields. Shri Lok Nath fired accurate shots at the running terrorists, who were using the fire and run tactice. Shri Lok Nath was successful in killing one of the terrorists. Another terrorist was killed by the other police personnel and the third escaped towards Moranwali side. As a result of well coordinated action in all 8 terrorists were eliminated within two hours of the dacoity. During search 4 AK-47 Rifles, 1 stengun, two 7.6 mm Rifles, one .30 bore pistol, the entire looted cash, one maruti van and two trucks were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Lok Nath, Dy. Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th May, 1991.

A. K. UPADHYAY
Director

No. 74-Pres/92.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the under-mentioned Officer of Punjab Police.

Name and Rank of Officer

Shri Jagjit Singh, (*Posthumous*)
Sub-Inspector of Police,
Police Station, Bholath.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 9th July, 1990, Sub-Inspector Jagjit Singh, SHO, P. S. Bholath received information that some heredcore terrorists were hiding in the house of one Surjit Singh Sandhu. He alongwith one section of CRPF and police party cordoned the house. When the police party was in the process of encircling the house from all sides, the terrorists hiding in the house attempted to escape. Shri Jagjit Singh single handed attempted to prevent their escape, he fired shots from his weapon and killed one terrorist. One of the terrorists fired a burst on Shri Jagjit Singh and one bullet hit him and injured him seriously. Inspite of injuries, Shri Jagjit Singh continued firing from his weapon. In the meanwhile the owner of the house jumped out through the window and came just behind Shri Jagjit Singh, he then fired a burst from his AK-47 Chinese Assault Rifle on Shri Jagjit Singh on the back of his neck and he fell down. When he was breathing his last, he pointed toward the fleeing terrorist, with his indication, the terrorist was chased and finally killed in an adjoining village.

In this encounter in all seven terrorists including one lady were killed. Out of them two were terrorists and the remaining were harbourers. The two terrorists were later identified as Balwinder Singh alias Bittu and Surjit Singh Sandhu. During search 2 AK-47 Chinese Assalt Rifles, one General Purpose Machine Gun alongwith ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Jagjit Singh, Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from the 9th July, 1990.

A. K. UPADHYAY
Director

No. 75-Pres/92.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the under-mentioned Officer of Punjab Police.

Name and rank of Officer

Shri Anil Kumar Sharma,
Senior Superintendent of Police.
Ferozepur.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 5th June, 1990 Shri Joginder Singh Johal, Deputy Superintendent of Police (Headquarters), Ferozepur and Sub-Inspector Ram Singh, SHO, P.S. Mallanwala alongwith other police personnel were present at Basti Chamrian Wali for the recovery of one Kidnapped person Dev Singh Harijan. They cordoned the area and warned the people that if there was any man of suspicious character, he may surrender but no one came forward. Thereafter they started house to house search. As they entered the house of Lal Singh Sarpanch, heavy firing came from inside the house. The police party returned the fire in self-defence. Sub-Inspector Ram Singh who had entered the house was fired upon by terrorists but he immediately took position behind some wheat bags and fired on the extremist with his service revolver. The shots fired by the extremists on Sub-Inspector Ram Singh hit the wheat bags and the wall of the house. The exchange of fire continued for about one hour. During the exchange of fire one terrorist, Dev Singh Harijan, Lal Singh Sarpanch and his brother Harbhajan Singh were killed. Thereafter four terrorists started running into the fields by scaling the wall while firing with their weapons.

Shri Joginder Singh and his partymen chased the terrorists in his vehicle and succeeded in killing two extremists in the fields. The remaining two extremists who were running ahead in the fields tried to escape.

In the meantime Shri Anil Kumar Sharma, Senior Superintendent of Police, Ferozepur, who had gone to visit the scene of crime in village Ratokka and was on way back to Ferozepur, received information through wireless about the encounter and escape of two extremists. He immediately directed Shri Joginder Singn Johal to tighten the cordon and Police Control Room, Ferozepur for re-inforcements. After crossing Basti Vakilanwali when Shri A. K. Sharma and party took right turn, they noticed two terrorists with automatic weapons about 300 yards away. Shri Sharma immediately came out of his vehicle and challenged the terrorists to stop. But the extremists ignoring the warning started firing on Shri Sharma and his gunman. On this Shri Sharma took LAR from one of the gunmen and opened fire. Shri Sharma felt that the firing has not the desired effect, he decided to advance towards the terrorists by crawling. As the distance was much he took his Gypsy and drove it in kacha fields, inspite of heavy firing from the terrorists. Then Shri Sharma and his party crawled towards the terrorists. From a very close range Shri Sharma carried out heavy firing as a result of this two terrorists were killed at the spot in the paddy fields. In all five extremists were killed. During search large quantity of arms and ammunition were recovered from the dead extremists.

In this encounter Shri Anil Kumar Sharma, Senior Superintendent of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from the 5th June, 1990.

A. K. UPADHYAY
Director

No. 76-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of Punjab Police.

Names and ranks of the officers

Shri Joginder Singh,
Deputy Superintendent of Police,
Ferozepur.

Shri Ram Singh,
Sub-Inspector of Police,
Ferozepur.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 5th June, 1990 Shri Joginder Singh Johal, Deputy Superintendent of Police (Headquarters), Ferozepur and Sub-Inspector Ram Singh, SHO, P.S. Mallanwala alongwith other police personnel were present at Basti Chamrian Wali for the recovery of one of one kidnapped person Dev Singh Harijan. They cordoned the area and warned the people that if there was any man of suspicious character, he may surrender but no one came forward. Thereafter they started house to house search. As they entered the house of Lal Singh Sarpanch, heavy firing came from inside the house. The police party returned the fire in self-defence. Sub-Inspector Ram Singh who had entered the house was fired upon by terrorists but he immediately took position behind some wheat bags and fired on the extremist with his service revolver. The shots fired by the extremists on Sub-Inspector Ram Singh hit the wheat bags and the wall of the house. The exchange of fire continued for about one hour. During the exchange of fire one terrorist, Dev Singh Harijan, Lal Singh Sarpanch and his brother Harbhajan Singh were killed. Thereafter four terrorists started running into the fields by scaling the wall while firing with their weapons.

Shri Joginder Singh and his partymen chased the terrorists in his vehicle and succeeded in killing two extremists in the fields. The remaining two extremists who were running ahead in the fields tried to escape.

In the meantime Shri Anil Kumar Sharma, Senior Superintendent of Police, Ferozepur, who had gone to visit the scene of crime in village Ratokka and was on way back to Ferozepur, received information through wireless about the encounter and escape of two extremists. He immediately directed Shri Joginder Singh Johal to tighten the cordon and Police Control Room, Ferozepur for re-inforcements. After crossing Basti Vakilanwali when Shri A. K. Sharma and party took right turn, they noticed two terrorists with automatic weapons about 300 yards away. Shri Sharma immediately came out of his vehicle and challenged the terrorists to stop. But the extremists ignoring the warning started firing on Shri Sharma and his gunmen. On this Shri Sharma took L.A.R. from one of the gunmen and opened fire. Shri Sharma felt that the firing has not the desired effect, he decided to advance towards the terrorists by crawling. As the distance was much he took his Gypsy and drove it in kacha fields, inspite of heavy firing from the terrorists. Then Shri Sharma and his party crawled towards the terrorists. From a very close range Shri Sharma carried out heavy firing as a result of this two terrorists were killed at the spot in the paddy fields. In all five extremists were killed. During search large quantity of arms and ammunition were recovered from the dead extremists.

In this encounter Shri Joginder Singh, Deputy Superintendent of Police and Shri Ram Singh, Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 5th June, 1990.

A. K. UPADHYAY
Director

No. 77-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Punjab Police.

Name and Rank of the Officer

Shri Dalbir Singh,
Inspector of Police,
District Tarn Taran.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 25th August, 1990, at about 6.45 PM Inspector Dalbir Singh of 1st Commando Battalion, PAP deployed at P.S. Patti, Distt. Tarn Taran was returning from duty in Punjab Roadways Bus bound for Patti from Amritsar. The bus was escorted by three personnel of Punjab Police (including Head Constable Ravail Singh). When the bus reached near village Jhando-Ke on Tarn Taran-Patti Road, one of the terrorists travelling in the same bus opened fire on Constable Rajinder Singh with his revolver and injured him. The terrorist then ordered the Driver to stop the bus with a warning that the persons of a particular community and policemen travelling in the bus will be killed. Inspector Dalbir Singh who was sitting near the front door in plain clothes, from where the terrorist was firing, he immediately got up and grappled with the terrorist and got him down under his knees and succeeded in snatching his revolver. Another terrorist, who was also in the same bus ran towards Inspector Dalbir Singh to free his companion. Inspector Dalbir Singh could not use the pistol, which he had snatched from the terrorist as he had to grapple with both the terrorists.

In the meanwhile, two terrorists, who were standing near the rear door forcibly snatched the stengun from Constable Revail Singh but due to his presence of mind and quick reflexes, detached magazine from the stengun. Simultaneously, Constable Ravail Singh hit the terrorist on his hand in which he was holding a revolver with magazine, as a result of this the revolver fell down and the same was picked up by the Constable. Then Shri Revail Singh fired on the terrorist, who fell down from the rear door of the bus. On seeing this the other terrorist took the injured terrorist and ran away with the snatched stengun. After that Constable Ravail Singh came forward and shot dead one of the terrorists, who were grappling with Inspector Dalbir Singh. In the meantime Inspector Dalbir Singh shot dead the other terrorist with the snatched pistol of the terrorist. In the process Inspector Dalbir Singh received head injuries. Due to firing in the bus, all the passengers including driver and conductor of the bus fled away. Thereafter Constable Ravail Singh drove the bus with police personnel and two dead bodies of the terrorists for Patti. The injured police personnel evaculated to Kukkar Hospital, Amritsar for further treatment. The dead terrorist were later identified as Sukhdev Singh alias Sukha and Kulwant Singh Babbar. During search one Mouser Revolver, one .455 bore revolver, 2 Magazines and about 15 cartridges were recovered.

In this encounter Shri Dalbir Singh, Inspector of Police displaced conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 25th August, 1990.

A. K. UPADHYAY
Director

No. 78-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Punjab Police.

Name and Rank of the Officer

Shri Ravail Singh,
Head Constable,
District Taran Taran.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 25th August, 1990, at about 6.45 PM Inspector Dalbir Singh of 1st Commando Battalion, PAP deployed at P. S. Patti, Distt. Taran Taran was returning from duty in

Punjab Roadways Bus bound for Patti from Amritsar. The bus was escorted by three personnel of Punjab Police (including Head Constable Ravail Singh). When the bus reached near village Jhando-Ke on Tarn Taran-Patti Road, one of the terroists travelling in the same bus opened fire on Constable Rajinder Singh with his revolver and injured him. The terrorist then ordered the Driver to stop the bus with a warning that the persons of a particular community and policemen travelling in the bus will be killed. Inspector Dalbir Singh who was sitting near the front door in plain clothes, from where the terrorist was firing, he immediately got up and grappled with the terrorist and got him down under his knees and succeeded in snatching his revolver. Another terrorist, who was also in the same bus ran towards Inspector Dalbir Singh to free his companion. Inspector Dalbir Singh could not use the pistol, which he had snatched from the terrorist as he had to grapple with both the terrorists.

2. In the meanwhile, two terrorists, who were standing near the rear door forcibly snatched the stengun from Constable Revail Singh but due to his presence of mind and quick reflexes, detached magazine from the stengun. Simultaneously, Constable Revail Singh hit the terroist on his hand in which he was holding a revolver with magazine, as a result of this the revolver fell down and the same was picked up by the Constable. Then Shri Revail Singh fired on the terrorist, who fell down from the rear door of the bus. On seeing this the other terrorist took the injured terrorist and ran away with the snatched stengun. After that Constable Revail Singh came forward and shot dead one of the terrorists, who were grappling with Inspector Dalbir Singh. In the meantime Inspector Dalbir Singh shot dead the other terrorist with the snatched pistol of the terrorist. In the process Inspector Dalbir Singh received head injuries. Due to firing in the bus, all the passengers including driver and conductor of the bus fled away. Thereafter Constable Ravail Singh drove the bus with police personnel and two dead bodies of the terrorists for Patti. The injured Police personnel evaculated to Kakkar Hospital, Amritsar for further treatment. The dead terrorists were later identified as Sukhdev Singh alias Sukha and Kulwant Singh Babbar. During search one Mouser Revolver, one .455 bore revolver, 2 Magazines and about 15 cartridges were recovered.

In this encounter Shri Ravail Singh, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 25th August, 1990.

A. K. UPADHYAY,
Director.

No. 79-Pres 92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Punjab Police.

Name and rank of the officer

Shri Gurmail Singh (*Posthumous*)
Constable,
District Ferozepur.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 11th October, 1990, information was received that four extremists were hiding in the house of one Dare Singh at Basti Zamman, P. S. Sadar Ferozepur. A police party under the command of Deputy Supdt. of Police, Headquarters, Ferozepur (including Constable Gurmail Singh) conducted a raid to arrest the extremists. On seeing the police party the extremists, who were well armed, started firing on the police party and ran towards the railway track. The Police party chased the extremists and sent a message about the incident to the officer at Headquarters. When the extremists and the chasing police party reached near village Bhadru, Constable Gurmail Singh went forward and fired at one of the extremists and shot him dead. Thereafter two extremists ran towards village Bhadru and one who was injured during the exchange of fire, started heavy firing on the police parties. Constable Gurmail Singh, who was very close to the injured extremists started wriggling towards him but the extremists fired a brust at Constable Gurmail Singh, as a result of this he died on the spot. The other police personnel resorted to heavy firing on the extremist and killed him.

The remaining two extremists entered into the house of one Tarnail Singh, Basti lasa Wali Attari, took positions and started heavy firing on the police personnel. In the meantime reinforcements reached the spot and they cordoned the house. During the exchange of fire the extremists were compelled to come out of the house and both the extremists were shot dead. The four killed extremists were later identified as Dial Singh alias Dhola, Joga Singh, Fateh Singh and Harjit Singhy Mann. During search large quantity of arms and ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Gurmail Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5 with effect from the 11th October, 1990.

A. K. UPADHYAY,
Director.

No. 80-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Punjab Police.

Names and Ranks of the Officers

Shri S. P. S. Basra,
Superintendent of Police,
Ropar.

Shri Dinkar Gupta,
Assistant Superintendent of Police.
Ropar.

Shri Baldev Singh (*Posthumous*)
Head Constable,
Ropar.

Shri Gurmit Singh,
Constable,
Ropar.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 26th May, 1991, it was decided to launch a special search operation in village Chitmala. During the course of search, the inmates of the house of one Sardara Singh refused to open the door. Head Constable Baldev Singh alongwith his party jumped in the court-yard of the house. Even before they could take position they were fired upon by the terrorists hiding inside. Head Constable Baldev Singh, though struck by bullets and injured, he very badly returned the fire with his SLR. The Police personnel took position and returned the fire. Simultaneously the message was flashed about the incident. Shri Baldev Singh engaged the terrorists for about 20 minutes.

S/Shri S. P. S. Basra, Supdt. of Police, Operations and Dinkar Gupta, Asstt. Supdt. of Police, Rural, Ropar, who were in the nearby village carrying out search, received the message and immediately rushed to the place of encounter. On reaching there, they assessed the situation. They virtually jumped into the gun battle without caring for their personal safety. Shri Basra climbed the wall on the roof and came down through stairs and took position. Shri Gupta entered the house through the main gate in the bullet proof Gypsy. While Shri Basra engaged the terrorists and gave covering fire. Shri Gupta physically lifted the injured Shri Baldev Singh and rushed him to hospital, where he was declared dead. After this Shri Gupta took position behind a Tractor parked in the courtyard.

The terrorists were firing intermittently through the windows of the three rooms in the rear of the house. The gunmen of both the officers and all the police personnel engaged the terrorists. A fierce encounter took place. Realising that they were being cornered and will be no

match with the determination of the bold officers, the terrorist's managed to escape through the rear window of the last room. Thereafter there was lull for some time. Both the officers decided to storm the house, while firing with their respective weapons. They crossed the courtyard varandah and stepped tactically in the rooms. After carrying out a thorough search of the house, they informed SSP, Ropar who had meanwhile reached the spot and took command of the operation.

Thereafter S/Shri Basra and Gupta started search of the adjoining houses. As the party led by Shri Gupta entered the house of Gurmail Singh and approached the rooms, the terrorists hiding there opened fire on the police party. Constable Gurmit Singh, gunman of Shri Gupta, got the first burst on his face and fell down injured. Before falling down Shri Gurmit Singh fired few bursts from his LMG. Shri Gupta immediately took position and crawled for cover behind a nearby foundation wall, kept the hide-out of terrorists under heavy fire and not allowed them to come out. On seeing this Shri Basra decided to go on top of the rooms in which the terrorists were hiding so that the lives of Shri Gupta and Constable Gurmit Singh could be saved. As one of the terrorists tried to catch hold of the LMG of injured Constable Gurmit Singh, Shri Gupta immediately stood up and fired at the terrorist and killed him on the spot.

In the meantime SSP, Ropar and Shri Basra made holes in the roof and sprayed bullets on the terrorists inside the rooms. The terrorists entrenched in the rooms directed their fire towards the roof top and the bullets came piercing through the thin ceiling and both the officers has a providential escape. Seeing that the LMG/AK-47 Rifle fire proved ineffective, Shri Basra lobbed four HE-36 grenades in quick succession through the holes. Simultaneously Shri Gupta braving the bullets charged ahead and retrieved injured Constable Gurmit Singh to a safe place. Thereafter, firing from the terrorists side stopped. During search three dead bodies of terrorists were recovered from the rooms and one from outside. The dead terrorists were later identified as Kabul Singh alias Sodi, Kabul Singh alias Nikku, Karpora Singh and Harminder Singh alias Bahadur. On further search 3 AK-47 Rifles, 1 Revolver, 2 stick bombs, 1 Mouser and large quantity of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri S. P. S. Basra, Supdt. of Police, Shri Dinkar Gupta, Asstt. Supdt. of Police, Shri Baldev Singh, Head Constable and Shri Gurmit Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 26th May, 1991.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 81-Pres/92.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallanry to the undermentioned Officer of Punjab.

Name and rank of Officer

Shri Ajit Singh (*Posthumous*)
Deputy I.G. of Police (Border Range)
Amritsar.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 6th May, 1991 some extremists dragged one Head Constable from a bus near village Gohalwar and later shot him dead. They also kidnapped two bus passengers for ransom. In view of the aforesaid situation Shri Narinderpal Singh, Sr. Supdt. of Police, Taran Taran ordered a thorough search of some villages and twelve parties comprising of Punjab Police/CRPF personnel were formed.

The operation started on the morning of 7-5-1991 and it was known that the extremists were seeking shelter in village Rataul, P. S. City Tarn Taran. Immediately the village was cordoned off and initial efforts led to the safe recovery of two kidnapped persons viz. Madan Lal and Kishan Lal. On questioning, they informed that some armed extremists with sophisticated weapons were hiding in the village. In the meantime Shri Narinder Pal Singh, SSP reached the village, took stock of the situation and search operation started. During search of the house of one Balbir Singh a bunker under the poultry farm in the compound of the house was found. Very prudently the bunker was cleared and some weapons were recovered and the extremists hiding there escaped to adjoining houses. In the meantime, two extremists escaped from a nearby house and managed to enter in an adjoining building that had morchas on its first floor as Shri Sukhdev Singh Dy. Supdt. of Police, Tarn Taran reached near the suspected house, he was fired upon by the terrorists. Shri Sukhdev Singh returned the fire effectively. Shri Narinder Pal Singh with his party shifted to a nearby house and opened heavy firing on the extremis's in a bid to provide covering fire to Shri Sukhdev Singh so that he could shift to a safer position. Despite grave risk to his life, he alongwith his gunmen kept on facing the situation valiantly. In the exchange of fire Constable Amrik Singh fell to the terrorists bullets whereas Shri Sukhdev Singh sustained serious bullet injuries. Inspite of all this Shri Sukhdev Singh kept on firing on the terrorists. Finding no way out Shri Narinder Pal Singh and his party tightened the cordon of this particular house and meticulously engaged the entrenched terrorists in heavy exchange of fire, as a result of this both the extremists were killed. Therefore, injured Shri Sukhdev Singh was removed to hospital.

In view of the sun set, a search operation was suspended and more emphasis was laid on cordoning the village. Army was also requisitioned to strengthen the outer cordon. During the night intermittent firing was resorted to by the extremists in abid to sneak through the cordon, as a result of this one Army Jawan was killed and one terrorist viz. Dilbag Singh alias Bagga was apprehended. On the following day i.e. 8-5-1991, Shri Narinder Pal Singh reviewed the situation afresh and briefed his officers and men engaged in the encounter about the strategy to be adopted. Shri Ajit Singh, DIG of Police, Border Range, Amritsar also reached the spot, he alongwith his force covered the eastern side whereas Shri Narinder Pal Singh with his party covered the southern side of the village. By this time, the wall entrenched terrorists resumed heavy firing from different positions making it almost difficult to pin point their positions. Unmindful to the grave risk, Shri Narinder Pal Singh alongwith his gunmen advanced with a view to narrow down the cordon. In the exchange of firing one gunman viz. Palwinder Singh and an army Jawan sustained serious bullet injuries. This did not deter Shri N. P. Singh, he came under heavy fire and received bullet injury on his thigh. Although bleeding profusely, he changed his position and noticed that two extremists were firing desperately at the police party. Realising the situation, Shri N. P. Singh fired heavily on these two extremists and managed to kill one of them thus brought the situation under control to some extent. Over VHF set, he guided his officials to move ahead to clear the position of the extremists. Subsequently, Shri N. P. Singh who was lying in injured condition was shifted to Amritsar.

In the meantime, Shri Ajit Singh DIG of Police continued to mount pressure against the well entrenched terrorists. He changed his position to safer place to take fresh stock of the situation so that final thrust on the extremists could be launched. As he was directing his men to concentrate heavy firing, a bullet hit him in the chest. This did not deter him and his men to retreat and they worked like shield to prevent the extremists from causing further damage to security personnel. Under heavy odds, Shri Ajit Singh was retrieved and shifted to Hospital where he succumbed to his injuries.

In the heavy exchange of fire Constable Harbhajan Singh of the Commando Battalion in his committed bid to face the terrorists assault kept on firing at the extremists. He alone gave a tough resistance for about two hours and finally managed to kill one of the extremists, although he was badly injured. He successfully accomplished the unfinished task of Shri Ajit Singh. In another pitched battle

in the centre of village Head Constable Tejinder Singh and one Constable of CRPF received bullet injuries.

The above encounter one of the fierest in the history of the State, resulted in the death of five security personnel and seven extremists. The officials involved in the encounter under the able guidence of senior officers exhibited courage of highest order and fought the toughest situation valiently. In this encounter Shri Ajit Singh, IPS, DIG Police, Border Range Amritsar also laid down his life while fighting the terrorists. The dead extremists were later identified as 1. Harinder Singh alias Jinda, 2. Lakhwinder Singh alias Lakha son of Amrit Singh, 3 Lakhwinder Singh alias Lakha son of Sucha Singh; 4. Mehar Singh alias Major Singh; 5. Amrik Singh alias Kala; 6. Jagtar Singh and 7. Shinda alias Shindi. During search large quantity of arms and ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Ajit Singh, Deputy Inspector General of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th May, 1991.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 82-Pres/92.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for galantry to the undermentioned Officer of Punjab.

Name and rank of Officer

Shri Narinderpal Singh,
Senior Supdt. of Police,
Tarn Taran.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 6th May, 1991 some extremists dragged one Head Constable from a bus near village Gohalwar and late shot him dead. They also kidnapped two bus passengers for ransom. In view of the aforesaid situation Shri Narinderpal Singh, Sr. Supdt. of Police, Tarn Taran ordered a thorough search of some villages and twelve parties comprising of Punjab Police/CRPF personnel were formed.

The operation started on the morning of 7-5-1991 and it was known that the extremists were seeking shelter in village Rataul, P. S. City Tarn Taran. Immediately the village was cordoned off and initial efforts led to the safe recovery of two kidnapped persons viz. Madan Lal and Kishan Lal. On questioning, they informed that some armed extremists with sophisticated weapons were hiding in the village. In the meantime Shri Narinder Pal Singh, SSP reached the village, took stock of the situation and search operation started. During search of the house of one Balbir Singh a bunker under the poultry farm in the compound of the house was found. Very prudently the bunker was cleared and some weapons were recovered and the extremists hiding there escaped to adjoining houses. In the meantime, two extremists escaped from a nearby house and managed to enter in an adjoining building that had morchas on its first floor. As Shri Sukhdev Singh Dy. Supdt. of Police, Tarn Taran reached near the suspected house he was fired upon by the terrorists. Shri Sukhdev Singh returned the fire effectively. Shri Narinder Pal Singh with his party shifted to a nearby house and opened heavy firing on the extremists in a bid to provide covering fire to Shri Sukhdev Singh so that he could shift to a safer position. Despite grave risk to his life, he alongwith his gunmen kept on facing the situation valiantly. In the exchange of fire Constable Amrik Singh fell to the terrorists bullets whereas Shri Sukhdev Singh sustained serious bullet injuries. Inspite of all this Shri Sukhdev Singh kept on firing on the terrorists. Finding no way out Shri Narinder Pal Singh and his party tightened the cordon of this particular house and meticulously engaged the entrenched terrorists in heavy exchange of fire, as a result of this both the extremists were killed. Therefore, injured Shri Sukhdev Singh was removed to hospital.

In view of the sun set, a search operation was suspended and more emphasis was laid on cordoning the village. Army was also requisitioned to strengthen the outer cordon. During the night intermittent firing was resorted to by the extremists in abid to sneak through the cordon, as a result of this one Army Jawan was killed and one terrorists viz. Dilbag Singh alias Bagga was apprehended. On the following day i.e. 8-5-1991, Shri Narinder Pal Singh reviewed the situation afresh and briefed his officers and men engaged in the encounter about the strategy to be adopted. Shri Ajit Singh, DIG of Police, Border Range, Amritsar also reached the spot, he alongwith his force covered the eastern side whereas Shri Narinder Pal Singh with his party covered the southern side of the village. By this time, the wall entrenched terrorists resumed heavy firing from different positions making it almost difficult to pin point their positions. Unmindful to the grave risk, Shri Narinder Pal Singh alongwith his gunmen advanced with a view to narrow down the cordon. In the exchange of firing one gunman viz. Palwinder Singh and an army Jawan sustained serious bullet injuries. This did not deter Shri N. P. Singh, he came under heavy fire and received bullet injury on his thigh. Although bleeding profusely, he changed his position and noticed that two extremists were firing desperately at the police party. Realising the situation Shri N. P. Singh fired heavily on these two extremists and managed to kill one of them thus brought the situation under control to some extent. Over VHF set he guided his officials to move ahead to clear the position of the extremists. Subsequently, Shri N. P. Singh who was lying in injured condition was shifted to Amritsar.

In the meantime, Shri Ajit Singh, DIG of Police continued to mount pressure against the well entrenched terrorists. He changed his position to safer place to take fresh stock of the situation so that final thrust on the extremists could be launched. As he was directing his men to concentrate heavy firing, a bullet hit him in the chest. This did not deter him and his men to retreat and they worked like shield to prevent the extremists from causing further damage to security personnel. Under heavy odds, Shri Ajit Singh was retrieved and shifted to Hospital where he succumbed to his injuries.

In the heavy exchange of fire Constable Harbhajan Singh of the Commando Battalion in his committed bid to face the terrorists assault kept on firing at the extremists. He alone gave a tough resistance for about two hours and finally managed to kill one of the extremists, although he was badly injured. He successfully accomplished the unfinished task of Shri Ajit Singh. In another pitched battle in the centre of village Head Constable Tejinder Singh and Constable Rajinder Singh died valiantly facing the gravest situation and one Constable of CRPF received bullet injuries.

The above encounter one of the firest in the history of the State, resulted in the death of five security personnel and seven extremists. The officials involved in the encounter under the able guidance of senior officers exhibited courage of highest order and fought the toughest situation valiently. In this encounter Shri Ajit Singh, IPS, DIG Police, Border Range Amritsar also laid down his life while fighting the terrorists. The dead extremists were later identified as 1. Harinder Singh alias Jinda, 2. Lakhwinder Singh alias Lakha son of Amrik Singh, 3. Lakhwinder Singh alias Lakha son of Sucha Singh, 4. Mehar Singh alias Major Singh, 5. Amrik Singh alias Kala, 6. Jagtar Singh and 7. Shinda alias Shindi. During search large quantity of arms and ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Narinderpal Singh, Sr. Superintenden of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th May, 1991.

A. K. UPADHYAY, Director

No. 83-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of Punjab.

Name and rank of Officer

Shri Sukhdev Singh Bhatti,
Deputy Supdt. of Police
Tarn Taran.

Shri Harbhajan Singh,
Constable
1st Battalion,
PAP Commando.

Shri Tejinder Singh. (Posthumous)
Head Constable,
Tarn Taran.

Shri Amrik Singh (Posthumous)
Constable
Tarn Taran.

Shri Rajinder Singh, (Posthumous)
Constable
Tarn Taran.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 6th May, 1991 some extremists dragged one Head Constable from a bus near village Gohalwar and late shot him dead. They also kidnapped two bus passengers for ransom. In view of the aforesaid situation Shri Narinder Pal Singh, Sr. Supdt. of Police, Tarn Taran ordered a thorough search of some villages and twelve parties comprising of Punjab Police/CRPF personnel were formed.

The operation started on the morning of 7-5-1991 and it was known that the extremists were seeking shelter in village Ratauli, P.S. City Tarn Taran. Immediately the village was cordoned off and initial efforts led to the safe recovery of two kidnapped persons viz. Madan Lal and Kishan Lal. On questioning, they informed that some armed extremists with sophisticated weapons were hiding in the village. In the meantime Shri Narinder Pal Singh, SSP reached the village, took stock of the situation and search operation started. During search of the house of one Balbir Singh a bunker under the poultry form in the compound of the house was found. Very prudently the bunker was cleared and some weapons were recovered and the extremists hiding there escaped to adjoining houses. In the meantime, two extremists escaped from a nearby house and managed to enter in an adjoining building that had morchas on its first floor. As Shri Sukhdev Singh Dy. Supdt. of Police, Tarn Taran reached near the suspected house, he was fired upon by the terrorists. Shri Sukhdev Singh returned the fire effectively. Shri Narinder Pal Singh with his party shifted to a nearby house and opened heavy firing on the extremists in a bid to provide covering fire to Shri Sukhdev Singh so that he could shift to a safer position. Despite grave risk to his life, he alongwith his gunmen kept on facing the situation valiantly. In the exchange of fire Constable Amrik Singh fell to the terrorists bullets whereas Shri Sukhdev Singh sustained serious bullet injuries. Inspite of all this Shri Sukhdev Singh kept on firing on the terrorists. Finding no way out Shri Narinder Pal Singh and his party tightened the cordon of this particular house and meticulously engaged the entrenched terrorists in heavy exchange of fire, as a result of this both the extremists were killed. Therefore, injured Shri Sukhdev Singh was removed to hospital.

In view of the sun set, a search operation was suspended and more emphasis was laid on cordoning the village. Army was also requisitioned to strengthen the outer cordon. During the night intermittent firing was resorted to by the extremists in abid to sneak through the cordon, as a result of this one Army Jawan was killed and one terrorist viz. Dilbag Singh alias Bagga was apprehended. On the following day i.e. 8-5-1991, Shri Narinder Pal Singh reviewed the situation afresh and briefed his officers and men engaged in the encounter about the strategy to be adopted. Shri Ajit Singh, DIG of Police, Border Range, Amritsar also reached the spot, he alongwith his force covered the eastern side whereas Shri Narinder Pal Singh with his party covered the southern side of the village. By this time, the wall entrenched terrorists resumed heavy firing from different positions making it almost difficult to pin pont their positions. Unmindful to the grave risk, Shri Narinder Pal Singh alongwith his gunmen advanced with a view to narrow down the cordon. In the exchange of firing one gunman viz. Palwinder Singh and an army Jawan sustained serious bullet injuries. This did not deter Shri N. P. Singh, he came under heavy fire and received bullet injury on his thigh. Although bleeding profousely, he changed his position and noticed that two extremists were firing desperately at the police party. Realising the situation, Shri N. P. Singh fired heavily on these two extremists and managed to kill one of them thus brought the situation under control to some extent. Over VHF set, he guided his officials to move ahead to clear the position of the extremists. Subsequently, Shri N. P. Singh who was lying in injured condition was shifted to Amritsar.

In the meantime, Shri Ajit Singh, DIG of Police continued to mount pressure against the well entrenched terrorists. He changed his position to safer place to take fresh stock of the situation so that final thrust on the extremists could be launched. As he was directing his men to concentrate heavy firing, a bullet hit him in the chest. This did not deter him and his men to retreat and they worked like shield to prevent the extremists from causing further damage to security personnel. Under heavy odds, Shri Ajit Singh was retrieved and shifted to Hospital were he succumbed to his injuries.

In the heavy exchange of fire Constable Harbhajan Singh if the Commando Battalion in his committed bid to face the terrorists assault kept on firing at the extremists. He alone gave a tough resistance for about two hours and finally managed to kill one of the extremists, although he was badly injured. He successfully accomplished the unfinished task of Shri Ajit Singh. In another pitched battle in the centre of village Head Constable Tejinder Singh and Constable Rajinder Singh died valiantly facing the gravest situation and one Constable of CRPF received bullet injuries.

The above encounter one of the fierest in the history of the State, resulted in the death of five security personnel and seven extremists. The officials involved in the encounter under the able guidance of senior officers exhibited courage of highest order and fought the tougrest situation valiently. In this encounter Shir Ajit Singh, IPS, DIG Police, Border Ranger Amritsar also laid down his life while fighting the terrorists. The dead extremists were later identified as 1. Harinder Singh alias Jinda, 2. Lakhwinder Singh alias Lakha son of Amrik Singh, 3. Lakhwinder Singh alias Lakha son of Sucha Singh, 4. Mehar Singh alias Major Singh, 5. Amrik Singh alias Kala, 6: Jagtar Singh and 7. Shinda alias Shindi. During search large quantity of arms and ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Sukhdev Singh Bhatti, Dy. S.P. Shri Tejinder Singh, Head Constable, Shri Harbhajan Singh, Constable, Shri Amrik Singh, Constable and Shri Rajinder Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th May, 1991.

A. K. UPADHYAY
Director

No. 84-Pres '92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Punjab Police :—

Name and rank of the officer

Shri Mohinder Singh,
Deputy Supdt. of Police,
Anandpur Sahib,

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 8th June, 1991 Senior Supdt of Police, Ropar received information that some terrorists were hiding in village Saidpur, P.S. Nurpur Bedi. He directed Shri Mohinder Singh, Deputy Supdt. of Police, Anandpur to conduct the raid on the hide-out. Shri Mohinder Singh alongwith other police personnel left at about 11.45 P.M. for raid on the suspected hide-out. When the police reached near a School building of Saidpur, it came under heavy fire from automatic weapons of the terrorists hiding in the building. The first party immediately took positions and returned the fire. Sensing grave danger to the lives of SHO, Nurpur Bedi and his party, Shri Mohinder Singh immediately planned to raid the hide-out from right side of the School building.

After complete cordon of the building, Shri Mohinder Singh loundly ordered his party personnel to charge ahead, this also served as signal for the SHO Nurpur Bedi and party to stop the firing Then Shri Mohinder Singh and his party personnel sealed the boundary wall, jumped inside the school compound with his party and charged on the terrorists while firing indiscriminately on the terrorists. When the party was about 30—40 yards away from the terrorists hide-out, the terrorists lobbed hand-graneds on the police party. Without loosing his nerves, Shri Mohinder Singh took lying position and also ordered his men to take lying position. The grenades exploded near the police party and the splinters passed over the police personnel lying on the ground. The terrorists kept on firing on the police personnel but Shri Mohinder Singh and his party personnel escaped unhurt. Shri Mohinder Singh enterenched himself behind a small sand dune and fired heavily on the terrorists hide-out. Simultaneoupsly, he ordered SHO Nurpur Bedi to cordon the front and left side of the hide-out. Sensing that they were being cornered from all sides, the terrorists made a desperate attempt to escape towards the mand area from the direction adjacent to the position of Shri Mohinder Singh.

In a daring move, without caring for his personnel safety Shri Mohinder Singh ran after the fleeing terrorists and pounced on one of the terrorists. There was a scuffle with one of the terrorists. During the scuffle Shri Mohinder Singh lost grip of his AK-47 rifle, which fell down. Keeping his cool and taking all the risk he was able to snatch the AK-47 rifle of the terrorist. When the terrorist tried to escape after eleasing himself from the clutches of Shri Mohinder Singh, he fired on the terrorist and killed him on the spot. However, the other terrorist escaped into the mand area taking advantage of the darkness and the elephant grass. On search one dead body of terrorist was recovered who was later indentified as Sohan Singh. During search one AK-47 rifle, one magazine of AK-47 and large number of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter. The dead terrorist of Babbar Khalsa international was involved in a large number of heinous crimes.

In this encounter Shri Mohinder Singh, Deputy Supdt. of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently caries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 8th June, 1991.

A. K. UPADHYAY,
Director

No. 85-Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Punjab Police :—

Name and rank of the officer

Shri Siddarth Chattopadhyaya,
Senior Supdt. of Police,
District Ferozepur.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 3rd May, 1991, Inspector Nachhettar Singh, SHO, P.S. Dharamkot received information that a hardcore extremist Rajbir Singh alias Fauji and some other hardore extremists were hiding in the abandoned from house of one Kartar Singh, village Lohara, P.S. Dharamkot. He immediately informed Shri Siddarth Chottopadhyaya, Senior Supdt. of Police Ferozepur and Deputy Supdt. of Police, Zire, who immediately reached P.S. Dharamkot alongwith their force.

Therefore, three parties were formed, each headed by SSP, Ferozepur, Dy. S.P. Zira and SHO, P.S. Dharamkot and they cordoned the farm house. Then Shri Chattopadhayaya warned the extremists that the police have surrounded the farm house from all sides and they should surrender. But some extremists hiding on roof-top of the varandah of the farm house opened heavy fire on the police party and jumped into the court-yard of the farm house. The Police returned the fire in self-defence.

After some time, Shri Chattopadhyaya reached near the tubewell room by crawling without caring for the imminent danger to his life. The extremists observed the movement and started heavy firing on the police party. Some shots hit the wall right above the place where Shri Chattopadhyaya had taken lying position on the ground, thus he escaped unhurt. Thereafter Shri Chattopadhyaya and his party members fired on the extremists from the back-side of the broken wall.

Meanwhile, Inspector Nachhattar Singh alongwith his party entered the court-yard by crawling from the main gate, without caring for their personal safety, inspits of heavy firing by the extremists. After reaching near the extremists, the police party opened fire on them. The exchange of fire continued for about two and half hours. Thereafter firing from the extremists side stopped. On search four dead bodies of extremists were recovered, who were later identified as Rajbir Singh alias Fauji, Sukhbir Singh alias Kala, Sukhdev Singh alias Sukha and Kulwant Singh alias Kanta. During search, one AK-47 Rifle, two AK-56 rifles, 12 Rockets, one .303 bore rifle, a landmine, a directional explosive, 3 Kgs. explosive material, 34 detonators and large number of live-empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri S. Chattopadhyaya, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently caries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 3rd May, 1991.

A. K .UPADHYAY,
Director

No. 86Pres/92.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Punjab Police.

Name and rank of the officer

Shri Nachhattar Singh,
Inspector of Police,
District Ferozepur.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 3rd May, 1991, Inspector Nachhettar Singh, SHO, P. S. Dharamkot received information that a hardcore extremist Rajbir Singh alias Fauji and some other hardore extremists were hiding in the abandoned farm house of one Kartar Singh, village Lohara, P.S. Dharamkot. He immediately informed Shri Siddarth Chattopadhyaya, Senior Supdt. of Police Ferozepur and Deputy Supdt. of Police, Zire, who immediately reached P S. Dharamkot alongwith their force.

Therefore, three parties were formed, each headed by SSP, Ferozepur, Dy. S.P. Zira and SHO, P. S. Dharamkot and they cordoned the farm house. Then Shri Chattopadhyaya warned the extremists that the police have surrounded the farm house from all sides and they should surrender. But some extremists hiding on roof-top of the varandah of the farm house opened heavy fire on the police party and jumped into the court-yard of the farm house. The police returned the fire in self-defence.

After some time, Shri Chattopadhyaya reached near the tubewell room by crawling without caring for the imminent danger to his life. The extremists observed the movement and started heavy firing on the police party. Some shots hit the wall right above the place where Shri Chatopadhyaya had taken lying position on the ground, thus he escaped unhurt. Thereafter Shri Chattopadhvaya and his party members fired on the extremists from his back-side of the broken wall.

Meanwhile, Inspector Nachhattar Singh alongwith his party entered the court-yard by the court-vard by crawling from the main gate, without caring for their personal safety, inspite of heavy firing by the extremists. After reaching near the extremists, the police party opened fire on them. The exchange of fire continued for about two and half hours. Thereafter firing from the extremists side stopped. On search four dead bodies of extremists were recovered, who were later identified as Rajbir Singh alias Fauji, Sukhbir Singh alias Kala, Sukhdev Singh alias Sukha and Kulwant Singh alias Kanta. During search, one AK 47 Rifle two AK 56 rifles, 12 Rockets, one .303 bore rifle, a landmine, a directional explosive, 3 Kgs. explosive material, 34 detonators and large number of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Nachhattar Singh, Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 3rd May, 1991.

A. K. UPADHYAY, Director

LOK SABHA SECRETARIAT

(ESTIMATES COMMITTEE BRANCH)

New Delhi-110 001, 15th May 1992

No. 4/2/EC/92.—The following Members of Lok Sabha have been elected to serve on the Committee on Estimates for the term begining on 1st May, 1992 and ending on 30th April, 1993.

1. Shri Abraham Charles
2. Shri Rajendra Agnihotri
3. Shri Mumtaz Ansari
4. Shri Ayub Khan
5. Shri Manoranjan Bhakta
6. Shri Sartaj Singh Chhatwal
7. Shri Somjibhai Damor
8. Shri Pandurang Pundlik Fundkar
9. Shri Santosh Kumar Gangwar
10. Shrimati Girija Devi
11. Shri Nurul Islam
12. Shri R. Jeevarathinam
13. Dr. Viswanatham Kanithi
14. Shri C. K. Kuppuswamy
15. Shri Dharampal Singh Malik
16. Shri Manjay Lal
17. Shri Hannan Mollah
18. Shri G. Devaraya Naik
19. Shri Rupchand Pal
20. Shri Sriballav Panigrahi
21. Shri Harin Pathak
22. Shri Harish Narayan Prabhu Zantye
23. Shri Amar Roy Pradhan
24. Shri Ebrahim Sulaman Sait
25. Shri Moreshwar Save
26. Shri Manabendra Shah
27. Shri Mahadeepak Singh Shakya
28. Shri Rajnath Sonker Shastri
29. Shri Manku Ram Sodhi
30. Shri Braja Kishore Tripathy.

The Speaker has appointed Shri Manoranjan Bhakta, M.P. as the Chairman of the Committee on Estimates (1992-93).

B. B. PANDIT, Director

(DEPARTMENT OF ELECTRONICS)
(ELECTRONICS NIKETAN)

New Delhi-110003, the 20th April 1992

RESOLUTION

No. 15(40)/91-Export.—Government of India has decided to set up BATCOMM Services (India) as an autonomous non-profit making Registered Govt. of India Society under the Administrative control of Department of Electronics for implementing the following in this regard :

(i) SATCOMM Services (India) will be registered as a Society under the Societies Registration ACT-1860 with Registered Office at Electronics Niketan, 6, CGO Compex, Lodhi Road, New Dehi-110003.

(ii) The main objective of SATCOMM Service would be to set up value added high speed data communication facilities and to provide services upto the customer premises to facilitate transfer of data to meet the following requirements :—

(a) Absolutely reliable high speed link to the customer premises at no extra cost.

(b) Ability to provide international high speed links at very short notice.

(c) Ability to provide links at different speeds for different periods and different timings of the day.

(d) A flexible system of charging for the services based on the actual utilisation as per (c) above.

(e) Flexibility of providing access to different countries.

(f) Facility to provide computer connectivity between Indian enterprises and their overseas clients partners.

(iii) The administration and management of the Society will be vested with the Governing Council. The composition of the Governing Council is as follows :

Chairman

(i) Shri N Vital,
Secretary,
Department of Electronics
Govt. of India
6, CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110003.

Ex-Officio Director General

(ii) Shri K. Roy Paul,
Joint Secretary,
Department of Electronics
Govt. of India
6, CGO Complex,
New Delhi-110003.

Members

(iii) Shri S. W. Oak
JS & FA
Department of Electronics
Govt. of India
6, CGO Complex
Lodhi Road,
New Delhi-110003.

(iv) Shri Brijendra K. Syngal,
Chairman and Managing Director,
Videsh Sanchar Nigam Limited,
Mahatma Gandhi Road,
Bombay-400 001.

(v) Shri Ashok Jha,
Joint Secretary,
Ministry of Commerce
Udyog Bhawan,
New Delhi.

(iv) Shri Saurabh Srivastava,
Managing Director,
International Informatics Solutions Pvt. Ltd.
Shri Partap Udyog,
274, Shaheed Captain Gaur Marg,
Srinivas Puri,
New Delhi-110 065.

(vii) Shri F. C. Kohli,
Director,
Tata Consultancy Services,
Air India Building
Nariman Point,
Bombay-400 021.

(viii) Shri N. R. Narayan Murthy,
Managing Director,
INFOSYS Consultants Pvt. Ltd.
K-130, Koramangala,
Bangalore-560034.

(ix) Dr. S. Ramani,
Director,
National Centre for Software Technology,
Gulmohar Cross Road No. 9,
Juhu,
Bombay-400 049.

(x) Shri Harish Mehta,
Managing Director,
Onward Technology Pvt. Ltd.
Eros Building, Church Gate,
Bombay.

Member Secretary

(ix) Shri R. K. Verma,
Additional Director,
Department of Electronics
(Govt. of India),
6, CGO Complex,
New Delhi.

(iv) The Member Secretary of the Council will be the Registrar of the Society.

(v) The Governing Council will be assisted by an Executive Committee which will look after the technical and administrative management of the Society. The Ex-Officio Director General of SATCOMM Services (India) will be its Chairman of the Executive Committee.

(vi) Shri K. Roy Paul, Joint Secretary, Department of Electronics will functions as Ex-officio Director General and Shri R. K. Verma, Addl. Director, Department of Electronics will be its Executive Director.

Hindi version will follow :

S. MURALI, Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

(DEPARTMENT OF SUPPLY)

New Delhi, the 29th May 1992

No. C-18011/3/89-ES1(Pt.).—The President is pleased to appoint Shri Vikram Aditya, Assistant Director of Supplies (Gr. I) in DGS&D as 'Officer on Special Duty' (OSD) in the scale of pay of Deputy Director of Supplies i.e. Rs. 3000-100-3500-125-4500/- on personal basis with effect from 6-4-84 and until his appointment as Deputy Director of Supplies on a regular basis.

2. The aforesaid appointment of Shri Vikram Aditya has been given effect from 6-4-84 in implementation of Central Administrative Tribunal, Principal Bench Judgement on OA No. 642/89 dated 8-11-91.

S. BALASUBRAMANIAN, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 14th May 1992

No. 1(49)/90-CTM.—In continuation and partial modification of the Notification of even number dated 1st April, 1992, the Government of India have decided to include the following additional non-official members on the Cotton Advisory Board :—

GROWERS

1. Shri K. Sundermurthy,
K. G. F. Kolar District,
Karnataka.

2. Shri Surendra Singh Rajput,
Ex-MLA,
Gandhinagar,
Gujarat.

3. Shri Bansilal Dhritlahre,
Former Minister,
63, MIG, MLA Quarters,
Bhopal (MP).

2. The Board will advise the Government generally on matter pertaining to production, consumption and marketing of cotton including matters within the purview of the Cotton Control Order, 1986 and also provide a forum for liason between the cotton textile mill industry, the cotton growers, the cotton trade and the Government.

3. The members of the reconstituted Board will serve on the Board upto 31st August, 1994.

4. The non-official members will be allowed TA/DA for attending the meetings of the CAB in accordance with the instructions of the Ministry of Finance.

5. The attendance in the meeting of the Board is restricted to the members only.

ORDER

ORDERED that a copy of this Notification be communicated to all concerned.

ORDERED also that it be published in the Gazette of India.

R. R. SINGH, Director

(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

New Delhi, the 27th May 1992

(ARCHAEOLOGY)

No. F.32/33/88-M.—In pursuance of the Government of India, Archaeological Survey of India Resolution No. F. 32/33/88-M, dated 17-3-92 and further to the appointments already notified vide notification No. F.32/33/88-M dated 24-3-92, Dr. P. C. Parikh, Director, B. J. Institute of Learning and Research, Ahmedabad nominated by the Chairman from

amongst the recommendations received from the Universities of India has been appointed member of the Central Advisory Board of Archaeology.

M. C. JOSHI, Director General

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENTS)

(DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENTS)

New Delhi, the 28th May 1992

RESOLUTION

No. DGTD/Cer/11(21)/91/641.—In continuation of the Resolution of even Number dated 27-9-91 on the Re-constituted Development Panel for Ceramic Industry for a period of 2 years, Government of India decided to include the following Members in addition to the existing composition of the Panel :—

1. Shri R. M. Mehra,
Ceramic & Management Consultant,
94, Dariyamahal 'A',
80, L. Jagmohandas Marg,
Bombay-400 006.

2. Shri S. K. Ghosh,
Managing Director,
Allied Ceramic Ltd.,
91, Lenin Sarani,
Calcutta-700 017.

There is no other change in respect of the composition of the panel and the terms of reference.

ORDER

ORDERED that copy of the resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

MADAN MOHAN, Director (Admn.)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING)

New Delhi, the 9th March 1992

RESOLUTION

No. 3-14/87-IDT.—In continuation of this Ministry's Resolution No. 3-14/87-LDT dated 6th September, 1988, and subsequent amendments issued from time to time the Government of India have decided to reconstitute the Gosamvardhana Advisory Council for a further period of three years with immediate effect.

Composition of the Gosamvardhana Advisory Council

Composition of the reconstituted Council will be as follows :—

Chairman

1. Minister for Agriculture,
Krishi Bhavan, New Delhi.

Vice-Chairman

2. Minister of State (DARE, A. H. & Dairying),
Krishi Bhavan, New Delhi.

Members

3. Secretary,
Deptt. of Animal Husbandry & Dairying,
Ministry of Agriculture,
Krishi Bhavan, New Delhi.

4. Animal Husbandry Commissioner,
Deptt. of Animal Husbandry & Dairying,
Ministry of Agriculture,
Krishi Bhavan, New Delhi.

5. Deputy Director-General (AS),
ICAR,
Krishi Bhavan, New Delhi.

6. Joint Secy. (Animal Husbandry),
Deptt. of Animal Husbandry & Dairying,
Ministry of Agriculture,
Krishi Bhavan, New Delhi.

7. Joint Secy. (Dairy Development),
Deptt. of Animal Husbandry & Dairying,
Ministry of Agriculture,
Krishi Bhavan, New Delhi.

8. Joint Secy. (IRD),
Ministry of Rural Development,
Krishi Bhavan, New Delhi.

9. Chairman,
National Dairy Development Board,
Anand,
Gujarat.

10. Director of Animal Husbandry,
Punjab, Chandigarh.

11. Director of Animal Husbandry,
Kerala, Thiruvananthapuram.

12. Director of Animal Husbandry,
U.P., Lucknow.

13. Director of Animal Husbandry,
Orissa, Cuttack.

14. Shri Swami Anandbodh Sarswati,
President,
Sarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha,
Maharshi Dayanand Bhavan,
Ramlila Grounds, New Delhi-110 002.

15. Shri Swami Gorakshinand Sarswati,
Organiser, Shri Goshala Baba Phulusadh,
Post Uchana Khurd, Distt. Jind (Haryana).

16. Shri Ram Singh Rathor,
President, Maharshi Dayanand Gosamvardhana
Dugdh Kendra, 25-1, Yashvant Niwas Road,
2nd Floor, Indore, Madhya Pradesh.

17. Shri Prem Chand Gupta,
Ex. Member, Metropolitan Council,
Executive President, Bharat Go-Sewak Samaj,
4-17, Roop Nagar, Delhi-110 001.

18. Shri Rampal Agarwal,
Nutan Kamdhenu Pratishthan,
Kamdhenu Lane, Kankar Bagh Road,
Patna (Bihar).

19. Shri Dashrath Bhai Thakur,
Mantri, Bombay Jeev Daya Mandali,
Daya Mandir, 125-127, Mumba Devi Road,
Bombay-3.

20. Shri Dattatray Manjunath Burde,
Panchvati Go Sewa Ashram,
Post Malgi, Ta. Mundgoad,
Distt. North Kannad-581346.

21. Pt. Vandemataram Ramchandra Rao,
11-5-178, Kamla Nilayam,
Goshaw Mahal Stadium,
Hyderabad (A.P.).

22. Shri Ishwar Singh Samota,
Advocate,
Nathdwara Distt. Udaipur, (Rajasthan).

23. Dr. Radhanath Rath,
Padma Bhushan, Ex. Minister, Orissa,
President, Cuttack Goshala and
Editor, 'SAMAJ', Cuttack (Orissa).

24. Dr. Benudhar Mishra,
Utkal Hicross Farm, At & P.O. Dhenkanal,
Distt. Dhenkanal (Orissa).

25. Shri Vidya Sagar,
Bihar Bhoodan Committee,
Kadam Kuan,
Patna-3, (Bihar).

26. Shri Chandi Ram Ji Verma,
Ex-M.L.A.,
Abohar, Punjab.

27. Dr. J. N. Panda,
Retired Director of Veterinary,
At & P.O. Bargarh, Distt. Sambalpur,
Orissa.

28. Two Members of Parliament, One each from two Houses.

29. Two Members of Parliament, One each from two Houses.

Member Secretary

30. Joint Commissioner (LP), Deptt. of Animal Husbandry & Dairying, Min. of Agriculture, Krishi Bhavan, New Delhi.

The functions of this Advisory Council will be as under :—

(i) To review from time to time the schemes relating to the preservation, development, breeding, feeding and marketing of cattle.

(ii) to advise the Central and State Governments on any of the above matters.

(iii) to review and coordinate the activities of the various official and non-official institutions such as state councils of Gosamvardhana, Federation of Gaushalas and Pinjrapoles, on matters relating to the development of Cattle Wealth particularly, development of gaushalas on proper lines;

(iv) to undertake promotional activities for the development of cattle, especially where cooperation of the non-official institutions is required; and

(v) to undertake any other functions as required by the Government of India for the development of cattle wealth in any area of the country.

The Council will meet periodically at such time and place as may be decided by the Chairman.

ORDER

1. ORDERED that a copy of Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and the Departments of Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat and other concerned organisations.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. C. CHOUDHURY, Jt. Secy. (AH)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(TELECOM COMMISSION)

New Delhi-110 001, the 1st June 1992

Subject :—Constitution of a Committee to review the Indian Telegraph Act, 1885 and to recommend suitable amendments.

No. 2-1/91-TCU.—Consequent upon the taking over the charge of Additional Secretary (T) D.O.T., Shri K. K. Sinha has been appointed as Member vice Shri B. N. Bhagwat, on the Committee constituted to review the Indian Telegraph Act, 1885. The committee was constituted vide notification of even number dated 4-11-1991.

R. RAMANUJAM, Jt. Secy.

MINISTRY OF POWER & NON CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

(DEPARTMENT OF POWER)

New Delhi, the 1st May 1992

RESOLUTION

No. 6/8/90-Trans.—In the Department of Power Resolution No. 6/8/90-Trans., dated 4-10-91, the following may be substituted in place of Sl. No. (v) & (vii) in the composition of the North-Eastern Regional Electricity Board :—

(v) The Minister-in-Charge of Power, Meghalaya or his representative.

(vii) "The Minister-in-Charge of Power, Nagaland or his representative".

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the State Governments of Assam, Manipur, Arunachal Pradesh, Tripura, Meghalaya, Nagaland and Mizoram, the State Electricity Boards of Assam and Meghalaya, the NEEPCO, the National Hydro-electrical Power Corporation, the National Power Transmission Corporation, the Central Electricity Authority, the North-Eastern Regional Electricity Board, all Ministries of Government of India, the Prime Minister's Office, the Secretary to the President, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India.

O845854 also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. H. JUNG, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 27th May 1992

No. Q-16012/1/88-ESA(NLI).—Whereas reconstitution of the National Labour Institute was notified vide Notification No. Q-16012/1/88-ESA(NLI), dated the 6th June, 1990.

Now in the said Notification, the following change may be made :—

For the existing entry against serial No. 26 viz :—
"Shri G. S. Lobana,
Joint Secretary,
Ministry of Labour,
Shram Shakti Bhawan, New Delhi."

The following entry shall be substituted :—
"Shri Lalfak Zuala,
Joint Secretary,
Ministry of Labour,
Shram Shakti Bhawan, New Delhi."

V. RAMA RAO, Jt. Director

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

RULES

New Delhi, the 27th June 1992

No. 10/2/92-CS.II.—The rules for a limited departmental competitive examination for inclusion in the Select List for Grade 'C' of the Central Secretariat Senographers Service, Grade 'C' of the Central Vigilance Commission Stenographers Service, Grade II of the Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B), Grade 'C' of the Armed Forces Headquarters Stenographers Service and Gr. 'C' of the Railway Board Secretariat Senographers Service and Grade 'C' of the Research Designs & Standards Organisation (Ministry of Railways) Stenographers Service to be held by the Staff Selection Commission in 1992 are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the Select List will be specified in the Notice issued by the Commission.

Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the Central Govt. from time to time in this regard.

Scheduled Castes/Tribes means any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976, the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) Uttar Pradesh Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Orders, 1970, the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978, the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978, the Constitution (Jammu & Kashmir) Order, 1985 amended from time to time, the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 1990 and the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 1991, the Constitution (Scheduled Tribes) Order (second amendment) Act, 1991.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held, shall be fixed by the Commission.

4. *Conditions of eligibility.*—Any permanent or temporary regularly appointed officer, belonging to Grade D or Grade-III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Central Vigilance Commission Stenographers' Service/Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service/Research Designs Standards Organisation (Ministry of Railways) Stenographers' Service who satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination and compete for vacancies in his service only that is Grade 'D' Stenographers' of the Central Secretariat Stenographers' Service will be eligible for the vacancies in Grade 'C' of the Service, Grade 'D' Stenographers of Central Vigilance Commission Service will be eligible for the vacancies in Grade 'C' of the Central Vigilance Commision, Grade III Stenographers of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service (B) will be eligible for the vacancies in Grade II of the Stenographers of the Cadre of the Indian Foreign Service (B), the Grade 'D' Stenographers of Armed Forces Headquarters Stenographers' Service will be eligible for vacancies in Grade 'C' of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service, the Grade 'D' Stenographers of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service will be eligible for vacancies in Grade 'C' of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service and the Grade 'D' Stenographers of the RDSO Stenographers Service will be eligible for vacancies in Grade 'C' of the RDSO Stenographers Service.

(a) *Length of Service*—He should have, on the crucial date that is on 1-8-1992 rendered not less than 3 years approved and continuous service in Grade 'D' or Grade III of the Service.

NOTE.—Grade D officers who are on deputation to ex-cadre post with the approval of the competent authority and those having a lien in Grade D or Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Central Vigilance Commission Stenographers' Service/Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service (B)/ Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service/Research Designs & Standards Organisation Stenographers' Service will be eligible to be admitted to the examnaition, if otherwise eligible.

Provided that if he had been appointed to Grade 'D' of Central Secretariat Stenographers' Service, Grade 'D' of the Central Vigilance Commission Stenographers' Service/Grade 'D' of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/ Grade III of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service (B)/Grade 'D' of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service/Grade 'D' of the RDSO Stenographers' Service on the results of the competitive examination, including a limited departmental competitive examination result of such examination should have been announced not less than three years before the crucial date and he should have rendered not less than two years approved and continuous service in the Grade.

(b) *Age.*—He should not be more than 50 years of age on 1-8-1992 i.e. he must not have been born earlier han 2-8-1942.

(c) The upper age limit prescribed above will be further relaxable—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(iv) upto a maximum of three years in the case of Defences Services personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(v) upto a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof and who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(vi) upto a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof;

(vii) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof and who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED SHALL IN NO CASE BE RELAXED.

(d) *Stenography Test.*—Unless exempted from passing the Commission Stenography Test for the purpose of confirmation or continuance in Grade D/Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Central Vigilance Commission Stenographers' Service/Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service/Research Designs & Standards Organisation Stenographers' Service he should have passed the Test on or before the date of notification of the examination.

Note :—Grade 'D' or Grade III Stenographers who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority and those having a lien in Grade D/Grade III of the Service will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

This however, does not apply to a Grade D/Grade III, Stenographers who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on 'transfer' and does not have a lien in Grade D/Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Central Vigilance Commission Stenographers' Service/ Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed

Forces Headquarters Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service/Research Designs & Standards Organisation Stenographers' Service.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his condidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) writing irrelevant matter, including, obscenes language or pornographic matter in the script(s); or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination.

(xi) violating any of the instructions issued to the candidates alongwith their Admission Certificates permitting them to take the examination; or

(xii) taking away answer book/shorthand notes/typing scripts with him/her from the examination hall.

(xiii) attempting to commit or, as the case may be abetting the commision of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may be in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period :—

(i) by the Commision from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the apropriate rules.

8. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission, in six separate lists, in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified in the examination shall be recommended for inclusion in the Select Lists of Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service, Central Vigilance Commission Stenographers' Service, Stenographers Cadre of Indian Foreign Service (B), Armed Forces Headquarters Stenographers' Service, Railway Board Secretariat Stenographers' Service and Research Designs & Standards Organisation Stenographers' Service upto the required number.

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may to the extent the number of vacancies in the Central Secretariat Stenographers' Service/ Central Vigilance Commission Stenographers' Service/ Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/Railway Board Secretarint Stenographers' Service and Research Designs & Standards Organisation Stenographers' Service reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for inclusion in Select Lists of Grade 'C' of the Central Secretariat Stenographers' Service/Central Vigilance Commission Stenographers' Service/Stenographers' sub-Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service and Research Designs & Standards Organisation Stenographers' Service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Note :—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for Grade C/Grade II of the Central Secretariat Stenographers' Service/Central Vigilance Commission Stenographers' Service/Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service (B) and Grade C of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/ Railway Board Secretariat Stenographers' Service and Research Designs & Standards Organisation Stenographers' Service on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of performance in this examination as a matter of right.

9. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in its discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

10. Success in the examination confers no right to selection unless the cadre authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate, having regard to his conduct in service, is suitable in all respect for selection.

11. A candidate, who after applying for admission to the examination or after appearing at it resigns his appointment in the Central Secretriat Stenographers' Service or Central Vigilance Commission Stenographers' Service or Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B), or Armed Forces Headquarters Stenograhers' Service, Railway Board Secretariat Stenographers' Service and Research Designs & Standards Organisation Stenographers' Service or otherwise quits the Service or serves his connection with it, or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on "transfer" and does not have a lien in Grade D of the Central Secretariat Stenographers' Service or Central Vigilance Commission Stenographers' Service or Grade III of Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B) or Grade 'D' of Armed Forces Headquarters Stenographers' Service, Railway Board Secretariat Stenographers' Service and Research Designs & Standards Organisation Stenographers' Service will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This however, does not apply to a Grade 'D'/Grade III Stenographer who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the Competent authority.

KARTAR SINGH
Under Secretary

APPENDIX

The subjects of the written examination and the maximum marks for each subject will be as follows :—

PART A—WRITTEN TEST

Subject	Maximum marks	Time
PAPER : (Objective type)		
(a) General Awareness 100 Questions (b) Comprehension and writing ability of English language 100 Questions	200	2 hours

Note :—Question relating to General Awareness will be set both in Hindi and English.

PART B—SHORTHAND TEST IN HINDI OR IN ENGLISH (FOR THOSE WHO QUALIFY AT THE WRITTEN TEST) 200 MARKS.

Note :—Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters and for this purpose they will be required to bring their own type-writers with them.

PART C—EVALUATION OF RECORD OF SERVICE OF SUCH OF THE CANDIDATES AS MAY BE DECIDED BY THE COMMISSION IN THEIR DISCRETION CARRYING A MAXIMUM OF 100 MARKS.

2. The Syllabus for the written test and the scheme of the Shorthand Test will be as shown in the Schedule to this Appendix.

3. Candidates qualified in the written Examination are required to appear in Shorthand Test either in English or in Hindi which will be of 200 marks.

NOTE : 1—Candidates must indicate their medium for taking Stenography Test in column 6 of the application form. The option once exercised shall be treated as final and no requests for alteration in the said column shall be ordinarily be entertained. If the requisite column of option is left blank by any candidate, his/her medium of Stenography test shall be deemed to 'English'.

NOTE : 2—Candidates who opt to take the Shorthand Test in Hindi will be required to learn English Stenography and *vice versa* after their appointment.

NOTE : 3—No credit will be given for Shorthand Test taken in a language other than the one opted by the candidate.

4. Candidates who satisfy the minimum qualifying standard in the dictation at 120 words per minute will rank above the candidates who obtain the same standard in the dictation at 100 words per minute, person in each group being arranged *inter se* in order of their merit as disclosed by the aggregate marks awarded to each candidate (c.f. Part B of the Schedule below).

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answer for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

7. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test as may be fixed by the Commission in their discretion will be called for Shorthand Test.

SCHEDULE

PART—A

Standard and Syllabus of the Written Test

NOTE :—The standard of the question papers in Part A will be approxiately that of the Matriculation examination of an Indian University.

(a) General Awareness : Question will be aimed at testing the candidates' general awareness of the environment around him and its application to society. Questions will also be designed to test knowledge of current events and of such matters of every day observations and experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person. The test will also include questions relating to India and its neighbouring countries especially pertaining to History, Culture, Geography, Economic Science, General polity and scientific research.

(b) Comprehension and writing Ability of English Language :

Question will be designed to test the candidates' understanding and knowledge of English Langunage, vocabulary, spellings, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms, sentence completion, phrases and idiomatic use of words etc. There will be a question on comprehension of a passage.

PART—B

Scheme of Shorthand Tests

The Shorthand test in English will comprise two dictation tests, one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for 10 minutes which the candidates will be required to transcribe in 45 and 50 minutes respectively.

The Shorthand test in Hindi, will comprise two dictation tests one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for 10 minutes which the candidates will be required to transcribe in 60 and 65 minutes respectively

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1992
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1992